



सत्यमेव जयते

भारत के

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष

क्रमांक 3

(राजस्व प्राप्तियाँ )

मध्य प्रदेश सरकार

**विषय सूची**

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	vii
	विहंगावलोकन	ix
<b>अध्याय – 1 : सामान्य</b>		
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की अनुक्रिया	4
1.3	लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से निबटने हेतु प्रणाली का विश्लेषण	9
1.4	लेखापरीक्षा नियोजन	11
1.5	लेखापरीक्षा के परिणाम	12
<b>अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर</b>		
2.1	कर प्रशासन	13
2.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	13
2.3	निर्धारिती का विवरण	14
2.4	प्रति निर्धारिती वेट की लागत	14
2.5	निर्धारण का बकाया	14
2.6	कर संग्रहण की लागत	15
2.7	संग्रहण का विश्लेषण	16
2.8	लेखापरीक्षा का प्रभाव	16
2.9	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	17
2.10	लेखापरीक्षा के परिणाम	17
2.11	बंद इकाईयों से कर की वसूली न होना	18
2.12	कर की गलत दर लागू किया जाना	19
2.13	कर का अनारोपण/कम आरोपण	23
2.14	गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण	27



कंडिका	विवरण	पृष्ठ
2.15	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	29
2.16	वृत्ति कर की वसूली न होना	32
2.17	टर्नओवर का गलत निर्धारण	33
2.18	मुजराई की गलत स्वीकृति	36
2.19	अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति	37
2.20	अधिभार का अनारोपण	40
2.21	प्रांतीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण	41
2.22	वापसी की गलत स्वीकृति	41
2.23	कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	42
2.24	मूल्य संवर्धन का गलत निर्धारण	44
2.25	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण	45
<b>अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क</b>		
3.1	कर प्रशासन	51
3.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	51
3.3	संग्रहण की लागत	53
3.4	लेखापरीक्षा का प्रभाव	53
3.5	आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली	54
3.6	लेखापरीक्षा के परिणाम	54
3.7	निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	55
3.8	आबकारी शुल्क की वसूली न होना/शास्ति का अनारोपण	57
3.9	स्पिरिट/विदेशी मदिरा का निवर्तन न करने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना	60

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.10	न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाने के लिए शास्ति का अनारोपण	62
3.11	गलत दरें लागू करने के कारण पॉपी स्ट्रॉ पर परिवहन फीस की कम वसूली	63
3.12	स्परिट/विदेशी मदिरा की कमी पर शुल्क/शास्ति जमा न कराया जाना	64
3.13	नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति की वसूली न होना	64
3.14	शासकीय स्थापना पर किये गये व्यय की वसूली न होना	65
3.15	अहाता लायसेंस फीस का कम आरोपण	66
<b>अध्याय – 4 : वाहनों पर कर</b>		
4.1	कर प्रशासन	69
4.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	69
4.3	संग्रहण की लागत	70
4.4	लेखापरीक्षा का प्रभाव	70
4.5	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	71
4.6	लेखापरीक्षा के परिणाम	72
4.7	वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	72
4.8	वाहन कर का गलत दर से आरोपण एवं शास्ति का अनारोपण	74
4.9	मोटर वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण	74
4.10	ठेकागाड़ी अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित वाहनों पर गलत दर से करारोपण एवं शास्ति का अनारोपण	75
4.11	वाहन कर के विलम्बित भुगतान पर शास्ति आरोपण में विफलता	76
4.12	निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	76
4.13	शहरी मार्गों पर प्रचालित लोकसेवा वाहनों/शैक्षणिक संस्था बसों से वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	77

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
4.14	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	78
<b>अध्याय – 5 : भू-राजस्व</b>		
5.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	79
5.2	मध्य प्रदेश में भू-राजस्व प्राप्तियाँ – समीक्षा	80
<b>अध्याय – 6 : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस</b>		
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	115
6.2	उप पंजीयकों द्वारा अग्रेषित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब	116
6.3	कॉलोनाइजरो/विकासकर्ताओं द्वारा निष्पादित विलेखों पर शुल्क का अपवंचन	118
6.4	पट्टे/उपपट्टे पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण	120
6.5	मुख्तारनामा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	122
6.6	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना	123
6.7	मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट/कम आरोपण	125
6.8	ऋण समनुदेशन के विलेख पर शुल्क का कम आरोपण	127
6.9	हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार/ज्ञापन पर शुल्क का कम आरोपण	128
6.10	गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण	129
<b>अध्याय – 7 : मनोरंजन शुल्क</b>		
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	131
7.2	केबल आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क वसूल न करना	132
7.3	सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	133
7.4	विज्ञापन कर का अनारोपण	134



कंडिका	विवरण	पृष्ठ
<b>अध्याय – 8 : विद्युत शुल्क</b>		
8.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	135
8.2	विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण (समीक्षा)	136
<b>अध्याय – 9 : कर—भिन्न राजस्व</b>		
<b>क. वन प्राप्तियाँ</b>		
9.1	कर प्रशासन	155
9.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	155
9.3	लेखापरीक्षा का प्रभाव	156
9.4	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	157
<b>ख. खनन प्राप्तियाँ</b>		
9.5	कर प्रशासन	157
9.6	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	158
9.7	लेखापरीक्षा का प्रभाव	159
9.8	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	159
9.9	लेखापरीक्षा के परिणाम	159
9.10	खनन पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना/कम वसूली होना	161
9.11	संग्रहीत कर का शासकीय खाते में जमा न होना	162
9.12	राज्यांश की कम वसूली	163
9.13	गौण खनिजों पर राज्यांश की कम वसूली	164
9.14	संविदा राशि की कम वसूली	165
9.15	अनिवार्य किराये की कम वसूली	166
9.16	व्यापारिक खदानों की पुनर्नीलामी में विफलता के कारण राजस्व की हानि	167



कंडिका	विवरण	पृष्ठ
9.17	खनन योजना के अनुसार उत्पादन न करने के कारण राजस्व हानि	168
9.18	अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने में अनियमितताओं के कारण राजस्व की हानि	169
9.19	पट्टाधारकों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने पर शास्ति का अनारोपण	170
9.20	अधिनियम में कमी के कारण राजस्व की हानि	172
	परिशिष्ट	175

## प्रस्तावना

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में राज्य के वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियां तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2009-10 की अवधि के मध्य अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 57 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 1,469.91 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

### I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 33,577.21 करोड़ के विरुद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 41,394.67 करोड़ थीं। इस राशि का 57 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 17,272.77 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,382.04 करोड़) के रूप में वसूल किया गया। शेष 43 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 11,076.99 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 6,662.87 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ।

(कंडिका 1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2009-10 के दौरान की गई नमूना जाँच में 28,674 प्रकरणों में ₹ 3,366.12 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला।

(कंडिका 1.5.1)

### II. वाणिज्यिक कर

बंद इकाइयों से ₹ 102.28 करोड़ के कर की वसूली न होना।

(कंडिका 2.11)

कर की गलत दरें लागू किए जाने के कारण ₹ 94.50 लाख के कर की कम प्राप्ति होना।

(कंडिका 2.12)

कर के अनारोपण, कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 2.26 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.13)

गलत ढंग से कर मुक्त माने गए विक्रय पर कर के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.14)

प्रवेश कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 92.81 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.15)

### III. राज्य उत्पाद शुल्क

विदेशी मदिरा/बीयर के निर्यात/परिवहन की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर ₹ 11.69 करोड़ के आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना ।

(कंडिका 3.7)

स्पिरिट, मदिरा तथा बीयर की अमान्य छीजन पर ₹ 1.35 करोड़ के आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना ।

(कंडिका 3.8)

स्पिरिट/विदेशी मदिरा का निवर्तन न किए जाने के कारण ₹ 2.52 करोड़ के आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना ।

(कंडिका 3.9)

आसवनियों में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किए जाने पर ₹ 1.15 करोड़ की शास्ति का अनारोपण ।

(कंडिका 3.10)

### IV. वाहनों पर कर

3,893 वाहनों पर ₹ 14.93 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.7)

निजी सेवा वाहनों पर गलत दर से कर के आरोपण के परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 87.58 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 4.8)



कर के भुगतान में विलंब का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 25.24 लाख की शास्ति की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 4.11)

#### V. भू-राजस्व

“मध्य प्रदेश में भू-राजस्व प्राप्तियाँ” पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

- व्यपवर्तन प्रकरणों में तहसील तथा कलेक्टर कार्यालय के अभिलेखों का प्रति-सत्यापन न होने के परिणामस्वरूप माँग सृजित नहीं की गई/कम सृजित की गई और इसके फलस्वरूप ₹ 82 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.7)

- माँग सृजित करने के पश्चात् राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समय सीमा के प्रावधान के अभाव के कारण ₹ 66.09 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.8)

- नजूल भूमि के आवंटन के पश्चात पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु समय सीमा के प्रावधान के अभाव के कारण ₹ 1.51 करोड़ के पट्टा भाटक की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.9)

- अनंतिम प्रब्याजि एवं भू-भाटक की वसूली न होने तथा भूमि आवंटन के प्रकरणों का निराकरण न किए जाने के कारण ₹ 6.63 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.10)

- स्वीकृतियों के निष्पादन हेतु परिवीक्षण प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 6.89 लाख के भू-भाटक की हानि हुई ।

(कंडिका 5.2.11)

- कलेक्टर कार्यालय स्तर पर कोई परिवीक्षण प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ के प्रक्रिया व्यय की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.13)

- राजस्व संहिता निर्देशिका का उल्लंघन कर निम्नतर मूल्यों पर भूमि के आवंटन के कारण ₹ 59.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 5.2.16)

- प्रब्याजि की किस्त की मांग सृजित न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 132.50 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.17)

- ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 2.70 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.18)

- व्यवसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि को आवासीय माने जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ के भाटक/प्रब्याजि की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 5.2.20)

- सेवा प्रभार तथा ब्याज के अनारोपण/जमा न करने के कारण शासकीय राजकोष ₹ 28.09 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया ।

(कंडिका 5.2.26)

## VI. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- बाजार मूल्य के गलत निर्धारण/कलेक्टर को संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 8.51 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 6.2)

- कॉलोनाइजरों/डेवलपर्स द्वारा निष्पादित विलेखों पर ₹ 2.23 करोड़ के शुल्क का अपवंचन ।

(कंडिका 6.3)

- पट्टे/उपपट्टे पर ₹ 1.60 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण ।

(कंडिका 6.4)

- गलत दरें लागू किए जाने के कारण मुख्तारनामा के विलेखों पर ₹ 1.46 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण ।

(कंडिका 6.5)

- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति न किए जाने के कारण ₹ 1.29 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति न होना ।

(कंडिका 6.6)

#### VII. मनोरंजन शुल्क

- केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 32.77 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.2)

- सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 29.15 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.3)

#### VIII. विद्युत शुल्क

“विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण” की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

- वितरण कंपनियों द्वारा शासकीय धन को अनियमित रूप से रोके रखे रहने के कारण ₹ 997.39 करोड़ राजस्व का अवरुद्ध होना ।

(कंडिका 8.2.8.1)

- विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 3.73 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण ।

(कंडिका 8.2.8.2)

- विद्युत खपत को सत्यापित करने के लिए जाँच सूची के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.97 करोड़ के शुल्क की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 8.2.9)



- शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत के आवधिक निर्धारण हेतु कोई समय सीमा तय न होने के परिणामस्वरूप ₹ 6.92 करोड़ के शुल्क तथा उपकर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 8.2.11)

- प्रतिभूमि जमा राशि हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 3.15 करोड़ के शुल्क का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 8.2.12)

### कर-मिन्न राजस्व

#### IX. खनन प्राप्तियाँ

- खनन पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में ₹ 295.35 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना ।

(कंडिका 9.10)

- ₹ 133.18 करोड़ का कर संग्रहीत किया गया लेकिन शासकीय खाते में जमा नहीं हुआ ।

(कंडिका 9.11)

- ₹ 7.74 करोड़ के राज्यांश की कम वसूली ।

(कंडिका 9.12)

- नियत तिथि पर संविदा राशि का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 9.14)



**अध्याय – 1**  
**सामान्य**

**1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

1.1.1 वर्ष 2009–10 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनु रूप आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
	● कर राजस्व	9,114.70	10,473.13	12,017.64	13,613.50	17,272.77
	● कर-भिन्न राजस्व	2,208.20	2,658.46	2,738.18	3,342.86	6,382.04
	योग	11,322.90	13,131.59	14,755.82	16,956.36	23,654.81
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	● विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	6,341.35	8,088.54	10,203.50	10,767.14	11,076.99 <sup>1</sup>
	● सहायक अनुदान	2,932.54	4,474.15	5,729.41	5,853.71	6,662.87
	योग	9,273.89	12,562.69	15,932.91	16,620.85	17,739.86
3.	राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)	20,596.79	25,694.28	30,688.73	33,577.21	41,394.67
4.	3 से 1 का प्रतिशत	55	51	48	50	57

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 41,394.67 करोड़) का 57 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्तियों का शेष 43 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

<sup>1</sup> विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2009–10 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें। शीर्ष "0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क-कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है।

1.1.2 निम्न तालिका 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2008-09 की तुलना में 2009-10 में वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत
1.	विक्रय व्यापार आदि पर कर/वेट	4,508.42	5,261.41	6,045.07	6,842.99	7,723.82	(+) 12.87
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,370.38	1,546.68	1,853.83	2,301.95	2,951.94	(+) 28.24
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1,009.48	1,251.10	1,531.54	1,479.29	1,783.15	(+) 20.54
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	578.58	744.60	916.44	1,332.57	1,332.88	(+) 0.02
5.	वाहनों पर कर	556.02	634.30	702.62	772.56	919.01	(+) 18.96
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	842.27	714.55	626.08	343.06	2,146.49	(+) 525.69
7.	भू-राजस्व	77.16	132.21	129.15	338.84	180.03	(-) 46.87
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर- वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	153.08	163.81	185.02	172.29	203.92	(+) 18.36
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	14.15	19.55	20.10	20.28	19.21	(-) 5.28
10.	होटल प्राप्तियां	5.37	4.92	7.79	9.67	12.20	(+) 26.16
11.	कृषि भूमि से अतिरिक्त अचल सम्पत्ति पर कर	(-) 0.21	--	--	--	0.12	--
योग		9,114.70	10,473.13	12,017.64	1,3613.50	17,272.77	

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

**राज्य उत्पाद शुल्क** : देशी मदिरा की दुकानों की लायसेन्स फीस की प्राप्ति में वृद्धि को 28.24 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

**मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस** : गैर-न्यायिक मुद्रांकों के विक्रय में वृद्धि को 20.54 प्रतिशत की वृद्धि का प्रमुख कारण बताया गया ।



**वाहनों पर कर :** कम्प्यूटरीकरण तथा वसूली हेतु सघन अभियान एवं कर की दर में पुनरीक्षण को भी 18.96 प्रतिशत वृद्धि का कारण बताया गया ।

**विद्युत पर कर एवं शुल्क :** पूर्व दो वर्षों के बकाया राजस्व की वर्तमान वर्ष में वसूली एवं जमा को 525.69 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

**भू-राजस्व :** भू राजस्व प्राप्तियों में कमी को 46.87 प्रतिशत कमी का कारण बताया गया ।

**वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों एवं रोजगार पर कर :** छठवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार हुयी वेतन वृद्धि को 18.36 प्रतिशत वृद्धि का कारण बताया गया ।

**होटल प्राप्तियां :** नवीन होटलों को दी गई छूट की अवधि का समाप्त होना 26.16 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल 2010) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर 2010) ।

**1.1.3 निम्न तालिका 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर-भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2008-09 की तुलना में 2009-10 में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	815.31	923.91	1,125.39	1,361.08	1,590.47	(+) 16.85
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	490.40	536.50	608.89	685.60	802.00	(+) 16.98
3.	विविध सामान्य सेवाएँ	21.30	736.58	374.60	380.17	399.12	(+) 4.98
4.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	152.02	159.30	220.17	580.56	2,068.46	(+) 256.29
5.	ब्याज प्राप्तियां	527.20	132.73	206.98	163.29	1,284.03	(+) 686.35
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	67.20	59.55	68.15	55.58	80.94	(+) 45.63
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	29.57	29.82	37.42	37.08	56.75	(+) 53.05
8.	पुलिस	26.16	24.26	25.03	23.63	41.98	(+) 77.66
9.	लोक निर्माण	53.08	16.39	20.33	21.74	27.37	(+) 25.90
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.73	20.88	21.93	20.88	21.84	(+) 4.60
11.	सहकारिता	14.23	18.54	29.29	13.25	9.08	(-) 31.47
<b>योग</b>		<b>2,208.20</b>	<b>2,658.46</b>	<b>2,738.18</b>	<b>3,342.86</b>	<b>6,382.04</b>	

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

**अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म :** प्रमुख खनिजों पर राज्यांश का पुनरीक्षण होना तथा विभाग द्वारा सतत् निगरानी एवं सतर्कता को 16.85 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

**अन्य कर—भिन्न प्राप्तियाँ :** सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित बिजली से प्राप्तियों में हुयी वृद्धि को 256.29 प्रतिशत वृद्धि का कारण बताया गया ।

**ब्याज प्राप्तियाँ :** म0प्र0 राज्य विद्युत मण्डल के ऋण पर ब्याज की प्राप्तियों में हुई वृद्धि को 686.35 प्रतिशत वृद्धि का प्रमुख कारण बताया गया ।

**सहकारिता :** अंकेक्षण शुल्क में कमी तथा सहकारी समितियों की दुर्बल आर्थिक स्थिति को 31.47 प्रतिशत की कमी का कारण बताया गया ।

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल 2010) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (दिसंबर 2010) ।

## 1.2 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की अनुक्रिया

अग्रलिखित कंडिकाएं 1.2.1 से 1.2.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/अनुशंसाओं के प्रति विभागों/शासन की अनुक्रिया की विवेचना करती हैं ।

### 1.2.1 जवाबदेही के प्रवर्तन एवं राज्य शासन के हित का संरक्षण करने में वरिष्ठ पदाधिकारियों की विफलता

महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन – देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य दस्तावेजों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षण कार्यालयों के प्रमुखों को जारी की जाती हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकट उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

दिसम्बर 2009 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 5,040 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 15,608 कण्डिकाएं, जिनकी राशि ₹ 9,862.06 करोड़ थी, जून 2010 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनु रूप आंकड़ों सहित नीचे दर्शाया गया है ।



	जून 2008	जून 2009	जून 2010
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	6,251	6,201	5,040
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	19,693	19,731	15,608
सम्मिलित राशि (करोड़ ₹ में)	5,255.99	5,310.01	9,862.06

30 जून 2010 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	वाणिज्यिक कर	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वेट	848	3,799	713.64
2.	ऊर्जा	विद्युत शुल्क	76	275	1,833.81
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	मनोरंजन कर	204	333	18.28
		उत्पाद शुल्क	336	1,065	596.74
4.	राजस्व	भू-राजस्व	1,584	4,282	2,683.27
5	परिवहन	मोटर यानों पर कर	350	1,780	314.59
6	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	635	1,606	126.75
7	खनन एवं भौमिकी	राज्यांश एवं भाटक	294	1,009	2,654.81
8.	वन एवं पर्यावरण	वनोपज प्राप्तियां	353	629	846.24
9.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	122	267	17.22
10.	कृषि		140	317	16.30
11.	सहकारिता		98	246	40.41
<b>योग</b>			<b>5,040</b>	<b>15,608</b>	<b>9,862.06</b>

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2009 तक जारी 197 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का संकेतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में असफल रहे।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं समुचित अनुक्रिया हेतु एवं साथ ही उप पदाधिकारियों/अधिकारियों, जो निर्धारित समयानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं के उत्तर प्रेषित करने में असफल रहते हैं और समयबद्ध ढंग से हानि/लम्बित माँग की वसूली के लिए कार्रवाई करने में भी असफल रहते हैं, के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक प्रभावशाली प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

### 1.2.2 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों और कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन (विभिन्न अवधियों में) लेखा परीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान आहूत लेखा परीक्षा समितियों की बैठकें एवं निराकृत कण्डिकाओं का विवरण नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	आहूत बैठकों की संख्या	निराकृत कण्डिकाओं की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	05	585	24.10
खनन	02	186	7.90
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	03	365	15.08
राज्य उत्पाद शुल्क	02	171	60.54
भू-राजस्व	01	138	26.85
वन	03	164	108.51
<b>योग</b>	<b>16</b>	<b>1,609</b>	<b>242.98</b>

उक्त तालिका प्रकट करती है कि खनिज एवं राज्य आबकारी विभागों के मामलों में लम्बित कण्डिकाओं का निराकरण संतोषजनक नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना था।



**1.2.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना**

वाणिज्यिक कर, मोटर यान कर, राज्य आबकारी शुल्क, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व एवं खनन प्राप्तियों के कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रखें।

वर्ष 2009-10 के दौरान 83 कार्यालयों से सम्बन्धित कुल 539 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से 192 प्रकरणों में, ₹ 106.31 करोड़ का कर अंतर्निहित था तथा शेष प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम कार्यालयों की संख्या	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षित नहीं हुए कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतर्निहित राजस्व निर्धारित हो सका	सम्मिलित राजस्व
वाणिज्यिक कर 13	2009-10	192	192	106.31
मोटर यान कर 05	2009-10	13	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क 04	2009-10	12	-	-
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस 13	2009-10	23	-	-
भू-राजस्व 42	2009-10	274	-	-
खनन 06	2009-10	25	-	-
<b>योग</b>		<b>539</b>	<b>192</b>	<b>106.31</b>



#### 1.2.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं के प्रति विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपनी अनुक्रिया प्रेषित करने हेतु जारी की जाती हैं। विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 79 प्रारूप कण्डिकाएँ (57 कण्डिकाओं में संयोजित) सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित की गयी थीं। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010)। इन विभागों से सम्बन्धित कण्डिकाओं को विभागों की अनुक्रिया के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

#### 1.2.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) विधान सभा के पटल पर 12 मार्च 2010 को रखा गया। वर्ष 2006-07 से 2007-08 तक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है। विभिन्न वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु लो.ले.स. की अनुशंसाएं प्राप्त हुयी हैं।

1992-93 तक की लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 1993-94 एवं तत्पश्चात् के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रतिवेदन सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं यद्यपि कि राज्य विधायी मामला विभाग द्वारा जारी नवम्बर 1994 के अनुदेशों में निर्देशित किया गया है कि इन्हे लो.ले.स. की अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

#### 1.2.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2004-05 और 2008-09 के बीच के वर्षों के दौरान, विभागों/शासन द्वारा ₹ 869.19 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किए गए जिसमें से 31 मार्च 2009 तक मात्र ₹ 12.60 करोड़ की वसूली हुयी, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन का कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल राशि
2004-05	41.96	13.24	0.28
2005-06	85.85	32.56	2.42
2006-07	318.57	288.61	1.93
2007-08	623.43	421.89	4.86
2008-09	1,339.50	112.89	3.11
योग	<b>2,409.31</b>	<b>869.19</b>	<b>12.60</b>

### 1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से निबटने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित मुद्दों को विभागों/शासन द्वारा निबटाने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किसी एक विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है।

अग्रलिखित कण्डिका 1.3.1 से 1.3.2.2 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में अन्वेषित प्रकरणों तथा वर्ष 1999-2000 से 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निबटारे में वन विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है।

#### 1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले छः वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2010 को इनकी अवस्था की संक्षिप्त स्थिति नीचे तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ लाख में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान सम्मिलन			वर्ष के दौरान निराकरण			अंतिम शेष		
	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2003-04 तक	603	1,788	77,763.46	51	158	15,181.66	18	117	1,278.26	636	1,829	91,666.86
2004-05	636	1,829	91,666.86	55	205	22,142.42	27	199	5,266.01	664	1,835	1,08,543.27
2005-06	664	1,835	1,08,543.27	151	554	41,559.28	123	534	52,311.75	692	1,855	97,790.80
2006-07	692	1,855	97,790.80	27	74	8,325.05	71	257	12,465.99	648	1,672	93,649.86
2007-08	648	1,672	93,649.86	64	161	16,112.22	130	451	31,719.24	582	1,382	78,042.84
2008-09	582	1,382	78,042.84	46	128	20,773.85	155	386	28,209.91	473	1,124	70,606.78
2009-10	473	1,124	70,606.78	73	229	39,820.90	126	335	15,347.98	420	1,018	95,079.70



वर्ष 2009-10 के दौरान निराकृत 335 कण्डिकाओं में से 171 कण्डिकाएं महालेखाकार द्वारा जारी आदेशों/मानदण्डों के अनुपालन में लेखापरीक्षा दलों द्वारा तथा विभाग से प्राप्त उत्तरों के आधार पर मुख्यालय स्टाफ द्वारा निराकृत की गयीं। शेष 164 कण्डिकाएं महालेखाकार एवं विभाग के संयुक्त प्रयत्नों से आहूत की गयी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निराकृत की गयीं।

### 1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रेखांकित मुद्दों पर विभाग/शासन द्वारा दिया गया आश्वासन

#### 1.3.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं की स्थिति, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत तथा वसूल की गयी राशि नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कण्डिकाओं की संख्या	कण्डिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कण्डिकाओं की संख्या	स्वीकृत कण्डिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संचयी स्थिति
1999-2000	06	6.94	01	0.58	-	-
2000-01	08	10.63	01	1.00	-	-
2001-02	02	8.46	-	-	-	-
2002-03	04	4.86	02	4.16	-	-
2003-04	03	0.89	-	-	-	-
2004-05	02	4.00	-	-	-	-
2005-06	01	7.00	01	7.00	-	-
2006-07	01	36.50	01	36.50	27.59	27.59
2007-08	02	0.83	01	0.73	-	-
2008-09	म.प्र. में वन प्राप्तियों पर समीक्षा	222.67	--	0.27	--	--

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों में वसूली पर निगरानी रखने के लिए, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय समय पर अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) द्वारा लेखापरीक्षा कण्डिकाओं की समीक्षा की जाती है।



जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 27.59 करोड़ की वसूली की गई जो बहुत कम है। स्वीकार किए गए अन्य प्रकरणों में वसूली की अद्यतन स्थिति के संबंध में विभाग ने वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है (दिसंबर 2010)।

### 1.3.2.2 विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा कार्यान्वित प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभाग/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है।

अग्रलिखित कण्डिकाएं पिछले 10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वन विभाग पर प्रकाशित समीक्षाओं में रेखांकित मुद्दों एवं अनुशंसाओं तथा विभाग एवं शासन द्वारा स्वीकृत उन अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई की विवेचना करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं के विवरण	स्थिति
1999-00	तेन्दुपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन	समीक्षा में अनुशंसाएं सम्मिलित नहीं थीं।		
2000-01	इमारती काष्ठ का विदोहन तथा निवर्तन			
2002-03	मध्य प्रदेश में वन अपराध	02	-	अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा विशिष्ट टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की गईं।
2008-09	मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियां	08	-	विभाग द्वारा अनुशंसाओं पर विशिष्ट टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की गईं।

### 1.4 लेखापरीक्षा नियोजन

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम युक्त

इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा शासकीय राजस्व एवं कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कराधान सुधार समिति की अनुशंसाएं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के गुण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा का क्षेत्र और उसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा समष्टि में 983 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं, जिनमें से 458 इकाईयाँ नियोजित की गयीं जिनमें से वर्ष 2009-10 के दौरान 449 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई, जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों का 45.68 प्रतिशत है।

इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की प्रभावकारिता के परीक्षण हेतु उपरिलिखित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन समीक्षाएं भी कार्यान्वित की गयीं।

## 1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

### 1.5.1 वर्ष के दौरान क्रियान्वित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2009-10 के दौरान की गयी वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मोटर यान, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 449 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 28,674 प्रकरणों में कुल ₹ 3,366.12 करोड़ का अवनिर्धारण/न्यून आरोपण/राजस्व हानि प्रकट हुयी। वर्ष के दौरान विभागों ने 2009-10 में इंगित किए गए 18,071 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 1,738.52 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2009-10 के दौरान विभागों द्वारा 1940 प्रकरणों में ₹ 4.64 करोड़ की वसूली की गयी।

### 1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति आदि के न्यून आरोपण/अनारोपण से सम्बन्धित ₹ 1,469.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित भू-राजस्व प्राप्तियाँ तथा विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर पर दो समीक्षाओं सहित 57 कंडिकाएं (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 942.89 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 3.26 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों 2 से 9 में की गई है।



**अध्याय – 2**  
**वाणिज्यिक कर**

**2.1 कर प्रशासन**

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं । आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विभाग प्रमुख हैं । विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं । सभी क्षेत्र 13 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख उपायुक्त होता है । इन संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत 78 वृत्त कार्यालय हैं, जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त हैं ।

**2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति**



विगत पांच वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2009-10 के दौरान वेट की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि की कुल कर प्राप्तियों सहित निम्न तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता(+)/कमी(-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	वाणिज्यिक कर/वेट की वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रतिशत
2005-06	4,676.00	4,508.42	(-) 167.58	(-) 3.58	9,114.70	49.46
2006-07	5,357.00	5,261.41	(-) 95.59	(-) 1.78	10,473.13	50.24
2007-08	5,700.00	6,045.07	(+) 345.07	(+) 6.05	12,017.64	50.30
2008-09	6,720.00	6,842.99	(+) 122.99	(+) 1.83	13,613.50	50.27
2009-10	7,894.11	7,723.82	(-) 170.29	(-) 2.16	17,272.77	44.72

वेट से प्राप्तियाँ वर्ष 2005-06 में ₹ 4,508.42 करोड़ थीं जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर ₹ 7,723.82 करोड़ हो गईं । इस प्रकार इनमें 71.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई । हालांकि कुल प्राप्तियों में वेट का अंश, जो वर्ष 2007-08 में 50.30 प्रतिशत था, वर्ष 2009-10 में घटकर 44.72 प्रतिशत रह गया ।





—●— बजट अनुमान —■— वास्तविक प्राप्तियाँ

■ कुल कर प्राप्तियाँ (2009-10)  
■ वोट प्राप्तियाँ (2009-10)

### 2.3 निर्धारिती का विवरण

विभाग ने प्रतिवेदित किया कि वर्ष 2009-10 के दौरान 2,16,555 (अनंतिम) पंजीयत व्यवसायी थे जिनमें से लगभग 20,588 बड़े कर दाता तथा 1,95,967 छोटे कर दाता थे। ऐसे सभी पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा, जिनकी विक्रय राशि ₹ 20 लाख तक है या जो ₹ 10,000 तक वार्षिक कर का भुगतान करते हैं, वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं जबकि अन्य व्यवसाइयों द्वारा त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी होती हैं। ऐसे व्यवसाइयों के प्रकरण में जो विवरणियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहे, सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रिम कर नोटिस जारी किए जाते हैं। विभाग ने आगे बताया कि प्राप्त विवरणियों की संख्या विभागीय मुख्यालय पर संधारित नहीं की जाती है। इस प्रकार विभाग में एक अत्यंत आवश्यक परिवीक्षण प्रणाली का अभाव है।

### 2.4 प्रति निर्धारिती वोट की लागत

विभाग द्वारा यह बताया गया कि इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

### 2.5 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष से संबंधित विक्रय कर/वोट, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

कर का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 4 से 5 का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>वाणिज्यिक कर विभाग</b>							
विक्रय कर/वेट	2007-08	3,63,487	2,81,575	6,45,062	3,41,769	3,03,293	52.98
	2008-09	3,03,293	3,41,838	6,45,131	3,78,096	2,67,035	58.61
	2009-10	2,67,035	3,53,048	6,20,083	3,72,161	2,47,922	60.02
व्यवसाय कर	2007-08	1,15,513	1,45,481	2,60,994	1,33,479	1,27,515	51.14
	2008-09	1,27,515	1,50,048	2,77,563	1,53,188	1,24,375	55.19
	2009-10	1,24,375	1,40,241	2,64,616	1,57,938	1,06,678	59.69
प्रवेश कर	2007-08	1,85,094	2,23,297	4,08,391	2,19,980	1,88,411	53.87
	2008-09	1,88,411	2,36,999	4,25,410	2,55,054	1,70,356	59.95
	2009-10	1,70,356	2,29,913	4,00,269	2,48,537	1,51,732	62.09
विलासिता कर	2007-08	698	1,007	1,705	1,007	698	59.06
	2008-09	698	1,330	2,028	1,364	664	67.26
	2009-10	664	1,026	1,690	1,052	638	62.25
निर्माण संविदाओं पर कर	2007-08	3,501	3,211	6,712	2,965	3,747	44.17
	2008-09	3,747	5,160	8,907	6,366	2,541	71.47
	2009-10	2,541	6,273	8,814	6,183	2,631	70.15

इस प्रकार विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान विलासिता कर एवं निर्माण संविदाओं पर कर से संबंधित निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में कमी आई है ।

### 2.6 कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान वाणिज्यिक कर/वेट का सकल संग्रहण, संग्रहण पर संबंधित विभाग द्वारा बताया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2008-09 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार है :



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर / वेट	2007-08	6,045.07	60.36	1.00	0.88
		2008-09	6,842.99	96.23	1.41	
		2009-10	7,723.82	85.33	1.10	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वाणिज्यिक कर /वेट के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2008-09 के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कहीं अधिक है ।

संग्रहण की लागत को कम करने के लिए शासन द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है ।

### 2.7 संग्रहण का विश्लेषण

विभाग ने सूचित किया कि संग्रहण का विश्लेषण मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में संधारित नहीं किया जाता है ।

### 2.8 लेखापरीक्षा का प्रभाव

विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा कर का अनारोपण/ कम आरोपण, वसूली न होना/ कम वसूली होना, कर का अवनिर्धारण/ राजस्व की हानि, गलत छूट, विक्रय राशि को छिपाना/ दबाना, कर की गलत दर लागू किया जाना, कर की गलत गणना इत्यादि के ₹ 436.81 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित 4,747 प्रकरण इंगित किए गए । इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 102.14 करोड़ की राशि से अंतर्निहित 1,237 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा ₹ 2.95 करोड़ की राशि वसूल की । इसका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकार किये गये		वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2004-05	95	1,099	38.58	29	1.05	—	—
2005-06	91	789	94.84	43	33.67	07	0.71
2006-07	75	623	66.37	149	15.33	07	0.95
2007-08	106	1,002	55.99	519	12.12	22	0.47
2008-09	102	1,234	181.03	497	39.97	14	0.82
<b>योग</b>	<b>469</b>	<b>4,747</b>	<b>436.81</b>	<b>1,237</b>	<b>102.14</b>	<b>50</b>	<b>2.95</b>



विगत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत नगण्य है । हमारे द्वारा इस गंभीर मुद्दे को विभाग प्रमुख एवं शासन के वित्त सचिव के ध्यान में लाया गया है ।

### 2.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

शासन के आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 1982 के अनुपालन में, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए 15 पद (5 सहायक आयुक्त, 5 वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा 5 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) स्वीकृत किए गए थे । तथापि पंजीयत व्यवसायों तथा कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि, चैक पोस्टों की स्थापना, तथा उपलब्ध स्टाफ को राजस्व कार्य में लगाये जाने के कारण वर्तमान में विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कार्य नहीं कर रही है ।

### 2.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर/ वेट से संबंधित 90 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 1,237 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 365.51 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ दृष्टिगत हुई जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	398	117.22
2.	कर की गलत दर का लागू किया जाना	180	10.72
3.	कर योग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण	121	8.63
4.	मुजराई/कटौती/ कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	203	152.78
5.	अन्य अनियमिततायें	335	76.16
	<b>योग</b>	<b>1,237</b>	<b>365.51</b>

वर्ष के दौरान विभाग ने 551 प्रकरणों में राशि ₹ 122.70 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान लेखा परीक्षा में इंगित किया गया था । वर्ष 2009-10 के दौरान 107 प्रकरणों में राशि ₹ 2.11 करोड़ की वसूली की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 112.71 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

## 2.11 बंद इकाईयों से कर की वसूली न होना

दो क्षेत्रीय<sup>1</sup> तथा तीन वृत्त<sup>2</sup> कार्यालय

कर भुगतान से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाणपत्र धारक व्यवसाई को पात्रता अवधि के दौरान तथा पात्रता अवधि की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्षों की अवधि के लिए भी अपनी औद्योगिक इकाई को चालू रखना होगा, जिसमें असफल रहने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत जिला/ राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा। व्यवसाई द्वारा कर में ली गई छूट की राशि की वसूली भी की जावेगी। परिस्थितियों के अनुसार, ऐसा निरस्तीकरण भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।

जनवरी तथा अक्टूबर 2009 के मध्य हमने देखा कि दिसंबर 2007 एवं मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित, कर मुक्ति पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त छः व्यवसाईयों में से पांच व्यवसाई पात्रता अवधि के दौरान अपनी औद्योगिक इकाईयों को चालू रखने में विफल रहे थे, जबकि एक व्यवसाई ने पात्रता अवधि की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्षों

के भीतर अपनी इकाई को बंद कर दिया था। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ऐसे व्यवसाईयों के पात्रता प्रमाण पत्रों को निरस्त करवाने के लिए प्रकरण को जिला / राज्य स्तरीय समिति को भेजने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 2001-02 तथा 2005-06 की अवधि के मध्य व्यवसाईयों द्वारा लिए गए ₹ 102.28 करोड़ के कर लाभ की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन व्यवसाईयों के प्रकरण में बताया (मार्च तथा सितंबर 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण में यह बताया गया (अगस्त 2009) कि कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। एक अन्य प्रकरण में यह बताया गया (जनवरी 2009) कि कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के लिए उद्योग विभाग अधिकृत है। उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि समुचित कार्रवाई हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रकरण उद्योग विभाग को अग्रेषित क्यों नहीं किया गया। शेष रहे एक प्रकरण में माह अक्टूबर 2009 में यह बताया गया कि कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त नहीं किया जा सकता। उत्तर कर मुक्ति अधिसूचना में निर्धारित शर्त के अनुरूप नहीं है एवं कथन के समर्थन में कोई न्यायालयीन निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया।

<sup>1</sup> देवास तथा शाजापुर।

<sup>2</sup> ग्वालियर (2) तथा सागर।



हमने मार्च तथा नवंबर 2009 के मध्य प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

## 2.12 कर की गलत दर लागू किया जाना

छ: वृत्त<sup>3</sup> कार्यालय

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम) एवं म.प्र. वेट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर तथा वेट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है ।

हमने दिसम्बर 2004 तथा मार्च 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि 2001-02 से 2006-07 हेतु अप्रैल 2003 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित 11 व्यवसायों के प्रकरणों में ₹ 5.52 करोड़ के विक्रय टर्न ओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ब्याज/शास्ति सहित ₹ 94.50 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

( ₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम/ प्रकरणों की संख्या	कर निर्धारण अवधि	लागू दर/लागू की गई दर (प्रतिशत)	कर के कम आरोपण की राशि	प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/ आगामी प्रेक्षण
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त, वृत्त I, जबलपुर 01	2005-06	13.8 4.0	75.94	अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III की प्रविष्टि संख्या 50 के अंतर्गत, टावर्स पर 13.8 प्रतिशत की दर से कर देय है जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने टावर्स को लोहा तथा स्टील मानते हुए उसके विक्रय पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.94 लाख का कर कम वसूल हुआ ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसाई ने गेल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चरल्स का विनिर्माण तथा विक्रय किया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न क्रयकर्ता पक्षों के विक्रय अनुबंध तथा बैलेंस शीट से यह स्पष्ट था कि व्यवसाई ने टावर्स तथा उसके भागों/अवयवों का विक्रय किया था न कि

<sup>3</sup> ग्वालियर, इन्दौर IV तथा XIV, जबलपुर-I तथा III, नीमच ।



1	2	3	4	5	6	7
						गेल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रकचरल्स का । अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, परिक्षेत्र-II, जबलपुर ने भी इसकी पुष्टि की है ।
2.	वा.क.का., वृत्त VI, इन्दौर 01 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त III, जबलपुर 01	2006-07	12.5 4.0	4.66	म.प्र. वेट अधिनियम के अंतर्गत, बैटरी तथा इन्वर्टर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं । दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बैटरियों तथा इन्वर्टरों के विक्रय पर गलत ढंग से चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.66 लाख के कर का कम आरोपण हुआ ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि व्यवसाई ने यू.पी.एस. तथा मोबाइलों का विक्रय किया था जो चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं । उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है ।
3.	वा.क.का., वृत्त-XIV इन्दौर 01	2006-07	12.5 4.0	3.53	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. के परिपत्र दिनांक 31 जुलाई 2006 के अनुसार, एक्रीलिक शीट्स 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य हैं। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में एक्रीलिक शीट्स पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.53 लाख के कर का कम आरोपण हुआ ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि क्रय/विक्रय बिलों का सत्यापन करने के उपरांत कर आरोपित किया गया था । आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पूर्वोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए क्रय/विक्रय बिलों में प्रभारित दर भी गलत थी । अतः उत्तर मान्य नहीं है ।

1	2	3	4	5	6	7
4.	वा.क.का., वृत्त-II, नीमच 01	2001-02 2003-04 2004-05 2005-06	13.8 9.2	3.00	अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि संख्या 54 के अनुसार, टेलीविजन तथा इसके पार्ट्स पर 13.8 प्रतिशत की दर से कर देय है। एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने टी.वी. तथा उसके पार्ट्स के विक्रय पर गलत ढंग से 9.2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि चूंकि व्यवसाई कर मुक्ति पात्रता प्रमाणपत्र धारक था, अतः कर के कम आरोपण का राजकोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रसंगिक नहीं है क्योंकि कर निर्धारण प्राधिकारी की ओर से सही दर से कर न आरोपित किए जाने की चूक के परिणामस्वरूप पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कर मुक्ति की राशि के विरुद्ध कर के कम आरोपण की राशि का समायोजन न किए जाने की भी चूक हुई थी।
5.	वा.क.का., वृत्त III, जबलपुर 02	2001-02 2004-05	13.8 9.2	2.56	आर.सी.सी. पाइपों को सीमेंट पाइपों में शामिल किया जाता है जो अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि संख्या 17 के अंतर्गत 13.8 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। कर निर्धारण प्राधिकारी ने आर.सी.सी. पाइपों के दो व्यवसाईयों के प्रकरण में 13.8 प्रतिशत की बजाय 9.2 प्रतिशत की दर से	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि कर 9.2 प्रतिशत की दर से सही आरोपित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर.सी.सी. पाइपों का निर्माण सीमेंट से किया जाता है अतः इन्हें सीमेंट से बनी हुई वस्तुओं में शामिल किया जाता है जिनके लिए एक विशिष्ट प्रविष्टि है।

1	2	3	4	5	6	7
					कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.56 लाख के कर का कम आरोपण हुआ ।	
6.	वा.क.का., वृत्त-I, ग्वालियर 01	2004-05	13.8 4.6, 9.2	2.45	इमारती लकड़ी, प्लाई तथा सनमाइका को पैकिंग बॉक्स मानते हुए इनके विक्रय पर 4.6/9.2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था जो सही नहीं था, क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट था कि व्यवसायी द्वारा इमारती लकड़ी, प्लाई एवं सनमाइका का अलग-अलग विक्रय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.45 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसाई ने पैकिंग बॉक्स का निर्माण एवं विक्रय किया था । उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है ।
7.	वा.क.का., वृत्त III, जबलपुर 01	2004-05	9.2 4.6	1.71	एल.सी.ओ. अनुसूची -II के भाग IV के अंतर्गत अनिर्दिष्ट वस्तु होने के कारण 9.2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है । तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने 4.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 लाख का कम आरोपण हुआ ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसाई ने एल. सी.ओ. का विक्रय किया था न कि भारी क्रियोसोट ऑयल का। आयुक्त, वाणिज्यिक कर के दिनांक 1 अगस्त 1998 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रासंगिक नहीं है । आदेश में उल्लेख है कि एल.सी.ओ. 9.2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ।



1	2	3	4	5	6	7
8.	वा.क.का., वृत्त-III, जबलपुर 01	2006-07	9.2 4.6	0.65	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2002 के अनुसार, क्राफ्टपेपर सभी प्रकार के पेपरों में शामिल किया जाता है तथा यह 9.2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने क्राफ्टपेपर के विक्रय पर 4.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64,847 का कम आरोपण हुआ।	हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि क्राफ्ट पेपर पैकिंग के उद्देश्य हेतु विक्रय किया था, इसलिए 4.6 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया कर सही था। आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पूर्वोक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।
	योग			94.50		

हमने मार्च 2005 तथा जनवरी 2010 के मध्य प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

### 2.13 कर का अनारोपण/ कम आरोपण

#### 2.13.1 चार क्षेत्रीय<sup>4</sup> तथा पाँच वृत्त<sup>5</sup> कार्यालय

अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसाई, जो अपने व्यापार के दौरान ऐसी वस्तुओं (माल) का क्रय करता है जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है और यदि ऐसे क्रय के पश्चात वस्तुओं(माल) का उपयोग अथवा खपत विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में या पैकिंग के लिये करता है, तो वह अनुसूची III में उल्लिखित वस्तुओं (मालों) को छोड़कर, ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर चार प्रतिशत की रियायती दर या निर्धारित निम्नतर दर से क्रय कर के भुगतान का दायी होगा।

हमने फरवरी 2008 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि 2003-04 से 2005-06 तक की अवधियों के लिये जनवरी 2007 और मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित 11 व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 13.01 करोड़ मूल्य की वस्तुओं पर क्रय कर या तो आरोपित नहीं

<sup>4</sup> भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर तथा सतना।

<sup>5</sup> ग्वालियर (2), इन्दौर तथा उज्जैन (2)।

किया गया गया था अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार ₹ 37.75 लाख की न्यूनतम शास्ति/ब्याज सहित राशि ₹ 1.94 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हमारा प्रेक्षण	क्रय मूल्य	लागू कर की दर (प्रतिशत)	कर के अनारोपण/ कम आरोपण की राशि (शास्ति / ब्याज)
1	2	3	4	5
1.	एक व्यवसाई के प्रकरण में, अनुसूची – III में निर्दिष्ट हाई स्पीड डीजल पर अनुचित रूप से निर्धारित दर के स्थान पर 4.6 प्रतिशत (अधिभार सहित) की रियायती दर से क्रय कर आरोपित किया गया था ।	5.52	28.75	1.33
कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर प्रतीक्षित है ।				
2.	नौ व्यवसाइयों के प्रकरणों में बिना कर चुकाए क्रय किये गये कच्चे माल/पैकिंग सामग्री पर, जिन्हें विक्रय हेतु अन्य मालों के निर्माण में/पैकिंग के लिये उपयोग किया गया था, क्रय कर आरोपित नहीं किया गया था ।	3.61 2.82 0.10	4.6 1 4	0.20 (0.38)
कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दो व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 3.97 लाख की मांग सृजित की (जनवरी 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य), जिसमें से ₹ 2.82 लाख कर मुक्ति पात्रता की संचयी राशि के विरुद्ध समायोजित किए गए (फरवरी 2010), जबकि चार व्यवसाइयों के प्रकरणों में यह बताया गया (नवंबर 2008 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी । एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2008) कि क्रय की गई वस्तुओं पर कर का भुगतान किया गया था । इस उत्तर से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि विक्रेता व्यवसाइयों के अभिलेखों से सत्यापन करने पर हमने पाया कि क्रेता व्यवसाई द्वारा घोषणा-पत्रों पर बिना कर चुकाए वस्तुएँ क्रय की गई थीं । एक प्रकरण में यह बताया गया (अक्टूबर 2009) कि पैकिंग सामग्री पर क्रय कर आरोपणीय नहीं है । उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर प्रतीक्षित है ।				
3.	एक व्यवसायी ने बिना कर चुकाये घी का क्रय किया और उसे आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त किया । इस प्रकार निर्मित औषधियों में से 51 प्रतिशत का विक्रय नहीं किया गया और उन्हें अन्य राज्यों को स्थानांतरित किया गया । तदनुसार इस प्रकार क्रय किए गए घी के स्टॉक के 51 प्रतिशत पर निर्धारित पूर्ण दर से क्रय कर की देयता थी लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने उस पर 4.6 प्रतिशत की रियायती दर से क्रय कर आरोपित किया ।	0.96	8	0.03
कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 4,01,717 को कर मुक्ति पात्रता की संचयी राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया (जून 2010) ।				



2.13.2 दो क्षेत्रीय<sup>6</sup> तथा पांच वृत्त<sup>7</sup> कार्यालय

अधिनियम में विक्रय हेतु कर मुक्त वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं (माल) के विक्रय पर चार प्रतिशत की रियायती दर से कर के आरोपण का प्रावधान है, लेकिन यदि क्रेता व्यवसायी क्रय की गयी वस्तुओं को निर्दिष्ट उद्देश्य के विपरीत उपयोग में लाता है तो उसे ऐसे माल पर निर्धारित पूर्ण दर तथा रियायती दर के अंतर के बराबर की दर से कर का भुगतान करना होगा ।

हमने मार्च 2008 तथा दिसम्बर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि 2003-04 से 2006-07 के लिये अक्टूबर 2006 तथा जनवरी 2009 के मध्य कर निर्धारित सात व्यवसायियों के प्रकरणों

में, जैसा निम्न तालिका में दर्शाया गया है, ₹ 31.74 लाख के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	हमारा प्रेक्षण	कर के अनारोपण/कम आरोपण की राशि	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान व्यवसाई ने 4.6 प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान कर कुल ₹ 1.17 करोड़ मूल्य का शीरा क्रय किया तथा उसका उपयोग कर-मुक्त मदिरा के निर्माण में किया परंतु निर्मित शराब का विक्रय न करते हुए उसका स्थानांतरण अन्य राज्यों को कर दिया गया । चूंकि शीरे से निर्मित माल के विक्रय का उद्देश्य/शर्त ही विफल हो चुकी थी, अतः शीरे पर रियायती दर के स्थान पर पूर्ण दर 23 प्रतिशत से कर आरोपणीय था । लेकिन शीरे	21.45	वर्ष 2004-05 के प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी(नवंबर 2008) ।  वर्ष 2005-06 के प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि निर्मित वस्तु (मदिरा) कर मुक्त थी (अक्टूबर 2009) ।	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है ।  चूंकि हमारे द्वारा कच्चे माल (शीरा) पर क्रय कर के कम भुगतान/कम आरोपण पर आपत्ति ली

<sup>6</sup> रतलाम तथा सतना ।

<sup>7</sup> भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर (2) तथा सतना ।



1	2	3	4	5
	पर 18.4 प्रतिशत की अंतर दर से कर का भुगतान न तो व्यवसाई द्वारा किया गया और न ही कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसे आरोपित किया गया ।			गई है न कि निर्मित माल (मदिरा) पर। अतः क्रय से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रासंगिक नहीं है।
2.	तीन व्यवसाईयों के प्रकरण में, कर की गणना में त्रुटि की गई थी ।	3.16	सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। (जनवरी और दिसम्बर 2009 के मध्य)	एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. ने सूचित किया (नवंबर 2010) कि ₹ एक लाख जमा हो गया था। अन्य दो प्रकरणों के बारे में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है।
3.	पूर्ण कर मुक्ति की पात्रता प्राप्त इकाईयों को स्पेयर पार्ट्स एवं इलेक्ट्रोड्स के विक्रय पर व्यवसाई को ₹ 33.37 लाख की कटौती की छूट प्रदान की गई थी, संवीक्षा में पाया गया कि संबंधित अवधि के दौरान पूर्वोक्त वस्तुओं का विक्रय ही नहीं किया गया था । इस प्रकार कटौती की गलत छूट दिये जाने से 9.2 प्रतिशत की दर से ₹ 3.07 लाख का कर प्रभावित हुआ ।	3.07	सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। (मार्च 2008) ।	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5
4.	यद्यपि पानी की टंकी 4.6 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ₹ 60.82 लाख मूल्य की पानी की टंकियों के विक्रय पर कर आरोपित करने में विफल रहे ।	2.80	कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 2.80 लाख की मांग सृजित कर उसे कर मुक्ति की छूट की संचयी राशि में समायोजित किया (दिसंबर 2008) ।	—
5.	अधिसूचना दिनांक 4 मई 2000 के अंतर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 27.56 लाख की इलेक्ट्रिकल वस्तुओं के विक्रय पर 4.6 प्रतिशत की रियायती दर से कर के आरोपण की अनुमति प्रदान की गई । संवीक्षा में पाया गया कि उक्त अधिसूचना इस निर्धारित व्यवसाई के प्रकरण में लागू नहीं थी । इसके फलस्वरूप 4.6 प्रतिशत की अंतर दर से ₹ 1.26 लाख का कर कम वसूल हुआ ।	1.26	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.26 लाख की मांग सृजित की गई (अप्रैल 2009) ।	वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं ।

हमने प्रकरण मार्च 2006 तथा जनवरी 2010 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

#### 2.14 गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण

छ: क्षेत्रीय<sup>8</sup> तथा ग्यारह वृत्त<sup>9</sup> कार्यालय

अधिनियम तथा मध्य प्रदेश वेट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उनके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से पूर्ण कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरें निर्धारित की गई हैं ।

हमने जनवरी 2008 तथा नवम्बर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि 2000-01 से 2006-07 के लिये जनवरी 2007 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित 21 व्यवसाइयों के 26 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर योग्य वस्तुओं जैसे उच्च घनत्व पॉली एथीलीन (एच.डी.पी.ई.)/ पॉली प्रोपीलीन (पी.पी.) फेब्रिक्स, आयुर्वेदिक दवाईयां,

<sup>8</sup> इन्दौर (5) तथा जबलपुर ।

<sup>9</sup> भोपाल, ग्वालियर (2), इन्दौर (5), जबलपुर (2) तथा उज्जैन ।



कॉटन बैण्डेज इत्यादि के ₹ 39.41 करोड़ की विक्रय राशि को गलत ढंग से कर मुक्त या कर से छूट प्राप्त मानते हुए उस पर कर का आरोपण नहीं किया । इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.20 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यवसायों की संख्या प्रकरणों की संख्या	वस्तु का नाम	विक्रय का प्रकार	टर्न ओवर	लागू कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित कर की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	14 18	एचडीपीई/ पीपी फ़ैब्रिक्स	प्रांत के भीतर अंतर्राज्यीय (बिना सी फार्म के) अंतर्राज्यीय (सी फार्म सहित)	3042.93 571.43 37.61	4.6 10 4	198.63
<p>दो व्यवसायों के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी । चार व्यवसायों के प्रकरण में यह बताया गया (फरवरी तथा नवंबर 2009 के मध्य) कि एचडीपीई फ़ैब्रिक एक प्रकार का कपड़ा है जो अधिनियम की अनुसूची-एक के अधीन कर मुक्त है । दो व्यवसायों के प्रकरण में यह बताया गया (अक्टूबर तथा नवंबर 2009) कि आयुक्त, विक्रय कर, म.प्र. के द्वारा निरसित म.प्र. सा. वि. क. अधिनियम की धारा 42-बी के अंतर्गत जारी आदेश में एच.डी.पी.ई फ़ैब्रिक को एक प्रकार का कपड़ा माना गया है । हम कर निर्धारण प्राधिकारियों के कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि म.प्र. उच्च न्यायालय<sup>10</sup> द्वारा निर्णीत किया गया है कि एचडीपीई फ़ैब्रिक कपड़ा नहीं है अपितु यह प्लास्टिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है । छः व्यवसायों के प्रकरण में यह बताया गया (फरवरी तथा नवंबर 2009 के मध्य) कि एचडीपीई फ़ैब्रिक अधिसूचना क्र. 68 दिनांक 24 अगस्त 2000 के अंतर्गत कर मुक्त है । उत्तर सही ढंग से कथित अधिसूचना की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि इस अधिसूचना द्वारा सभी प्रकार के कपड़ों को कर मुक्त किया गया है न कि एचडीपीई फ़ैब्रिक को, जो एक प्लास्टिक वस्तु है ।</p>						
2.	01 02	आलू खपटा <sup>11</sup>	प्रांत के भीतर अंतर्राज्यीय (बिना सी फार्म के)	17.00 95.35	4 10	10.22
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।</p>						
3.	01 01	रासायनिक उर्वरक	प्रांत के भीतर	110.35	4.6	5.08
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अप्रैल 2008) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।</p>						
4.	02 02	कॉटन रोल्ड/ गेज बैंडेज	प्रांत के भीतर	35.75	9.2	3.29
<p>एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 2008) कि कॉटन बैंडेज के अलावा व्यवसाई द्वारा खुला कपड़ा भी विक्रय किया गया जो अधिनियम की अनुसूची एक के अंतर्गत कर मुक्त है । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यवसाई के पंजीयन प्रमाण पत्र से सत्यापन करने पर हमने पाया कि</p>						

<sup>10</sup> मैसर्स राज पैक वैल लि. बनाम भारत संघ [1990(50) - ई एलटी - 201 (म.प्र.)] ।

<sup>11</sup> आलू के चिप्स ।

1	2	3	4	5	6	7
उसका व्यवसाय रोल्ड/गेज बैंडेज के निर्माण एवं विक्रय का है, जिसके लिए 'कपड़ा' कच्चे माल के रूप में दर्ज था। एक अन्य प्रकरण में यह बताया गया (मई 2009) कि व्यवसायी ने कपड़े को ऐसे ही उससे कोई माल तैयार किये बिना बेचा। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यवसाई के लेखापरीक्षित निर्माण खाते की समीक्षा में हमने पाया कि वह कॉटन, केमिकल, ईंधन आदि की खपत/प्रोसेसिंग द्वारा कॉटन बैंडेज के उत्पादन में संलग्न था।						
5.	01 01	सिल्क साड़ियाँ	प्रांत के भीतर	7.88	13.8	1.09
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।						
6.	01 01	रेडीमेड गारमेन्ट्स	प्रांत के भीतर	16.87	4	0.98
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितम्बर 2008) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।						
7.	01 01	आयुर्वेदिक दवाईयाँ	प्रांत के भीतर	6.03	9.2	0.55
कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2008) कि व्यवसाई द्वारा जीवन रक्षक दवाओं का विक्रय किया गया था जो अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2001 के अनुसार कर मुक्त हैं। उत्तर में कथित अधिसूचना की सही व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक दवायें जीवन रक्षक दवाओं के रूप में शामिल नहीं हैं।						

हमने प्रकरण अप्रैल 2008 तथा जनवरी 2010 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

### 2.15 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

ग्यारह क्षेत्रीय<sup>12</sup> तथा अठारह वृत्त<sup>13</sup> कार्यालय

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

मई 2008 तथा दिसंबर 2009 के मध्य हमने अवलोकित किया कि 2004-05 से 2006-07 तक की अवधियों हेतु जुलाई 2007 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित/पुनर्निर्धारित 36 व्यवसाइयों के प्रकरणों

में ₹ 61.71 करोड़ मूल्य के धागे, दालों, प्लांट एवं मशीनरी, मोटर वाहनों, हाई स्पीड डीजल, कोयला, फरनेस ऑयल, इमारती लकड़ी इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था।

<sup>12</sup> छिंदवाड़ा, गुना, इन्दौर, इटारसी, जबलपुर, मंदसौर, सागर, सतना (3) तथा उज्जैन।

<sup>13</sup> छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर (3), इन्दौर (4), जबलपुर (2), कटनी, नौगाँव, नीमच, सागर, शहडोल तथा उज्जैन (2)।



इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.84 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 92.81 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा दो व्यवसाइयों के प्रकरणों में ₹ 1.93 लाख वसूल किये गये (सितंबर तथा दिसंबर 2009) । एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. ने सूचित किया (नवम्बर 2010) की ₹ 81,993 की माँग इतनी ही राशि की शास्ति सहित सृजित की जा चुकी थी । 24 व्यवसाइयों के प्रकरणों में यह बताया गया (मई 2008 तथा दिसंबर 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी । शेष नौ व्यवसाइयों के प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणी निम्नानुसार है :

क्र. सं.	इकाई का नाम प्रकरणों की संख्या	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	वा.क.का. I उज्जैन 01	तुअर (दलहन)	1 जून 2004 से 31 मार्च 2005 के दौरान क्रय की गई दलहन प्रवेश कर से मुक्त की गई थी (फरवरी 2009) ।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2002 द्वारा दलहन को प्रवेश कर से दी गई छूट 31 मई 2004 तक ही प्रभावी थी ।
2.	वा.क.का. III, ग्वालियर 01 क्षे.सहा.आयु., मंदसौर 01	कच्चा माल तथा आनुषंगिक वस्तुएँ	माल का प्रवेश रेलवे की भूमि पर स्थित कारखाने में हुआ तथा विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों <sup>14</sup> के अनुसार रेलवे साइडिंग्स स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती हैं । इसलिए प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था (नवंबर 2008 तथा मार्च 2010) ।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कथित निर्णयों में, रेलवे साइडिंग स्थानीय क्षेत्र में क्यों सम्मिलित नहीं हैं, विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है । तथापि म.प्र. राजस्व बोर्ड ने अपने दो निर्णयों <sup>15</sup> में सुस्पष्ट तौर पर सुनिश्चित किया है कि रेलवे साइडिंग तथा रेलवे लाइन स्थानीय क्षेत्र में आते हैं ।

<sup>14</sup> मैसर्स जय प्रकाश ऐसोसियेट्स लि. बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य [(2006) – 8 एस.टी.जे. – 415]

मैसर्स नवल इस्पात उद्योग, खरसिया बनाम के.वि.क., एम.पी. [(1990) 23 वी.के.एन. 537]

<sup>15</sup> मैसर्स सिमिकल इंजीनियरिंग कं. बनाम अपीलीय उपायुक्त वा.क. [(2004) 4 एस.टी.जे. 519]

मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लि. बनाम आ.वा.क. [(2002) 35 वी के एन 50]

1	2	3	4	5
3.	क्षे.सहा.आयु., <u>सतना</u> 01 वा.क.का. II <u>नीमच</u> 01	ट्रैक्टर	अधिनियम की अनुसूची एक की प्रविष्टि सं. 9 के अनुसार, ट्रैक्टर प्रवेश कर से मुक्त है (जनवरी तथा जुलाई 2009)।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिनियम की अनुसूची एक में संबंधित अवधियों के दौरान कोई प्रविष्टि नहीं थी।
4.	वा.क.का. III, <u>ग्वालियर</u> 01	ट्रैक्टर	अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2002 के अंतर्गत ट्रैक्टर पार्ट्स प्रवेश कर से मुक्त हैं (अक्टूबर 2009)।	उत्तर सुस्पष्ट नहीं है क्योंकि हमारा प्रेक्षण ट्रैक्टरों के बारे में है न कि ट्रैक्टर पार्ट्स के बारे में। साथ ही ट्रैक्टर कथित अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
5	वा.क.का. XIII, <u>इंदौर</u> 01	धागा (यार्न)	कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु क्रय किया हुआ यार्न अधिसूचना दिनांक 6 सितंबर 2001 के अंतर्गत प्रवेश कर से मुक्त था (अक्टूबर 2009)।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना दिनांक 6 सितंबर 2001 यार्न के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की कर मुक्ति हेतु है न कि स्वयं यार्न हेतु।
6.	क्षे.सहा.आयु., <u>इटारसी</u> 01	एचएसडी	व्यवसाई द्वारा लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) का क्रय किया गया था जो डीजल से भिन्न है, इसलिए अधिसूचना दिनांक 26 दिसंबर 2001 के अंतर्गत बढ़ी हुई दर से प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था (नवंबर 2009)	हालांकि तथ्य यह है कि अधिसूचना दिनांक 26 दिसंबर 2001 में उल्लिखित शब्द 'डीजल' में एलडीओ एवं एचएसडी, दोनों ही शामिल हैं।
7.	वा.क.का. VI, <u>इंदौर</u> 01	एचडीपीई तथा एलडीपीई	कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु क्रय किया गया एचडीपीई/ एलडीपीई पर प्रवेश कर चुकाया गया था (जून 2009)।	तथ्य यह दर्शाते हैं कि उपभोग (खपत) हेतु क्रय किया गया एचडीपीई/एलडीपीई अधिनियम की अनुसूची तीन के अंतर्गत आते हैं जिन्हें प्रवेश कर चुका नहीं माना जा सकता।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को मई 2008 तथा जनवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010)।



## 2.16 वृत्ति कर की वसूली न होना

म.प्र. वृत्ति कर अधिनियम, 1995 के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश में स्वयं अथवा किसी एजेन्ट अथवा किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यापार को संचालित करता है अथवा कृषि को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय अथवा पेशा करता है, अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट दर से वृत्ति कर के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि कर का भुगतान करने हेतु दायी ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वृत्तिकर निर्धारण प्राधिकारी से एक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग के 30 वृत्त कार्यालयों<sup>16</sup> से प्राप्त जानकारी का (i) राज्य आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अनुज्ञप्तिधारकों, सिनेमा घरों, वीडियो पार्लरों तथा केबिल ऑपरेटरों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचियों (ii) कस्टम एवं केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्यूटी पार्लरों की सूची के साथ प्रति-सत्यापन में हमें पता चला कि वर्ष 2003-04 से 2008-09 हेतु 3,682 व्यक्ति वृत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयत नहीं थे, यद्यपि वे वृत्ति कर का भुगतान करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,000 से लेकर ₹ 2,500 प्रतिवर्ष की दर से ₹ 76.94 लाख के वृत्ति कर की प्राप्ति नहीं हुई।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को मार्च 2010 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010)।

<sup>16</sup> वा.क.का., इन्दौर (15); वा.क.का., ग्वालियर (4); वा.क.का., उज्जैन (3); वा.क.का., मंदसौर (2); वा.क.का., नीमच (2); वा.क.का., सागर (2); वा.क.का., शाजापुर तथा वा.क.का., टीकमगढ़।

### 2.17 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

पांच क्षेत्रीय कार्यालय<sup>17</sup> तथा दो वृत्त कार्यालय<sup>18</sup>

अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण, कर चुकी वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग में सम्मिलित कर की राशि को टर्नओवर से घटाने के बाद किया जाता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि ऐसी भूल के कारण, जिसके लिए निर्धारिती उत्तरदायी है, अवनिर्धारण होने की स्थिति में कम निर्धारित कर राशि से अनधिक शास्ति आरोपणीय है तथा निर्धारित द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, शास्ति की राशि अपवंचित कर की राशि के पांच गुना से अनधिक होगी।

**2.17.1** सितंबर 2008 तथा नवंबर 2009 के मध्य हमने अवलोकित किया कि जून 2007 तथा मार्च 2009 के मध्य अवधि 2004-05 तथा 2005-06 के लिए कर निर्धारित पाँच व्यवसायों के करयोग्य टर्नओवर

का निर्धारण करते समय चार व्यवसायों को ₹ 2.40 करोड़ मूल्य की कर चुकी वस्तुओं के विक्रय की कटौती की अनुमति दी गई थी जो अनुमत्य नहीं थी, क्योंकि व्यवसायों द्वारा अपंजीयत व्यवसायों/राज्य के बाहर किसी स्थान से क्रय किया गया कथित माल कर चुके माल (वस्तुओं) की श्रेणी में नहीं आता। एक व्यवसाय के प्रकरण में कर चुके विक्रय की अनुमत्य राशि से ₹ 12 लाख अधिक कटौती की अनुमति गलत ढंग से दी गई। इस प्रकार ₹ 2.52 करोड़ के कर योग्य टर्न ओवर का कम निर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.58 लाख की अधिकतम शास्ति सहित ₹ 21.39 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यवसायों के प्रकरण में बताया (सितंबर 2008 तथा नवंबर 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। एक प्रकरण में यह बताया गया (मई 2009) कि कर चुके विक्रय की कटौती की छूट सत्यापन के पश्चात् दी गई थी। कर निर्धारण प्राधिकारी का कथन सही नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि बेचा गया माल जिस व्यवसाय से क्रय किया गया था, वह उस अवधि में पंजीयत नहीं था।

**2.17.2** जनवरी तथा दिसंबर 2009 के मध्य दो क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>19</sup> तथा तीन वृत्त कार्यालयों<sup>20</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि जनवरी 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य अवधि 2003-04 से 2006-07 हेतु कर निर्धारित किए गए पांच व्यवसायों में से, चार व्यवसायों

<sup>17</sup> इन्दौर (3), मुरैना तथा सतना।

<sup>18</sup> इन्दौर तथा जबलपुर।

<sup>19</sup> इन्दौर तथा सतना।

<sup>20</sup> गुना, इन्दौर तथा बैदन।



के प्रकरण में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षित पुस्तकों/स्टॉक विवरण पत्रक में अभिलेखित ₹ 6.91 करोड़ के कुल विक्रय के विरुद्ध टर्नओवर ₹ 6.21 करोड़ निर्धारित किया गया था । जबकि एक प्रकरण में व्यवसाई ने जानबूझकर अपनी लेखापुस्तकों में प्रारंभिक स्टॉक को ₹ 53 लाख के स्थान पर ₹ 35 लाख गलत दर्शाया था । इस प्रकार कुल ₹ 89 लाख का टर्न ओवर कर निर्धारण से छूट गया था तथा उसके परिणामस्वरूप ₹ 6.75 लाख की न्यूनतम शारित सहित ₹ 13.92 लाख के कर का अनारोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. ने सूचित किया (नवम्बर 2010) कि ₹ 1.78 लाख की माँग इतनी ही राशि की शारित सहित सृजित की गई थी जबकि शेष प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी एवं दिसम्बर 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।

**2.17.3** जनवरी तथा नवंबर 2009 के मध्य दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि अवधि 2004-05 तथा 2005-06 के लिए जनवरी 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 2 करोड़ के कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.86 लाख के कर का निम्न दर्शाये अनुसार आरोपण नहीं हुआ :

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/ हमारी टिप्पणी
1	2	3	4
1.	क्ष.सहा.आ., सतना	यद्यपि ₹ 99.29 लाख का विक्रय कुल टर्न ओवर का भाग नहीं था परंतु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसकी कटौती की गलत ढंग से छूट दे दी गई । इस प्रकार कर योग्य टर्न ओवर ₹ 99.29 लाख कम निर्धारित हुआ । इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.57 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।
2.	क्ष.सहा.आ., सतना	कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 43.38 लाख मूल्य के कनवेयर बेल्ट मटेरियल तथा रीट्रीडिंग मटेरियल को खपत योग्य सामग्री मानते हुए उसके मानद विक्रय की राशि की कटौती की अनुमति प्रदान की । यह सही नहीं था क्योंकि रीट्रीडिंग की प्रक्रिया के दौरान सामग्री अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करती है । इस प्रकार ₹ 43.38 लाख के कर योग्य टर्न ओवर का कम निर्धारण हुआ । इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.99 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 2009) कि सुधारने की प्रक्रिया के दौरान कनवेयर बेल्ट सॉल्यूसन अपनी पहचान समाप्त कर देता है । उत्तर हमारे विचार के संबंध में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेक्षण कनवेयर बेल्ट मटेरियल तथा रीट्रीडिंग मटेरियल के बारे में है, न कि कनवेयर बेल्ट सॉल्यूसन के बारे में ।

1	2	3	4
3.	वा.क.का., वृत्त X, इन्दौर	कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवसाई द्वारा क्रेडिट नोट्स के माध्यम से दर अंतर के लिए दी गई डिसकाउंट की राशि ₹ 57.51 लाख की कटौती की छूट दी थी, जो गलत थी क्योंकि ऐसे डिसकाउंट को नकद डिसकाउंट नहीं माना जा सकता था । इस प्रकार व्यवसायी का कर योग्य टर्न ओवर ₹ 57.51 लाख कम निर्धारित किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 लाख के कर का अनारोपण हुआ ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (नवंबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।

**2.17.4** दिसंबर 2007 एवं नवंबर 2009 के मध्य चार क्षेत्रीय<sup>21</sup> कार्यालयों तथा दो वृत्त<sup>22</sup> कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि अवधि 2000–01 से 2001–02 तथा 2003–04 से 2005–06 के लिये दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2009 के मध्य कर निर्धारित सात व्यवसाईयों के प्रकरण में, यद्यपि सकल विक्रय राशि में कर की राशि शामिल नहीं थी तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर योग्य टर्न ओवर के निर्धारण के समय कर की राशि की छूट टर्न ओवर में से दे दी । इसके फलस्वरूप ₹ 21,000 की न्यूनतम शास्ति सहित ₹ 7.35 लाख के कर का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, दो व्यवसाईयों के प्रकरण में ₹ 80,132 की कर राशि कर मुक्ति की पात्रता राशि में समायोजित की गई (दिसंबर 2008 तथा नवम्बर 2010) जबकि एक अन्य प्रकरण में ₹ 1.05 लाख की वसूली की गई (नवंबर 2008 तथा जून 2009 के मध्य) ।

तीन व्यवसाईयों के प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (फरवरी तथा नवंबर 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी । शेष एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2009) कि दी गई छूट उचित थी । उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सकल टर्न ओवर का निर्धारण करने के लिए, कर की राशि को कुल प्राप्तियों से कम किया गया था तथा कर योग्य टर्न ओवर के निर्धारण के समय इस प्रकार निर्धारित सकल टर्न ओवर में से कर की राशि को पुनः कम कर दिया गया । इस प्रकार हमने पाया कि यहां दो बार छूट दी गई थी जो उचित नहीं थी ।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को मार्च 2008 तथा जनवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010) ।

<sup>21</sup> ग्वालियर, इन्दौर, इटारसी तथा सागर ।

<sup>22</sup> सागर तथा वैधन ।



### 2.18 मुजराई की गलत स्वीकृति

एक क्षेत्रीय तथा दो वृत्त कार्यालय

जब एक पंजीकृत व्यवसाई कोई भी ऐसी कर प्रदत्त वस्तुएं क्रय करता है जो पंजीयन प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उसके कच्चे माल अथवा अनुषांगिक माल के रूप में दर्ज हों तथा उनकी खपत या उपयोग विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है तो वह ऐसी क्रय की गई वस्तुओं की मात्रा के मूल्य पर कर की पूर्ण दर तथा चार प्रतिशत की रियायती दर अथवा अन्य अधिसूचित रियायती दर के बीच अंतर के बराबर की दर से मुजराई का हकदार होगा। अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 1995 के अनुसार किसी भी श्रेणी के लोहा एवं इस्पात के लिए, जो समान श्रेणी अथवा किसी अन्य श्रेणी के लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल की तरह उपयोग किया गया हो, ऐसी अन्य रियायती दर शून्य होगी।

दिसंबर 2008 तथा दिसंबर 2009 के मध्य हमने पाया कि अवधि 2004-05 तथा 2005-06 हेतु जून 2007 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित चार व्यवसाईयों को ₹ 9.14 लाख की मुजराई की गलत छूट निम्न दर्शाये अनुसार

दी गई थी:

क्र. सं.	इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण (संक्षेप में)	विभाग का उत्तर/ हमारी टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	क्षे.सहा.आ., इंदौर 01	2005-06 मार्च 2009	अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 1995 के अंतर्गत कर चुका कापर बार/रॉडस का अन्य माल के निर्माण में उपयोग पर ₹ 6.26 लाख की मुजराई स्वीकृत की गई। यह सही नहीं था क्योंकि कापर बार/राड उक्त अधिसूचना में शामिल नहीं हैं।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जून 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

1	2	3	4	5
2.	वा.क.का. वृत्त III, जबलपुर 02	2005-06 जनवरी 2009	व्यवसाई द्वारा कर चुका सीमेंट का उपयोग अन्य माल के निर्माण में न करते हुए उसे म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड को स्थानांतरित किया गया जिस पर ₹ 1.90 लाख की गलत मुजराई स्वीकृत की गई ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (नवंबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।
3.	वा.क.अ. वृत्त I, जबलपुर 01	2004-05 जून 2007 2005-06 सितंबर 2009	कर चुके फर्नेश ऑईल पर जो व्यवसाई के पंजीयन प्रमाण पत्र में कच्चे माल या अनुषांगिक माल के रूप में दर्ज नहीं था, ₹ 98,000 की गलत मुजराई स्वीकृत की गई ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसंबर 2008) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को मार्च 2009 तथा जनवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010) ।

### 2.19 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति

तीन क्षेत्रीय कार्यालय तथा तीन वृत्त कार्यालय

म.प्र. वेट अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई पंजीयत व्यवसाई किसी अन्य पंजीयत व्यवसाई से आगत कर का भुगतान करते हुए भाग III में दर्ज माल को छोड़कर कोई ऐसा माल जो अनुसूची II में दर्ज है, क्रय करता है, आगत कर छूट प्राप्त करने का हकदार होगा । अधिनियम में यह भी प्रावधानित है कि एक व्यवसाई द्वारा 1 अप्रैल 2005 को या उसके पश्चात् कोई कच्चा माल जो कर चुका हो, क्रय किया गया है तथा 1 अप्रैल 2006 को उसके शेष स्टॉक को विक्रय हेतु किसी अन्य माल के निर्माण में खपत या उपयोग के लिए रखा गया हो तब भी वह आगत कर की छूट का पात्र होगा ।

मई तथा दिसंबर 2009 के मध्य हमने पाया कि छः व्यवसाइयों को निम्नानुसार ₹ 30.28 लाख की आगत कर छूट की अमान्य स्वीकृति प्रदान की गई थी :



क्र. सं.	लेखा परीक्षित इकाई का नाम व्यवसायों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण/ आदेश का माह	हमारा प्रेक्षण
1	2	3	4
1.	वा.क.का.वृत्त V, भोपाल 01 वा.क.का., बैतूल 01 क्षे.सहा.आ., इंदौर 01	2006-07 अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009	व्यवसायों द्वारा ₹ 37.89 करोड़ का माल आगत कर ₹ 1.65 करोड़ का भुगतान कर क्रय किया गया । तथापि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलत गणना कर ₹ 1.85 करोड़ के आगत कर की छूट उक्त क्रय मूल्य पर प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.76 लाख की अमान्य आगत कर छूट प्रदान की गई ।
<p>एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (दिसंबर 2009) । शेष दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (सितंबर तथा नवंबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।</p>			
2.	क्षे.सहा.आ., इंदौर 01	वेट अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत जुलाई 2006 में आदेश पारित	लेखा वर्ष 2005-06 में व्यवसाई द्वारा ₹ 8.51 करोड़ का विस्कोस फायबर क्रय किया गया था जिस पर मुजराई दी गई थी। इसका तात्पर्य है कि संबंधित माल वर्ष 2005-06 के दौरान निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त हुआ था एवं तदनुसार व्यवसाई के लेखों में 1 अप्रैल 2006 को यह माल स्टॉक में नहीं था । तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उक्त ₹ 8.51 करोड़ की क्रय राशि में शामिल ₹ 1.93 करोड़ के विस्कोस फायबर पर ₹ 7.73 लाख की आगत कर की छूट प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.73 लाख की अमान्य आगत कर की छूट प्रदान की गई ।
<p>हमारे प्रेक्षण के उत्तर में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मई 2009) कि आगत कर की छूट उचित सत्यापन के पश्चात प्रदान की गई थी । उत्तर व्यवसाई के वर्ष 2005-06 के कर निर्धारण आदेश में दर्ज तथ्यों के विपरीत है ।</p>			

1	2	3	4
3.	क्षे.सहा.आ., छिंदवाड़ा, 01	2006-07 नवंबर 2008	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 18.09 लाख मूल्य के केडबरी उत्पादों पर ₹ 2.26 लाख के आगत कर की छूट प्रदान की गई थी । यह सही नहीं थी क्योंकि केडबरी उत्पादों का क्रय/ विक्रय संबंधित अवधि के लेखापरीक्षित तथा प्रमाणित व्यापार खातों में लेखाबद्ध नहीं था ।
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसंबर 2009) कि व्यवसाई द्वारा आगत कर का भुगतान कर माल क्रय किया गया था अतएव आगत कर की छूट दी गयी थी । उत्तर में यह स्पष्ट नहीं है कि लेखापरीक्षित व्यापार खाते में अभिलेखित क्रय में सम्मिलित नहीं किए गए माल पर आगत कर की छूट किस आधार पर प्रदान की गई थी ।</p>			
4.	वा.क.का. वृत्त II, उज्जैन 01	2006-07 जनवरी 2009	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इमारती लकड़ी पर ₹ 53,000 के आगत कर की गलत छूट दी गई थी । इमारती लकड़ी अधिनियम की अनुसूची II के भाग III में निर्दिष्ट होने के कारण उस पर आगत कर की छूट देय नहीं है ।
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2009) कि व्यवसाई द्वारा लकड़ी का क्रय कर भुगतान के बाद ही किया गया था तथा उसका उपयोग फर्नीचर के निर्माण में किया गया था अतएव आगत कर की दी गई छूट उचित थी । उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि लकड़ी, अर्थात् इमारती लकड़ी जो कि अधिनियम की अनुसूची दो के भाग तीन में दर्ज है, पर आगत कर की छूट क्यों प्रदान की गई थी ।</p>			

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को जुलाई 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010) ।



## 2.20 अधिभार का अनारोपण

चार क्षेत्रीय<sup>23</sup> तथा एक वृत्त<sup>24</sup> कार्यालय

अधिनियम की धारा 10-ए के अंतर्गत प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत देय कर की राशि पर ऐसी राशि के 15 प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान किया जाना चाहिए। म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है कि अधिभार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विक्रय पर लागू होने वाली कर की दर तय करने के उद्देश्य से कर की दर का भाग माना जायेगा।

जुलाई 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य हमने पाया कि अवधि 2004-05 तथा 2005-06 हेतु जून 2007 से जनवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित, पांच व्यवसाइयों के छः प्रकरणों में कर

निर्धारण प्राधिकारी विभिन्न वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय पर देय ₹ 1.10 करोड़ की कर राशि पर अधिभार का आरोपण करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ₹ 16.57 लाख के अधिभार का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने दो प्रकरणों में ₹ 7.83 लाख की मांग सृजित की (अगस्त 2008 एवं जुलाई 2010) जिसमें से एक प्रकरण में ₹ 6.83 लाख की राशि व्यवसाइयों की कर मुक्ति की मौद्रिक सीमा के विरुद्ध समायोजित की गई थी। दो प्रकरणों में यह बताया गया (जनवरी तथा फरवरी 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2008) कि व्यवसाई द्वारा घोषित माल का विक्रय किया गया है अतएव अधिभार आरोपणीय नहीं था। हम कर निर्धारण अधिकारी के अभिमत से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यवसाई द्वारा काटन वेस्ट का विक्रय किया गया है जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की अनुसूची में घोषित माल की श्रेणी में दर्ज नहीं है। एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी का अभिमत (सितंबर 2008) था कि अंतर्रांतीय विक्रय के मामले में अधिभार आरोपणीय नहीं है। कर निर्धारण प्राधिकारी का तर्क उक्त न्यायिक निर्णय<sup>25</sup> के अनुरूप नहीं है।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को अगस्त 2008 तथा मई 2009 के मध्य प्रतिवेदित किए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

<sup>23</sup> इन्दौर (2) तथा जबलपुर (2)।

<sup>24</sup> इन्दौर।

<sup>25</sup> के.वि.क., म.प्र. बनाम मैसर्स रैमंड सीमेंट वर्क्स, बिलासपुर [(1996) 29 वी के एन 472]।

## 2.21 प्रांतीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण

तीन वृत्त<sup>26</sup> कार्यालय

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अनुसार, यदि विक्रय के माल का प्रचालन एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है अथवा इस प्रचालन के दौरान माल के अधिकार के दस्तावेजों का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है तो माल का विक्रय अन्तर्राज्यीय माना जायेगा। यदि माल का प्रचालन किसी राज्य से प्रारम्भ होकर उसी राज्य में समाप्त हो जाता है तो इसे एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रचालन नहीं माना जाएगा।

मार्च 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य हमने पाया कि अवधि 2003-04 से 2005-06 के लिये अक्टूबर 2006 तथा

जनवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों के द्वारा स्थानीय पंजीयत व्यवसाइयों को ₹ 1.42 करोड़ मूल्य के खनिज जैसे-बॉक्साइट, लाइम स्टोन इत्यादि विक्रय किये गये थे। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण के समय कथित स्थानीय क्रेता व्यवसाइयों द्वारा जारी 'सी' फार्म के आधार पर स्थानीय विक्रय को गलत ढंग से अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर चार प्रतिशत की रियायती दर से करारोपण किया था। इसके परिणामस्वरूप 9.8/5.2 प्रतिशत की अन्तर दर से ₹ 13.10 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने दो व्यवसाइयों के प्रकरण में बताया (दिसम्बर 2008 तथा मार्च 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। शेष एक व्यवसाई के प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को मई 2008 तथा अप्रैल 2009 के मध्य प्रतिवेदित किए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

## 2.22 वापसी की गलत स्वीकृति

दो क्षेत्रीय<sup>27</sup> तथा एक वृत्त<sup>28</sup> कार्यालय

अधिनियम के अन्तर्गत, कर के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत कोई राशि, जो अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत देय नहीं है, राज्य शासन के पक्ष में राजसात योग्य होती है।

सितंबर 2008 तथा अगस्त 2009 के मध्य हमने पाया कि अवधि 2004-05

तथा 2005-06 के लिए सितंबर 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित चार व्यवसाई ₹ 66.90 लाख के कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, लेकिन उनके द्वारा ₹ 75.78 लाख

<sup>26</sup> जबलपुर तथा सतना (2)।

<sup>27</sup> सतना तथा शाजापुर (2)।

<sup>28</sup> इन्दौर।



कर/अधिभार के रूप में एकत्रित किए गए थे। व्यवसायियों द्वारा इस प्रकार संग्रहीत की गई ₹ 8.88 लाख के कर की अधिक राशि को राजसात करने के बजाय, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उसकी वापसी की गलत अनुमति प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.88 लाख की वापसी की गलत स्वीकृति प्रदान की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया (मार्च 2009)। आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (दिसंबर 2010)। दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितंबर 2008) कि दी गयी वापसी उचित थी क्योंकि विक्रय बीजकों में कर और अधिभार को पृथक रूप से प्रभारित नहीं दर्शाया गया था। हालांकि, वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी प्रकार से संग्रहीत कर की अधिक राशि चाहे वह बिलों में पृथक रूप से प्रभारित दर्शाई गई हो अथवा नहीं, राजसात किए जाने योग्य है। शेष एक प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2009) की वापसी सही थी क्योंकि ट्रेक्टरों तथा ट्रेक्टर पार्ट्स के विक्रय बिलों में कोई कर/अधिभार पृथक रूप से प्रभारित नहीं दर्शाया गया था। लीफ सिप्रिंगों के विक्रय पर उच्चतर दर से एकत्रित किए गए कर के बारे में उन्होंने बताया कि व्यवसायी द्वारा अनभिज्ञता के कारण अधिक कर जमा कराया गया था, अतएव राजस्व मंडल के निर्णय<sup>29</sup> के परिप्रेक्ष्य में दी गई वापसी उचित थी। हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि उसमें निर्णय की व्याख्या सही ढंग से नहीं की गई है। निर्णय के अनुसार, वापसी की अनुमति ऐसे व्यवसाई को दी गई थी जिसके प्रकरण में कर का अधिक संग्रहण प्रमाणित नहीं हुआ था, जबकि इस प्रकरण की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि व्यवसाई द्वारा अधिक दर से अधिभार तथा कर की वसूली की गई थी जो देय नहीं थी। हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को नवंबर 2008 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

### 2.23 करमुक्ति की गलत स्वीकृति

एक क्षेत्रीय तथा दो वृत्त कार्यालय

करमुक्ति हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अनुसार, वस्तुओं की पुनः पैकिंग में संलग्न किसी नई औद्योगिक इकाई को छूट की पात्रता नहीं है। म.प्र. उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की बोतल में भराई निर्माण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह वस्तुओं की पुनः पैकिंग है। अधिसूचना के अंतर्गत, पात्रता प्रमाण पत्रों में निर्दिष्ट कर की अधिकतम संचयी राशि की सीमा तक कर के भुगतान से छूट का लाभ दिए जाने का प्रावधान है।

दिसंबर 2007 तथा सितंबर 2009 के मध्य हमने पाया कि तालिका में दर्शाये अनुसार तीन व्यवसायियों को ₹ 7.66 लाख के

<sup>29</sup> मैसर्स रैलीज इंडिया प्रा.लि., इन्दौर बनाम के.वि.क., म.प्र. [(1999) 32 वी के एन 254]।

कर के भुगतान से करमुक्ति की गलत छूट प्रदान की गई:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा परीक्षित इकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	प्रभावित कर	हमारे प्रेक्षण का सार
1	2	3	4	5
1.	क्षे.सहा.आ., सागर	2003-05 सितंबर 2006	4.08	एक व्यवसाई जो एलपीजी की बोतल भराई प्रक्रिया में संलग्न था, को अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। एलपीजी की बोतल में भराई वस्तु के पुनः पैकिंग की प्रक्रिया होने से अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती है। अतएव दी गई छूट उचित नहीं थी।
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसंबर 2007) कि परिपत्र दिनांक 16 जून 1998 के अनुसार, गैस की पुनः भराई निर्माण की प्रक्रिया है। उपरोक्त संदर्भित म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय <sup>30</sup> के परिपालन में उत्तर मान्य नहीं है				
2.	वा.क.का., कटनी	2004-05 जनवरी 2008	1.04 1.04 (शास्ति)	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 26.04 लाख मूल्य के कच्चे माल पर ₹ 1.04 लाख का क्रय कर आरोपित किया गया तथा व्यवसाई को जारी कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर इस प्रकार आरोपित कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई। दी गई छूट उचित नहीं थी क्योंकि करमुक्ति की पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात् कथित माल का क्रय किया गया था। चूँकि अमान्य धोषणा पत्रों के आधार पर कर मुक्ति की राशि के विरुद्ध कर की मुजराई की गलत स्वीकृति के लिए व्यवसाई उत्तरदायी था, अतः वह कर के बराबर शास्ति ₹ 1.04 लाख शास्ति के भुगतान का भी दायी था।

<sup>30</sup> मोदी गैस सर्विस, इंदौर बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य [2006-8-एस.टी.जे.-536 (म.प्र.)]



1	2	3	4	5
				कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मार्च 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।
3.	वा.क.का., वृत्त-II, ग्वालियर	2005-06 दिसंबर 2008	0.90 0.60 (ब्याज)	व्यवसाई द्वारा ₹ 6.50 लाख मूल्य के सीमेन्ट पेन्ट का विक्रय उसको जारी पात्रता प्रमाण पत्र में दर्ज पात्रता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया था । तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निष्प्रभावी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर कथित विक्रय पर व्यवसाई द्वारा देय ₹ 89,700 के कर भुगतान से गलत छूट प्रदान कर दी गई । चूंकि व्यवसाई द्वारा निर्धारित तिथियों पर कर जमा नहीं किया गया था, अतएव वह ₹ 60,373 ब्याज के भुगतान हेतु भी दायी था ।
				कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितंबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।

हमने प्रकरण को फरवरी 2008 एवं अक्टूबर 2009 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

### 2.24 मूल्य संवर्धन का गलत निर्धारण

चार क्षेत्रीय<sup>31</sup> तथा चार वृत्त<sup>32</sup> कार्यालय

अधिनियम की धारा 9-बी में अधिनियम की अनुसूची II के भाग II से VI में निर्दिष्ट वस्तुओं के पुनर्विक्रय पर मूल्य संवर्धन पर निर्धारित दर से कर के आरोपण का प्रावधान है ।

मई 2007 तथा नवंबर 2009 के मध्य हमने पाया कि अवधि 2003-04 से 2005-06 हेतु अप्रैल 2006 तथा अक्टूबर 2008 के मध्य कर निर्धारित आठ व्यवसाइयों के

प्रकरणों में माल के पुनर्विक्रय पर मूल्य संवर्धित राशि ₹ 1.07 करोड़ कम निर्धारित की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.66 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन प्रकरणों में ₹ 2.22 लाख की मांग (जुलाई तथा अक्टूबर 2008 के मध्य) सृजित की गई, जबकि तीन प्रकरणों में यह बताया गया (मार्च 2008 तथा अगस्त 2009 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत

<sup>31</sup> इन्दौर, खण्डवा तथा सतना (2) ।

<sup>32</sup> इन्दौर (2), सागर तथा विदिशा ।

कार्रवाई की जायेगी । एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2009) कि एक अधिसूचना के द्वारा तिलहन को अधिनियम की धारा 9-बी के अंतर्गत करमुक्त रखा गया है । हमारा प्रेक्षण अनुत्तरित है क्योंकि कर निर्धारण प्राधिकारी उस अधिसूचना का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहे जिसके अनुसार उक्त धारा के अंतर्गत तिलहन को आरोपणीय कर से मुक्त रखा गया है । शेष रहे एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया ।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को जून 2007 तथा जनवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010) ।

### 2.25 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्येक विक्रेता व्यवसाई, जो पंजीयत क्रेता व्यवसाई द्वारा निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एवं उसके द्वारा विधिवत पूरित एवं हस्ताक्षरित 'सी' फार्म में घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, घोषित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय के संबंध में चार प्रतिशत की रियायती दर के बजाय विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर से तथा अन्य मालों के संबंध में 10 प्रतिशत या निर्दिष्ट दर से, जो भी अधिक हो, कर के भुगतान का दायी होगा । इसके अतिरिक्त, कर चुके मालों के अंतर्राज्यीय विक्रय में 'सी' फार्म में घोषणा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता की मांग पूर्ण करने पर वह कर के भुगतान से छूट प्राप्त कर सकेगा ।

2.25.1 छः क्षेत्रीय कार्यालयों तथा छः वृत्त कार्यालयों में मई 2007 तथा दिसंबर 2009 के मध्य हमने पाया कि 14 व्यवसाइयों के प्रकरणों में ₹ 19.10 करोड़ के ऐसे अंतर्राज्यीय विक्रय पर जिसके संबंध में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किए गए थे, या तो करारोपण नहीं किया गया था अथवा गलत दर से करारोपण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ के कर का

निम्नानुसार अनारोपण /कम आरोपण हुआ :



(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम टर्नओवर	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	कर के अनारोपण/ कम आरोपण की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्षे.सहा.आ., छिंदवाड़ा 01 •	2002-03 जुलाई 2008 (पुनःकर निर्धारण)	सोयाबीन आटा 12.34	10	—	1.23
कर निर्धारण प्राधिकारी ने म.प्र. राजस्व मंडल के निर्णय <sup>33</sup> का संदर्भ देते हुए बताया (दिसंबर 2009) कि सोयाबीन आटा अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि "आटा, मैदा, सूजी, तथा रवा" के अंतर्गत कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी का अभिमत उचित नहीं है क्योंकि 15 मार्च 2000 से लागू अनुसूची-I में दिनांक 23 अप्रैल 2002 से उपरोक्त बताई गई प्रविष्टि विलोपित कर दी गई है तथा यह प्रविष्टि म.प्र.वा.क. (संशोधित) अधिनियम 2002 की अनुसूची-II के भाग-V में उसी दिनांक से समाविष्ट कर दी गई है।						
2.	क्षे. सहा. आ., इंदौर 01	2003-04 जनवरी 2007	गेहूं 2.58		2	— 0.05
कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 5.15 लाख की मांग सृजित की गयी (अप्रैल 2008)।						
3.	वा.क. का., कटनी 02	2005-06 दिसंबर 2008	विस्फोटक 0.39		13.8	4 -0.05
		2003-04 जनवरी 2007	हेसियन क्लॉथ तथा पैकिंग मटेरियल 0.75		10	8

<sup>33</sup> मैसर्स एस.एम.डाई कैम लि., विदिशा बनाम आ.वा.क., म.प्र. [(2004) 3 सी टी - एस टी जे 245]।

1	2	3	4	5	6	7
<p>एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.50 लाख की मांग सृजित की गयी (अगस्त 2009) तथा दूसरे व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2009) कि व्यवसाई को पर्याप्त अवसर देकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।</p>						
4.	क्षे.सहा.आ., गुना 01	2005-06 अप्रैल 2008 तथा 2006-07 दिसंबर 2008	ट्रांसफार्मर 0.50	10	4	0.03
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितंबर 2009) गया कि सकल विक्रय राशि ₹ 12.79 करोड़ में से व्यवसाई द्वारा माल के अनावृत्त मूल्य पर, जिसमें ₹ 50 लाख की कर राशि सम्मिलित नहीं थी, जिसके लिए 'सी' फार्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं था, ₹ 12.29 करोड़ के 'सी' फार्म प्रस्तुत किए गए थे । कर निर्धारण प्राधिकारी का तर्क उचित नहीं है, क्योंकि विक्रेता व्यवसाई द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सम्पूर्ण राशि के लिए 'सी' फार्म प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।</p>						
5.	क्षे.सहा.आ., इंदौर 01	2004-05 सितंबर 2007	पीपी फ़ैब्रिक 0.26	10	—	0.03
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2009) कि अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2000 के अंतर्गत पीपी फ़ैब्रिक कर मुक्त है । कर निर्धारण प्राधिकारी का तर्क उचित नहीं है क्योंकि बताई गई अधिसूचना सभी प्रकार के कपड़ों की कर मुक्ति के बारे में है न कि पीपी फ़ैब्रिक के बारे में, जिसका निर्माण पावरलूम में किया जाता है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शुल्क आरोपणीय है ।</p>						
6.	वा.क.का., वृत्त I, उज्जैन 02	2004-05 जनवरी 2008	डिस्पोजेबल कंटेनर्स 0.28 मशीनरी एवं उसके पार्ट्स 0.07	10 10	4 4	0.03 (शास्ति सहित)
<p>एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी, जबकि अन्य व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने</p>						



1	2	3	4	5	6	7
<p>बताया (फरवरी 2009) कि व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत किए गए 'सी' फार्म की विक्रय राशि ₹ 7,59,220 अंतर्निहित है । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि 'सी' फार्म से यह स्पष्ट था कि जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इसे मात्र ₹ 75,992 हेतु जारी किया गया था । तथापि 'सी' फार्म को बाद में विरूपित करके ₹ 7,59,220 पढ़ने योग्य बनाया गया था ।</p>						
7.	क्षे.सहा.आ., इटारसी 01	2004-05 दिसंबर 2007	सल्फर 0.89	10	8	0.02
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (नवंबर 2009) कि व्यवसाई द्वारा खांडसारी शक्कर (घोषित माल) का विक्रय किया गया था जिस पर आठ प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया कर उचित था । उत्तर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय उपायुक्त, भोपाल के अपील आदेश दिनांक 2 जनवरी 2009 में यह बताया गया कि व्यवसाई द्वारा सल्फर का विक्रय किया गया है, जो घोषित मालों में सम्मिलित नहीं है ।</p>						
8.	वा.क.का., मण्डला 01	2002-03 नवंबर 2005	प्लाइवुड 0.23	13.8	8	0.01
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.47 लाख की मांग सृजित की गयी (जनवरी 2008) ।</p>						
9.	वा.क.का., I, सतना 01	2005-06 मार्च 2009	आयरन स्क्रेप 0.35	8	4	0.01
<p>कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसंबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।</p>						
10.	वा.क.का., वृत्त X एवं XI, इंदौर 02	2004-05 जनवरी 2008	साबुन 0.13 यार्न 0.05	13.8 10	10 4	0.01 (ब्याज सहित)
<p>कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दोनों व्यवसाईयों के प्रकरण में बताया (मार्च तथा नवंबर 2009) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।</p>						
11.	क्षे.सहा.आ., इंदौर 01	2005-06 मार्च 2009	तेंदुपत्ता 0.29	25.3	23	0.01 (ब्याज सहित)
<p>प्रकरण इंगित किए जाने के पश्चात, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. ने सूचित किया (नवम्बर 2010) कि ₹ 1.12 लाख की माँग सृजित की जा चुकी थी ।</p>						

**2.25.2** फरवरी तथा अक्टूबर 2008 के मध्य दो वृत्त कार्यालयों<sup>34</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि जनवरी 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य अवधि 2003–04 तथा 2004–05 हेतु कर निर्धारित चार व्यवसायों के प्रकरणों में, 11 'सी' फार्मों के विरुद्ध राशि ₹ 4.49 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय पर या तो करारोपण नहीं किया गया था या रियायती दर से करारोपण किया गया था । हमने जारीकर्ता राज्यों से इस को सत्यापित एवं सुनिश्चित किया है कि इन 'सी' फार्मों में से आठ फार्म जारीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उसमें उल्लिखित क्रेता व्यवसायों को जारी ही नहीं किये गये थे, एक फार्म क्रेता व्यवसाई द्वारा विक्रेता निर्धारिती व्यवसाई को जारी नहीं किया गया था, जबकि दो 'सी' फार्मों में दर्ज व्यवसाई संबंधित कार्यालयों में पंजीबद्ध नहीं पाए गए । इस प्रकार सभी 11 'सी' फार्म वैध नहीं थे तथा उनमें अंतर्निहित सम्पूर्ण विक्रय मूल्य ₹ 4.49 करोड़ पर पूर्ण दर से कर प्रभारणीय था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.68 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई ।

हमने सितम्बर 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रकरण कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरणों को आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को फरवरी 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010) ।

---

<sup>34</sup> ग्वालियर तथा इन्दौर ।



## अध्याय – 3 राज्य उत्पाद शुल्क

### 3.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है। आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर तथा जिलों, दोनों में अपर आबकारी आयुक्त (अ.आ.आ.), उपायुक्त आबकारी (अ.आ.), सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.) और जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते हैं। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी है।

आसवनियों तथा बोटल भराई संयंत्रों (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों के कार्य संचालन का परिवीक्षण सहायक जिला आबकारी अधिकारियों की सहायता से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है।


### 3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :


(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिक(+) कमी(-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य में कुल कर की प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2005-06	1,300.00	1,370.38	(+) 70.38	(+) 5.41	9,114.70	15.04
2006-07	1,430.00	1,546.68	(+) 116.68	(+) 8.16	10,473.13	14.77
2007-08	1,750.00	1,853.83	(+) 103.83	(+) 5.93	12,017.64	15.43
2008-09	2,150.00	2,301.95	(+) 151.95	(+) 7.07	13,613.50	16.91
2009-10	2,760.00	2,951.94	(+) 191.94	(+) 6.95	17,272.77	17.09

राज्य के सकल कर राजस्व में राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्तियों के अंशदान का प्रतिशत विगत चार वर्षों में बढ़ा है।



—●— बजट अनुमान —■— वास्तविक प्राप्तियाँ



■ सकल कर राजस्व (2009-10)  
■ राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्तियाँ (2009-10)



### 3.3 संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय औसत का प्रतिशत
1.	राज्य उत्पाद	2007-08	1,853.83	396.04	21.36	3.66
		2008-09	2,301.95	505.46	21.96	
		2009-10	2,951.94	818.34	27.72	

राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है। हमने अवलोकित किया कि वित्त लेखे में 'वसूली प्रभारों' को दर्शाने वाला कोई पृथक शीर्ष नहीं है जैसा कि विक्रय/व्यापार पर कर, वाहनों पर कर आदि जैसे अन्य करों के प्रकरण में है तथा व्यय हेतु बजट प्रावधानों से निर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत भी अन्य व्यय के साथ-साथ शीर्ष 2039-राज्य आबकारी के अंतर्गत लेखांकित की जा रही थी।

शासन द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन के प्रभावी परिवीक्षण के लिए अन्य करों हेतु निर्धारित शीर्षों की तरह "वसूली प्रभार" के रूप में एक पृथक उपशीर्ष खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। इससे शासन द्वारा राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के समरूप संग्रहण लागत की स्थिति की तुलना भी की जा सकेगी।

### 3.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि के ₹ 538.87 करोड़ के 38,548 प्रकरण इंगित किये गये थे। इन प्रकरणों में से विभाग/शासन ने 26,936 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 262.50 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और ₹ 18.90 करोड़ की वसूली की गई थी। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकार		वसूली	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2004-05	41	4,286	149.44	1,344	8.47	—	—
2005-06	27	5,405	77.12	1,110	39.03	88	3.25
2006-07	30	4,183	109.24	4,285	91.13	1,311	11.35
2007-08	40	12,185	88.06	9,520	24.73	31	2.72
2008-09	50	12,489	115.01	10,677	99.14	260	1.58
योग	188	38,548	538.87	26,936	262.50	1,690	18.90

विगत पांच वर्षों में स्वीकार किये गये प्रकरणों में से वसूल की गई राशि नगण्य है।

### 3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। वर्ष 2009-10 के दौरान, 44 जिलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरुद्ध केवल 26 जिलों में आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की प्रमुख टिप्पणियों/प्रेक्षणों तथा विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

### 3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 10,606 प्रकरणों में ₹ 201.88 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण प्रकट हुआ, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	अधिक हानियों पर शुल्क का अनारोपण/वसूली न होना	2,323	6.66
2.	आबकारी दुकानों की पुनर्नीलामी/पुनः बोली लगाने में हानि	46	71.12
3.	देशी/परिशोधित स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक न रखने पर शास्ति का अनारोपण	180	1.34



1	2	3	4
4.	आबकारी दुकानों की लायसेंस फीस जमा न होना	439	37.22
5.	लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	3,133	3.56
6.	अन्य	4,485	81.98
	<b>योग</b>	<b>10,606</b>	<b>201.88</b>

वर्ष 2009-10 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये 7,566 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 167.51 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य हानियों को विभाग ने स्वीकार किया । वर्ष 2009-10 में 56 प्रकरणों में ₹ 24.22 लाख की राशि वसूल की गई ।

कुछ उदाहरणात्मक लेखा परीक्षा आपत्तियों, जिनमें ₹ 5.09 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है ।

### 3.7 निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना

चार स.आ. आ. और तीन जि.आ.अ.

म.प्र. आबकारी अधिनियम (अधिनियम), 1915 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि किसी भी आसवनी, यवासवनी, भाण्डागार अथवा भण्डारण के किसी अन्य स्थान से किसी भी मादक पदार्थ का लाइसेंसधारक परिवहित/निर्यात की जाने वाली मादक पदार्थ की पूर्ण मात्रा पर निर्धारित आरोपणीय शुल्क जमा किये बिना अथवा समान राशि की बैंक गारंटी दिये बिना अथवा प्रारूप एफ.एल. 23 में निर्दिष्ट राशि के लिये पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों सहित बंधपत्र निष्पादित किये बिना उस मादक पदार्थ का परिवहन/निर्यात नहीं करेगा । इसके साथ ही लायसेंसधारक विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी से एक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो अन्तर्निहित शुल्क की वसूली, जमा की गई राशि, प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अथवा निष्पादित प्रतिभूति बन्ध-पत्र से की जाएगी ।

3.7.1 जनवरी और दिसम्बर 2009 के मध्य सात जिलों<sup>1</sup> की नौ वॉटलिंग इकाई<sup>2</sup> तथा तीन यवासवनियों<sup>3</sup> में हमने देखा कि दिसम्बर 2007 और सितम्बर 2009

<sup>1</sup> भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर तथा रायसेन ।

<sup>2</sup> मै. यूनाइटेड स्पिरिट लि., भोपाल; मै. जुबली ब्रीवरेज, भोपाल; मै. ओएसिस डिस्टिलरी, धार; मै. कॉक्स इंडिया लि., छतरपुर; मै. सिल्वर ओक इंडिया लि., पीथमपुर, धार; मै. ग्वालियर डिस्टिलरी, ग्वालियर; मै. रायरू डिस्टिलरी, ग्वालियर; मै. सोम डिस्टिलरी, रायसेन; मै. रेडसन डिस्टिलरी, जबलपुर ।

<sup>3</sup> मै. जगपिन ब्रेवरी लि., छतरपुर; मै. एम.पी. बीअर प्रोडक्ट्स, इन्दौर; मै. सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरी, रायसेन ।



के मध्य लायसेंसधारकों ने 197 अनुज्ञापत्रों पर 3,42,784.8 पूफ लीटर (पी.एल.) विदेशी मदिरा और 5,48,400 बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर का निर्यात किया जिसमें शुल्क ₹ 9.28 करोड़ अन्तर्निहित था । यद्यपि इस प्रकार निर्यात की गई मदिरा की मात्रा की प्राप्ति के सत्यापन प्रतिवेदन गंतव्य इकाइयों से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त नहीं हुए थे, तथापि अनुज्ञात अवधि 40 दिनों के पश्चात एक से 13 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग द्वारा नकद जमा या बैंक गारंटी या बन्ध-पत्र के विरुद्ध शुल्क के समायोजन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर, सहायक आबकारी आयुक्तों/जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया (जनवरी और दिसम्बर 2009 के मध्य) कि 37 सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गये थे और 135 सत्यापन प्रतिवेदनों को प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा 25 प्रकरण नियमों की शर्तों के उल्लंघन के कारण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे । उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुये थे । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसंबर 2010) ।

**3.7.2** जनवरी और अक्टूबर 2009 के मध्य हमने देखा कि छः जिलों<sup>4</sup> में स्थित सात वॉटलिंग इकाई<sup>5</sup> और एक यवासवनी<sup>6</sup> के लायसेंसधारकों ने मार्च 2004 और अगस्त 2009 के मध्य 48 अनुज्ञापत्रों पर 1,22,028.02 पी.एल. विदेशी मदिरा और 70,980 बी.एल. बीयर, जिसमें ₹ 2.41 करोड़ का आबकारी शुल्क अन्तर्निहित था, राज्य के विभिन्न विदेशी मदिरा भाण्डागारों को परिवहित किया था । यह देखा गया कि विभाग ने प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये निर्धारित शुल्क या अंतर्निहित शुल्क की राशि के लिए बैंक गारंटी या समुचित शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र प्राप्त किये बिना परिवहन अनुज्ञापत्र जारी कर दिये थे । लायसेंसधारकों ने गन्तव्य इकाइयों पर उपरोक्त मदिरा की प्राप्ति के सत्यापन प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं किए थे तथा निर्धारित समयावधि 40 दिनों के भीतर अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये थे । तथापि, विभाग ने निर्धारित समयावधि 40 दिनों के पश्चात् एक से 59 माह तक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी नगद जमा/बैंक गारंटी/प्रतिभूति बन्ध-पत्रों से आरोपणीय शुल्क की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर सहायक आबकारी आयुक्तों/जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया (जनवरी और अक्टूबर 2009 के मध्य) कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जाएंगे । हालांकि, तथ्य यह है कि अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये गये थे । इसके अतिरिक्त, शुल्क

<sup>4</sup> धार, खरगौन, रतलाम, रायसेन, सागर तथा उज्जैन ।

<sup>5</sup> मैसर्स ग्रेट गेलियन लि. धार; मैसर्स एसोसियेटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरी लि. खरगौन; मैसर्स सोम डिस्टिलरी लि., रायसेन; मैसर्स सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरी लि. रायसेन; मैसर्स रतलाम अल्कोहल एण्ड कार्बनडाईआक्साइड प्लान्ट रतलाम; मैसर्स सूर्या बाटलिंग लि., सागर; मैसर्स महाकाल डिस्टिलरी, उज्जैन ।

<sup>6</sup> मैसर्स सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरी लि., रायसेन ।



जमा कराये बिना/बैंक गारंटी या समुचित बन्धपत्र निष्पादित कराये बिना मदिरा परिवहन की अनुमति दी गई थी।

हमने प्रकरणों को आबकारी आयुक्त तथा शासन को मार्च 2009 और मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

### 3.8 आबकारी शुल्क की वसूली न होना/शास्ति का अनारोपण

#### 3.8.1 स्पिरिट/देशी मदिरा की अमान्य छीजन पर

तेरह आबकारी कार्यालय<sup>7</sup>

म.प्र. आसवनी नियमों में एक आसवनी/भाण्डागार से दूसरे आसवनी/भाण्डागार को टैंकरों से परिवहन या निर्यात की गई स्पिरिट पर रिसाव या वाष्पीकरण के लिये 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है। 2 अक्टूबर 2008 तक अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन होने पर आयुक्त या इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकतम ₹ 30 प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति आरोपित की जा सकती है। 3 अक्टूबर 2008 से देशी मदिरा की सील्ड बोतलों के परिवहन में अनुमत्य सीमा 0.5 प्रतिशत से अधिक छीजन होने पर और निर्यात में 0.25 प्रतिशत से अधिक पर लायसेंसधारक से निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के अनुसार, उपरोक्त नियमानुसार अनुमत्य सीमा से अधिक सभी कमियों पर तत्समय देशी मदिरा पर देय शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक शास्ति भुगतान के लिए लायसेंसधारक उत्तरदायी होगा।

दिसंबर 2008 और नवम्बर 2009 के मध्य हमने देखा कि 3 अक्टूबर 2008 के पूर्व की अवधि से संबंधित प्रकरणों में, स्पिरिट/देशी मदिरा के निर्यात एवं परिवहन में अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर विभागीय प्राधिकारियों द्वारा शास्ति आरोपित नहीं की गई थी, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

<sup>7</sup> अशोकनगर, भिण्ड, जबलपुर, खण्डवा, खरगौन, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, सतना, सीहोर, सीधी, टीकमगढ़ और उज्जैन।

अवधि	मदिरा प्रकार	प्रकरणों की संख्या	अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन	
			विवरण	मात्रा
नवम्बर 2005 से मई 2009	स्पिरिट	280 अनुज्ञापत्र	आसवनियों से भाण्डागारों को निर्यात/परिवहन	66,900.27 पी.एल
नवम्बर 2005 से जुलाई 2009	देशी मदिरा	754 प्रकरण	आसवनियों/निर्माता भाण्डागारों से भण्डारण भाण्डागारों को निर्यात/परिवहन	12,344.675 पी.एल

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर, सभी आबकारी अधिकारियों ने, रायसेन और जबलपुर को छोड़कर, दिसम्बर 2008 और नवम्बर 2009 के मध्य बताया कि प्रकरण आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च प्राधिकारियों को भेजे गये हैं। जि.आ.अ. (आसवनी), रायसेन ने बताया (फरवरी 2009) कि अधिक छीजन पर शुल्क की वसूली आयातक राज्य से की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि यह नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। स.आ.आ. जबलपुर ने बताया (जनवरी 2009) कि छीजन अनुमत्य सीमा के अन्दर है। उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्ष के विपरीत था। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

यद्यपि इस मुद्दे को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया जा चुका है, फिर भी विभाग ने बहुत से प्रकरणों में दाण्डिक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया है। विभागीय प्राधिकारियों की इस निष्क्रियता के कारण स्पिरिट/देशी मदिरा की छीजन को अनुमत्य सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए लायसेंसधारकों पर लागू करने हेतु दाण्डिक प्रावधानों को सम्मिलित करने का उद्देश्य ही शिथिल हो गया है।



### 3.8.2 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन और निर्यात में अमान्य छीजन पर

सात जिलों में<sup>8</sup> पांच विदेशी मदिरा भाण्डागार<sup>9</sup> और पांच यवासवनी<sup>10</sup>

म.प्र. विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि बोतल बन्द विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों पर अधिकतम छीजन की छूट 0.25 प्रतिशत होगी। जिले के भीतर परिवहन के सभी प्रकरणों में यह 0.1 प्रतिशत और अन्य प्रकरणों में 0.25 प्रतिशत होगी। छीजन/हानियां अनुमत्य सीमा से अधिक होने पर, ऐसी अतिरिक्त छीजन पर लायसेंसधारक से विहित शुल्क वसूल किया जाएगा। अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के अनुसार, नियमों के अंदर अनुमत्य सीमाओं से अधिक सभी कमियों पर लायसेंसधारक ऐसी शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो विदेशी मदिरा पर प्रति प्रूफ लीटर की दर से तत्समय देय अधिकतम शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक होगी।

जनवरी 2009 और फरवरी 2010 के मध्य हमने सात जिलों के पांच विदेशी मदिरा भाण्डागारों तथा पाँच यवासवनियों के अभिलेखों में अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 और दिसम्बर 2009 के मध्य की अवधि में विदेशी मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान 1,420 प्रकरणों में

लायसेंसधारकों द्वारा 8,018.667 प्रूफ लीटर स्पिरिट तथा 58,085.69 बल्क लीटर बीयर की अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन दर्शाई गई थी जिस पर उनसे शुल्क/न्यूनतम शास्ति ₹ 1.41 करोड़ वसूली योग्य थी। तथापि यह देखा गया कि चार जिलों<sup>11</sup> के लायसेंसधारकों से केवल ₹ 5.69 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा शुल्क/न्यूनतम शास्ति की शेष राशि ₹ 1.35 करोड़ की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, सभी आबकारी अधिकारियों ने बताया (जनवरी 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य) कि वसूली या शास्ति आरोपित करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को दिसम्बर 2008 और मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

<sup>8</sup> भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रायसेन, रीवा और उज्जैन।

<sup>9</sup> भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

<sup>10</sup> मैसर्स लीलासन्स ब्रेवरी लि. भोपाल, मैसर्स एम.पी.बीयर प्रोडक्ट्स लि. इन्दौर, मैसर्स माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरी लि. इन्दौर, मैसर्स स्कॉल ब्रेवरी लि. मुरैना, मैसर्स सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरी लि. रायसेन।

<sup>11</sup> भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और उज्जैन।

**3.9 स्पिरिट/विदेशी मदिरा का निवर्तन न करने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना**

पांच स.आ.आ. और दो जि.आ.अ.

लायसेंस या लेबल की समाप्ति, नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण के प्रकरणों में, लायसेंसधारक मदिरा का सम्पूर्ण स्कन्ध (स्टॉक) जि.आ.अ. के नियंत्रणाधीन रखेगा। हालांकि, उसे उक्त स्कन्ध को लायसेंस की समाप्ति या निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंसधारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिसमें उसके विफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र लायसेंसधारक से ऐसे स्कन्ध को खरीदने के लिए कह सकता है या स्कन्ध के निवर्तन के लिए आदेश जारी कर सकता है।

जनवरी और दिसम्बर 2009 के मध्य हमने देखा कि लेबलों की अधिप्राप्ति के निरस्तीकरण एवं विदेशी मदिरा के स्कन्ध के निवर्तन के लिए विभाग द्वारा 9 से 48 माह तक की अवधि व्यतीत होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति

नहीं हुई जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ लाख में)

इकाई का नाम	मदिरा की प्रकृति स्पिरिट/विदेशी मदिरा	अनियमितता की प्रकृति	सन्निहित राजस्व
1	2	3	4
मै. बीम ग्लोबल स्पिरिट एण्ड वाईन प्रा.लि. इन्दौर एफ.एल.-10ए	विदेशी मदिरा	अप्रैल तथा सितम्बर 2009 के मध्य विभिन्न विदेशी मदिरा भाण्डागारों से प्राप्त विक्रय हेतु शेष 27,749.77 पी.एल. विदेशी मदिरा का स्कन्ध पड़ा हुआ था।	86.94
मै. एम.पी. बीयर प्रोडक्ट्स, इन्दौर एफ.एल.-9	विदेशी मदिरा तथा ई.एन.ए.	1 अप्रैल 2008 को लायसेंस की समाप्ति के बाद 17,075.3 पी.एल. बोटलबन्द विदेशी मदिरा और 14,073.1 पी.एल. एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) इकाई द्वारा धारित किया गया।	56.07



1	2	3	4
मै. कॉक्स इण्डिया लि. नौगांव, छतरपुर एफ.एल.-9	विदेशी मदिरा	उत्तरांचल राज्य से अप्रैल 2008 और फरवरी 2009 के मध्य वापस प्राप्त 23,087.17 पी.एल. बोतलबन्द विदेशी मदिरा तथा 7,839 बी.एल. बीयर जो म.प्र. में विक्रय योग्य नहीं थी, का निवर्तन नहीं किया गया था।	43.90
मै. सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरी लि., रायसेन एफ.एल.- 9	विदेशी मदिरा		
मै. व्हाइट हॉल इण्डिया लि. एफ.एल.-10ए	विदेशी मदिरा	इकाईयों के लायसेंसों/लेबलों की समाप्ति के कारण रीवा, सागर, जबलपुर और उज्जैन जिलों के विदेशी मदिरा भाण्डागारों में संग्रहीत 30,481.5 पी.एल. बोतलबन्द विदेशी मदिरा के स्टॉक का निवर्तन नहीं किया गया।	24.23
मै. रतलाम अल्कोहल प्लान्ट रतलाम एफ.एल.- 9			15.58
मै. गोल्ड वाटर डिस्टिलरी भिण्ड एफ.एल.- 9			8.13
मै. सूर्या बॉटलिंग इकाई सागर एफ.एल. -9			5.77
मै. मेन्सन्स अल्कोहल एफ.एल.- 9ए, खरगौन			4.51
मै. एस.जी. डिस्टिलरी जबलपुर एफ.एल. -9			3.90
मै. एल्कोब्रू डिस्टिलरी एफ.एल.- 9			2.50
<b>योग</b>			<b>251.53</b>

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर, पाँच स.आ.आ./जि.आ.अ.<sup>12</sup> ने बताया (जनवरी और दिसम्बर 2009 के मध्य) कि विदेशी मदिरा के निवर्तन के प्रस्ताव आगामी आदेशों हेतु आबकारी आयुक्त को भेजे गये थे। स.आ.आ. रीवा और जि.आ.अ. छतरपुर ने बताया (मार्च और मई 2009) कि विदेशी मदिरा के निवर्तन का प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजा जाएगा। प्रभारी अधिकारी, विदेशी मदिरा भाण्डागार, सागर ने बताया (अक्टूबर 2009) कि सम्बन्धित आसवकों को निवर्तन हेतु पत्र जारी किए गए हैं। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को अगस्त और दिसम्बर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

<sup>12</sup> छतरपुर, इन्दौर, जबलपुर, रायसेन और उज्जैन।

### 3.10 न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाने के लिये शास्ति का अनारोपण

दो जि.आ.अ.

आसवनी के लायसेंसधारक द्वारा आसवनी में स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक बनाये रखना अपेक्षित है। इसमें विफल रहने पर, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं, आयुक्त द्वारा 2 अक्टूबर 2008 तक के प्रकरणों में ₹ पांच प्रति पी.एल. और उसके पश्चात ₹ एक प्रति बी.एल. से अनधिक की शास्ति निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई गई मात्रा पर आरोपित की जा सकेगी। आसवनी अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह कारगर निगरानी हेतु ऐसे विफलता के प्रकरणों को आयुक्त को शास्ति आरोपण हेतु अग्रेषित करेगा।

मई और जून 2009 में धार और खरगौन जिलों की दो आसवनियों<sup>13</sup> में हमने देखा कि जून 2008 और मई 2009 के मध्य आसवकों द्वारा 179 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक संधारित नहीं किया गया था। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से 2 अक्टूबर 2008 तक कम

पाई गई 14.61 लाख पी.एल. स्पिरिट पर तथा बाद में 41.80 लाख बी.एल. स्पिरिट पर ₹ 1.15 करोड़ की शास्ति के आरोपण के लिये प्रकरण को आबकारी आयुक्त की जानकारी में लाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर जि.आ.अ., मैसर्स ओएसिस डिस्टिलरी लि. ने बताया (जून 2009) कि आसवक पर शास्ति आरोपण का प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजा गया है। जि.आ.अ., खरगौन ने बताया (मई 2009) कि स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक संधारित न करने से देशी मदिरा की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जि.आ.अ. आसवक पर शास्ति आरोपण के निर्णय हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिवेदित करने में विफल रहे थे।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को अगस्त 2009 और मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

<sup>13</sup> मै. ओएसिस डिस्टिलरीज, बोराली, धार; मै. एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरी खोड़ीग्राम, खरगौन।



### 3.11 गलत दरें लागू करने के कारण पॉपी स्ट्रा पर परिवहन फीस की कम वसूली

तीन जि.आ.अ.<sup>14</sup> और पी.एस. 2 लायसेंसधारक<sup>15</sup>

नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ (म.प्र.) नियम, 1985 में प्रावधान है कि पॉपीस्ट्रा का एक पी.एस.-2 लायसेंसधारक से दूसरे पी.एस.-2 लायसेंसधारक को परिवहन करने पर ₹ पाँच प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन फीस का आरोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब पॉपी स्ट्रा को किसानों से थोक लायसेंसधारकों को या एक ही लायसेंसधारक के एक गोदाम से दूसरे गोदाम को परिवहन किया जाएगा तो 31 मार्च 2008 तक ₹ 25 प्रति अनुज्ञापत्र तथा बाद में ₹ 100 प्रति अनुज्ञापत्र की दर से परिवहन फीस प्रभारणीय होगी

जून और अगस्त 2009 के मध्य हमने देखा कि 16,90,407 किलोग्राम पॉपीस्ट्रा का 14 थोक लायसेंसधारकों<sup>16</sup> से अन्य लायसेंसधारकों को अप्रैल 2007 और जुलाई 2009 के मध्य परिवहन किया गया था, जिस पर ₹ पाँच प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन फीस ₹ 84.52 लाख आरोपणीय थी। तथापि विभागीय उच्चाधिकारियों

द्वारा 31 मार्च 2008 तक ₹ 25 प्रति अनुज्ञापत्र एवं उसके बाद ₹ 100 प्रति अनुज्ञापत्र की दर से ₹ 38,725 की परिवहन फीस गलत रूप से प्रभारित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 84.13 लाख की परिवहन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर, जि.आ.अ., मन्दसौर और नीमच ने बताया (जुलाई और अगस्त 2009) कि एक ही लायसेंसधारक द्वारा एक गोदाम से दूसरे गोदाम को पॉपी स्ट्रा का परिवहन किया गया था। जि.आ.अ., शाजापुर ने बताया (जून 2009) कि परिवहनकर्ता/परेषणकर्ता और परेषणप्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति था, और एक लायसेंसि से किसी अन्य को परिवहन नहीं किया गया था। इसलिए लागू की गई दरें सही थीं। वस्तुस्थिति यह है कि एक ही पी.एस. 2 लायसेंसि के दो गोदामों के मध्य पापीस्ट्रा का परिवहन नहीं किया गया था। वस्तुतः परिवहन अलग-अलग पी.एस.-2 लाइसेंस प्राप्त दूरस्थ गोदामों के बीच था, जो कि अभिलेखों से प्रमाणित था।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को अगस्त 2009 और मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

<sup>14</sup> मन्दसौर, नीमच और शाजापुर।

<sup>15</sup> पॉपीस्ट्रा का थोक विक्रय लायसेंस।

<sup>16</sup> जिला मन्दसौर : गरोट, कालाखेड़ा और सीतामऊ।

जिला नीमच : बरोदियाकला, चल्दू, देनथल, जीरन, कान्हाखेड़ा, कांकरिया तलाई तथा नीमच।

जिला शाजापुर : आगर, मक्सी, शाजापुर तथा सोयत।

### 3.12 स्पिरिट/विदेशी मदिरा की कमी पर शुल्क/शास्ति जमा न कराया जाना

तीन आसवनियां<sup>17</sup> और एक भाण्डागार<sup>18</sup>

अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में एक लायसेंसधारक के स्टॉक में किसी दिनांक को कम पाई गई स्पिरिट/विदेशी मदिरा को मान्य करने का प्रावधान नहीं है। तदनुसार, ऐसी कम पाई गई स्पिरिट/विदेशी मदिरा की मात्रा पर लायसेंसधारक पर विहित दरों से शुल्क/शास्ति आरोपणीय होगी।

दिसम्बर 2008 और दिसम्बर 2009 के मध्य हमने देखा कि आबकारी प्राधिकारियों द्वारा मई 2007 और नवम्बर 2008 के मध्य लायसेंसधारकों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के दौरान 9,061.1 पी.एल. स्पिरिट तथा

8,935.49 पी.एल. विदेशी मदिरा कम पाई गई थी। परन्तु वे प्राधिकारी स्टॉक में कम पाई गई स्पिरिट/विदेशी मदिरा की मात्रा पर शुल्क/न्यूनतम शास्ति ₹ 37.20 लाख के आरोपण और वसूली की कार्रवाई करने में विफल रहे थे।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जि.आ.अ. गुना और रतलाम ने बताया (दिसम्बर 2008 और दिसम्बर 2009) कि प्रकरण आगामी आदेशों हेतु उच्च प्राधिकारियों को भेजे गये थे, स.आ.आ., उज्जैन और जि.आ.अ., सतना ने बताया (जनवरी और मार्च 2009) कि वसूली की कार्रवाई की जा रही थी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को फरवरी 2009 और मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

### 3.13 नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति की वसूली न होना

आठ आबकारी कार्यालय<sup>19</sup>

लायसेंस के नियमों या शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में आबकारी आयुक्त या कलेक्टर शास्ति आरोपित कर सकता है। इस प्रकार आरोपित की गई शास्ति लाइसेंसधारक से या तो नकद या उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से वसूली योग्य है।

हमने दिसम्बर 2008 तथा जनवरी 2010 के मध्य अवलोकित किया कि कलेक्टर द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान

<sup>17</sup> मैसर्स गुना डिस्टिलरी, गुना; मैसर्स रतलाम एल्कोहल एण्ड कार्बन डाईआक्साइड प्लांट, रतलाम तथा मैसर्स ग्लासगो डिस्टिलरी, सतना।

<sup>18</sup> माहिदपुर जिला उज्जैन।

<sup>19</sup> भिण्ड, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, शिवपुरी तथा उज्जैन।



विभिन्न लाइसेंसधारकों पर लायसेंस के नियमों या शर्तों के उल्लंघन के 2,697 प्रकरणों में ₹ 16.38 लाख की शास्ति आरोपित की गई थी । लायसेंसधारकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से शास्ति की इस राशि की वसूली करने के बजाय, विभाग ने उनके लाइसेंसों की समाप्ति के बाद भी, उनके द्वारा वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि हेतु जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर दी थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.38 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

जब हमने प्रकरणों को इंगित किया, तो स.आ.आ., ग्वालियर ने बताया (जनवरी 2010) कि 648 प्रकरणों में सम्पूर्ण राशि ₹ 4.08 लाख की वसूली की जा चुकी थी । स.आ.आ., इन्दौर ने बताया (फरवरी 2010) कि 215 प्रकरणों में ₹ 1.52 लाख रुपये की वसूली कर ली गई थी तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी । शेष स.आ.आ./जि.आ.अ. ने दिसम्बर 2008 तथा जनवरी 2010 के मध्य बताया कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी । वस्तुस्थिति यह है कि ये वसूलियाँ हमारे दखल के बाद की गईं तथा ये शासकीय बकायों की वसूली किए बिना प्रतिभूति की अनियमित निर्मुक्ति को समाहित नहीं कर सकतीं । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

प्रकरण फरवरी 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

### 3.14 शासकीय स्थापना पर किये गये व्यय की वसूली न होना

जिला आबकारी अधिकारी, खरगौन

म.प्र. आसवनी नियमों में प्रावधान है कि यदि किसी आसवनी में शासकीय स्थापना पर किया गया व्यय, उससे प्राप्त स्पिरिट के निर्गम पर निर्यात शुल्क या किसी अन्य आरोपण द्वारा अर्जित प्राप्त राजस्व के पाँच प्रतिशत से अधिक होता है तो पूर्वोक्त पाँच प्रतिशत से अधिक राशि की वसूली आसवक से की जाएगी ।

हमने मई तथा जून 2009 में अवलोकित किया कि दो आसवनियों<sup>20</sup> में अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान शासकीय स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 15.03 लाख था जबकि शासन द्वारा अर्जित राजस्व ₹ 51.76 लाख था । इस प्रकार अर्जित राजस्व के पाँच प्रतिशत से ₹ 12.45 लाख

रुपये की अधिक राशि व्यय की गई जिसे आसवकों से वसूल किया जाना अपेक्षित था । लेकिन विभाग ने उसकी वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.45 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

<sup>20</sup> मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरी खोडीग्राम, खरगौन, मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरी, सबलपुर, खरगौन ।



जब हमने प्रकरणों को इंगित किया, तो जि.आ.अ. खरगौन ने राशि की वसूली न होने की इस चूक को स्वीकार किया (जून 2009)। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

हमने अगस्त 2009 तथा मार्च 2010 में प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2009)।

### 3.15 अहाता लायसेंस फीस का कम आरोपण

दो स.आ.आ.<sup>21</sup> तथा तीन जि.आ.अ.<sup>22</sup>, एफ.एल.-1 बी अहाता लायसेंस<sup>23</sup>

किसी एफ.एल.-1 लाइसेंस से संबद्ध एफ.एल.-1 बी अहाता लायसेंस पर वार्षिक लायसेंस फीस एफ.एल.-1 लायसेंस के वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य होगी जो आधारभूत लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस के योग के बराबर होगी। दिनांक 15 जनवरी 2008 की अधिसूचना में निर्धारित है कि देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की दुकान के वार्षिक मूल्य की पुनर्गणना देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में या इसके विपरीत अधिकतम 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस के समायोजन द्वारा की जाएगी।

हमने अक्टूबर 2008 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान 19 देशी मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस ₹ 4.34 करोड़ विदेशी मदिरा दुकानों में समायोजित की गई थी। इस समायोजन के परिणामस्वरूप, विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1) का वार्षिक

मूल्य अहाता लायसेंसों के संबंध में दुकानों के ऐसे पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत की दर से लायसेंस फीस का निर्धारण करने हेतु ₹ 22.48 करोड़ से पुनरीक्षित कर ₹ 26.82 करोड़ किया जाना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि ₹ 55.63 लाख के आरोपणीय पुनरीक्षित लायसेंस फीस के विरुद्ध, आबकारी प्राधिकारियों ने दुकानों के पुनरीक्षण पूर्व वार्षिक मूल्य के आधार पर ₹ 44.40 लाख की लायसेंस फीस आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.23 लाख की लायसेंस फीस का कम आरोपण/प्राप्ति हुई।

जब हमने प्रकरणों को इंगित किया, तो स.आ.आ., सागर ने बताया (अक्टूबर 2009) कि लेखापरीक्षा की पहल पर ₹ 1.02 लाख की आक्षेपित राशि वसूल की जा चुकी थी। लेकिन

<sup>21</sup> जबलपुर तथा सागर।

<sup>22</sup> बालाघाट, हरदा तथा कटनी।

<sup>23</sup> अहाता लायसेंस - ऐसा लायसेंस जो केवल किसी एफ.एल.-1 या एफ.एल.-1 ए लायसेंसधारक को प्रदान किया जा सकता है तथा जो एफ.एल.-1 या एफ.एल.-1 ए लायसेंसधारक के परिसर से संलग्न किसी परिसर या अहाते में विदेशी मदिरा के उपभोग की अनुमति प्रदान करता है।



वसूली के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये । जि.आ.अ., बालाघाट ने बताया (अप्रैल 2010) कि अप्रैल 2010 में ₹ 58,890 की आक्षेपित राशि वसूल की जा चुकी थी । स.आ.आ., जबलपुर तथा जि.आ.अ., कटनी ने जनवरी तथा अक्टूबर 2009 के मध्य बताया कि दुकान के वार्षिक मूल्य का दो प्रतिशत आरोपित कर वसूल किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दुकानों के पुनर्गणना पश्चात वार्षिक मूल्य के आधार पर लायसेंस फीस आरोपित नहीं की गई थी । जि.आ.अ., हरदा ने अक्टूबर 2008 में बताया कि संवीक्षा के उपरांत वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010) ।

हमने फरवरी 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

**अध्याय – 4**  
**वाहनों पर कर**

**4.1 कर प्रशासन**

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर तीन उप परिवहन आयुक्त (उ.प.आ.) एवं आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा तथा क्षेत्रीय स्तर पर 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.आ.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.आ.) एवं 25 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.आ.) के कार्यालय हैं।

**4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति**



विगत पांच वर्षों 2005-06 से 2009-10 के दौरान वाहनों पर कर की वास्तविक प्राप्तियां तथा उसी अवधि से सम्बंधित कुल कर प्राप्तियां नीचे तालिका एवं ग्राफ में दर्शाये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+) /कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2005-06	570.00	556.02	(-) 13.98	(-) 2.45	9,114.70	6.10
2006-07	675.00	634.30	(-) 40.70	(-) 6.02	10,473.13	6.06
2007-08	775.00	702.62	(-) 72.38	(-) 9.34	12,017.64	5.85
2008-09	800.00	772.56	(-) 27.44	(-) 3.43	13,613.50	5.68
2009-10	900.00	919.01	(+) 19.01	(+) 2.11	17,272.77	5.32

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी लेकिन वर्ष 2009-10 को छोड़कर विभाग पर्याप्त रूप से बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।





कुल कर प्राप्तियां (2009-10)  
वाहनों पर कर (2009-10)

### 4.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान वाहनों पर कर की प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय जैसा विभाग द्वारा बताया गया तथा सकल संग्रहण पर किये गये ऐसे व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2008-09 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय औसत का प्रतिशत
1.	वाहनों पर कर	2007-08	702.62	7.60	1.08	2.93
		2008-09	772.56	5.88	0.76	
		2009-10	919.01	12.63	1.38	

### 4.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

विगत पांच वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 39,336 प्रकरणों में राशि ₹ 200.78 करोड़ के कर/शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, गलत छूट, गलत दर से कर का आकलन, गलत गणना आदि इंगित किये गये थे । इनमें से विभाग/शासन द्वारा 22,211 प्रकरणों में राशि ₹ 144.27 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया एवं राशि ₹ 1.92 करोड़ की वसूली की गई । विवरण निम्न तालिका में दर्शाये जा रहे हैं :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2004-05	18	2,100	68.79	2,099	46.40	07	0.28
2005-06	28	22,211	40.88	6,198	9.55	184	0.92
2006-07	18	1,938	20.05	1,938	20.05	—	—
2007-08	19	7,125	49.18	7,125	49.18	42	0.08
2008-09	28	5,962	21.88	4,851	19.09	311	0.64
<b>योग</b>	<b>111</b>	<b>39,336</b>	<b>200.78</b>	<b>22,211</b>	<b>144.27</b>	<b>544</b>	<b>1.92</b>

विगत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत अत्यधिक कम रहा है। हमने इस गंभीर मुद्दे को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभाग प्रमुख के साथ-साथ वित्त सचिव, मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में लाया है।

#### 4.5 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित की गई अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुदेश जारी करने के उद्देश्य से विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान 45 जिलों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरुद्ध केवल 35 जिलों में आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की प्रमुख टिप्पणियों/प्रेक्षणों तथा विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।



#### 4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-10 में वाहनों पर कर से संबंधित 27 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 5,534 प्रकरणों में ₹ 18.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततायें पाई गईं, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	1,575	9.03
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	2,237	5.79
3.	अन्य अनियमिततायें	1,722	3.62
	<b>योग</b>	<b>5,534</b>	<b>18.44</b>

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,209 प्रकरणों में ₹ 5.19 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रकार की हानियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 515 प्रकरणों में ₹ 94.92 लाख की राशि वसूल की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 11.49 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

#### 4.7 वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

छब्बीस जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

राज्य में उपयोग के लिए लाई गई या रखी गई प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार किया जायेगा। कर के भुगतान में असफल रहने पर वाहन स्वामी शास्ति का दायी होगा।

हमने मई 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य अभिलेखों के अवलोकन में पाया कि अवधि अप्रैल 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य 3,893 वाहनों पर वाहन कर ₹ 9.65 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कराधान प्राधिकारियों (क.प्रा.) द्वारा अधिनियम

एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वाहनों की पहचान और कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। यद्यपि इस पर ₹ 5.28 करोड़ की

शास्ति भी आरोपणीय थी, जो नहीं लगाई गई । इसके परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार ₹ 14.93 करोड़ के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	कार्यालयों की सं.	वाहनों की श्रेणी वाहनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	26 <sup>1</sup>	मालवाहन 2,144	4/05 से 3/09	3.66	1.96	5.62
2	26 <sup>2</sup>	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोकसेवा वाहन 983	4/05 से 3/09	3.37	1.89	5.26
3	25 <sup>3</sup>	नियमित अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहन 383	5/05 से 3/09	2.03	1.05	3.08
4	18 <sup>4</sup>	मैक्सी कैब 383	4/05 से 3/09	0.59	0.38	0.97
	<b>योग</b>	<b>3,893</b>		<b>9.65</b>	<b>5.28</b>	<b>14.93</b>

यह इंगित किये जाने पर सात कराधान प्राधिकारियों<sup>5</sup> द्वारा बताया गया (नवम्बर 2009 एवं अगस्त 2010 के मध्य) कि 460 प्रकरणों में ₹ 90.01 लाख की वसूली की जा चुकी थी एवं शेष प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे । अन्य प्रकरणों में शेष कराधान

<sup>1</sup> क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.) भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन ।

अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) छिंदवाड़ा, धार, गुना, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, सतना, सिवनी तथा शहडोल ।

जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) बड़वानी, भिण्ड, मण्डला, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर तथा विदिशा ।

<sup>2</sup> क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन "अ.क्षे.प.का. छिंदवाड़ा, धार, गुना, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, सतना, सिवनी तथा शहडोल" जि.प.का. बड़वानी, भिण्ड, मण्डला, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर तथा विदिशा ।

<sup>3</sup> क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन "अ.क्षे.प.का. छिंदवाड़ा, धार, गुना, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, सतना, सिवनी तथा शहडोल" जि.प.का. बड़वानी, भिण्ड, मण्डला, नरसिंहपुर, राजगढ़, शाजापुर तथा विदिशा ।

<sup>4</sup> क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर तथा उज्जैन, "अ.क्षे.प.का. छिंदवाड़ा, धार, गुना, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, सतना तथा सिवनी" एवं जि.प.का. बड़वानी, भिण्ड, मण्डला, राजगढ़ तथा शाजापुर ।

<sup>5</sup> क्षे.प.का. रीवा, सागर, उज्जैन, "अ.क्षे.प.का. छिंदवाड़ा, खरगोन, खण्डवा तथा मंदसौर" ।



प्राधिकारियों ने बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जायेगी/वसूली की कार्रवाई की जायेगी/मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे ।

प्रकरण को जून 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य परिवहन आयुक्त (प.आ.) एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

#### 4.8 वाहन कर का गलत दर से आरोपण एवं शास्ति का अनारोपण

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल

निजी सेवा वाहनों की विभिन्न श्रेणियों से कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से किया जायेगा । कर जमा करने में असफल होने पर वाहन स्वामी शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2009) कि कराधान प्राधिकारी द्वारा 65 निजी सेवा वाहनों के वाहन स्वामियों को अवधि अप्रैल 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को आने-जाने हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे । किन्तु कराधान प्राधिकारी द्वारा इन पर शहरी मार्गों हेतु लागू निर्धारित कम दर से करारोपण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 54.26 लाख का

कम आरोपण एवं शास्ति ₹ 33.32 लाख का अनारोपण हुआ ।

यह इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2009) कि प्रकरणों का परीक्षण कर वसूली की जायेगी ।

प्रकरण को जनवरी एवं मार्च 2010 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

#### 4.9 मोटर वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

पन्द्रह जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय<sup>6</sup>

लोकसेवा वाहनों पर आरोपण योग्य कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जाती है । कर के भुगतान में असफल रहने पर वाहन स्वामी शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने मार्च 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य अवलोकित किया कि 201 मोटर वाहनों का अप्रैल 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य की अवधि से संबंधित वाहन कर, कर की गलत दर लागू किए जाने या कम दरों पर कर जमा करने के

कारण वाहन स्वामियों द्वारा कम जमा किया गया था । कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत

<sup>6</sup> क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना एवं उज्जैन, "अ.क्षे.प.का. धार, खरगौन, मंदसौर, सतना एवं सिवनी" एवं जि.प.का. मण्डला, सिहोर एवं विदिशा

दर से कर जमा होने की चूक का पता लगाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 40.80 लाख कम वसूल हुआ । इसके अतिरिक्त असंदत्त कर की राशि पर ₹ 21.76 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी, जो आरोपित नहीं की गई ।

यह इंगित किये जाने पर उज्जैन एवं खरगौन के कराधान प्राधिकारियों ने बताया (मई एवं अगस्त 2010 के मध्य) कि सात प्रकरणों में राशि ₹ 2.30 लाख की वसूली की जा चुकी थी । अन्य कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी/वसूली की जायेगी/मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे ।

प्रकरण को अप्रैल 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

#### 4.10 टेकागाड़ी अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित वाहनों पर गलत दर से करारोपण एवं शास्ति का अनारोपण

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीवा

टेका गाड़ियों पर करारोपण ₹ 500 प्रति सीट प्रति माह की दर से किया जायेगा । यदि वाहन स्वामी कर के भुगतान में असफल रहता है तो वह शास्ति का दायी होगा ।

हमने मई 2009 में अवलोकित किया कि 22 लोकसेवा वाहनों के 13 प्रचालकों को अवधि अप्रैल 2008 एवं मार्च 2009

के मध्य 70 अस्थाई टेकागाड़ी अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे । प्रचालकों ने कर का भुगतान टेकागाड़ी के स्थान पर निजी/शैक्षणिक संस्था बसों पर लागू दरों के अनुसार किया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.43 लाख के कर का कम आरोपण एवं शास्ति ₹ 10.38 लाख का अनारोपण हुआ ।

यह इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी ने बताया (मई 2009) कि प्रकरणों का परीक्षण कर कार्रवाई की जायेगी ।

प्रकरण जुलाई 2009 एवं मार्च 2010 में परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।



#### 4.11 वाहन कर के विलम्बित भुगतान पर शास्ति आरोपण में विफलता

चौदह जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय<sup>7</sup>

यदि किसी मोटर वाहन का कर देय तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा ।

हमने जून 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य अवलोकित किया कि जनवरी 2006 एवं मार्च 2009 के मध्य की अवधि में 437 मोटर वाहनों के लिए वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा एक माह से लेकर 39 माह तक के विलम्ब से किया गया था । किन्तु न तो वाहन स्वामियों ने शास्ति का भुगतान कर के साथ किया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई । इसके

परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 25.24 लाख की वसूली नहीं हुई ।

यह इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, खरगौन ने बताया (नवम्बर 2009) कि 35 प्रकरणों में ₹ 1.68 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं शेष प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये गये थे । अन्य प्रकरणों में यह बताया गया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जायेगी/वसूली की जायेगी/मांग सूचना पत्र जारी किए जा चुके थे ।

प्रकरण को जुलाई 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

#### 4.12 निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर एवं इन्दौर

ऐसे प्रकरण को छोड़कर जिसमें वाहन स्वामी ने "अप्रचालन" की घोषणा प्रस्तुत की हो और कराधान प्राधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो, निजी सेवा वाहनों पर कर का भुगतान अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों से किया जायेगा ।

हमने नवम्बर एवं दिसम्बर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि अप्रैल 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य 23 निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया था और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.19 लाख के कर की वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, इस पर

शास्ति ₹ 7.24 लाख भी आरोपणीय थी ।

<sup>7</sup> क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, अ.क्षे.प.का. छिंदवाड़ा, धार, खरगौन, मंदसौर एवं सतना तथा जि.प.का. मण्डला, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिहोर एवं शाजापुर ।

यह इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों का परीक्षण कर कार्रवाई की जायेगी/वसूली की कार्रवाई की जायेगी ।

प्रकरण को दिसम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

**4.13 शहरी मार्गों पर प्रचालित लोकसेवा वाहनों/शैक्षणिक संस्था बसों से वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना**

चार जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय<sup>8</sup>

शहरी मार्गों पर प्रचालित प्रत्येक लोकसेवा वाहन/शैक्षणिक संस्था बस पर कर का उद्ग्रहण विनिर्दिष्ट दरों से किया जायेगा । कर भुगतान न होने की दशा में वाहन स्वामी शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने सितम्बर 2007 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि अप्रैल 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य शहरी मार्गों पर प्रचालित 189 वाहनों/शैक्षणिक संस्था बसों से संबंधित वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया था और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा

इसकी मांग की गई थी । इसके परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 7.09 लाख एवं शास्ति ₹ 4.16 लाख की वसूली नहीं हुई ।

यह इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, खण्डवा ने बताया (जनवरी 2009) कि छः प्रकरणों में राशि ₹ 34,262 की वसूली की गई थी जबकि कराधान प्राधिकारी, ग्वालियर ने बताया (सितम्बर 2007) कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए जा चुके थे । अन्य प्रकरणों में कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि मांग सूचना पत्र जारी किये जा रहे थे/प्रकरणों का परीक्षण कर कार्रवाई की जायेगी/वसूली की कार्रवाई की जायेगी ।

प्रकरण अक्टूबर 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>8</sup> क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं अ.क्षे.प.का. खण्डवा ।



**4.14 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण**

तीन जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी<sup>9</sup>

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर कर का उद्ग्रहण विनिर्दिष्ट दर से किया जायेगा । यदि वाहन स्वामी कर के भुगतान में असफल रहता है तो वह शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने जुलाई एवं नवम्बर 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि अक्टूबर 2007 एवं मार्च 2009 के मध्य अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित आठ लोकसेवा वाहनों के सात प्रचालकों ने वाहन कर का भुगतान नहीं किया था और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.61 लाख के कर की वसूली

नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, इस पर ₹ 2.52 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी ।

यह इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, ग्वालियर ने बताया (नवम्बर 2009) कि प्रकरणों का परीक्षण कर वसूली की जायेगी, जबकि कराधान प्राधिकारी, जबलपुर तथा नरसिंहपुर ने बताया (जुलाई तथा अगस्त 2009) कि प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण को अगस्त 2009 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>9</sup> क्षे.प.का. ग्वालियर एवं जबलपुर तथा जि.प.का. नरसिंहपुर ।

## अध्याय-5

### भू-राजस्व

#### 5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व से संबंधित 92 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में एक प्रकरण में ₹ 314.60 करोड़ की राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताएं दृष्टिगत हुईं जिसे निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मध्य प्रदेश में भू-राजस्व प्राप्तियां (एक समीक्षा)	1	314.60
	योग	1	314.60

“मध्य प्रदेश में भू-राजस्व प्राप्तियाँ” पर एक समीक्षा, जिसमें ₹ 314.60 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।



**5.2 मध्य प्रदेश में भू-राजस्व प्राप्तियाँ**

**प्रमुख विशेषताएं**

व्यपवर्तन प्रकरणों में तहसील तथा कलेक्टर कार्यालय के अभिलेखों का प्रति-सत्यापन के प्रावधानों के अभाव के परिणामस्वरूप मांग का सृजित न होना/कम सृजित होना एवं परिणामस्वरूप ₹ 82 करोड़ का राजस्व वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.7)

मांगें स्थापित होने के बाद राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की कार्यवाही प्रारंभ करने की समय सीमा बाबत प्रावधान न होने के कारण ₹ 66.09 करोड़ रुपये का राजस्व वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.8)

नजूल भूमि आवंटन के बाद पट्टा विलेख के निष्पादन की समय सीमा बाबत प्रावधान न होने के कारण ₹ 1.51 करोड़ रुपये का पट्टा किराया वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.9)

अनन्तिम प्रब्याजि एवं भू-भाटक वसूल न करने तथा भूमि आवंटन के प्रकरण निराकृत न होने के कारण ₹ 6.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त न होना ।

(कंडिका 5.2.10)

संस्वीकृतियों के निष्पादन के लिए परिवीक्षण प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 6.89 लाख के भू-भाटक की हानि ।

(कंडिका 5.2.11)

कलेक्टर कार्यालय स्तर पर परिवीक्षण प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ रुपये का प्रक्रिया व्यय वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.13)

राजस्व संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निम्नतर दरों पर भूमि के आवंटन के कारण ₹ 59.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 5.2.16)

प्रब्याजि की किस्त की मांग सृजित न होने के परिणामस्वरूप ₹ 132.50 करोड़ वसूल नहीं हुए ।

(कंडिका 5.2.17)

ब्याज आरोपण न होने के परिणामस्वरूप ₹ 2.70 करोड़ वसूल नहीं हुए ।

(कंडिका 5.2.18)

व्यवसायिक उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित भूमि को आवासीय माना गया, परिणामतः ₹ 1.38 करोड़ के भाटक/प्रब्याजि की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 5.2.20)

सेवा प्रभार और ब्याज के अनारोपण/जमा न होने के कारण राजकीय कोष ₹ 28.09 करोड़ के राजस्व से वंचित हुआ ।

(कंडिका 5.2.26)

### 5.2.1 प्रस्तावना

शासन को भूमि के लिये भुगतान योग्य सभी धन राशियां भू-राजस्व हैं, भले ही ऐसी धन राशियां प्रब्याजि, भाटक और पट्टा धन के रूप में वर्णित हों। यदि किसी भूमि पर निर्धारण किसी एक प्रयोजन के उपयोग के लिए किया गया था, और वह भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है, तो ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व परिवर्तित हो जाता है तथा उसका निर्धारण परिवर्तित प्रयोजन के अनुसार किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। पट्टे पर आवंटित शासकीय भूमि पर प्रीमियम, भू-भाटक तथा ब्याज आरोपित किया जाता है। इसके साथ-साथ, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित भूमि से संबंधित भू-राजस्व पर पंचायत उपकर का भी आरोपण होता है। भू-राजस्व, उपकर, अर्थदण्ड, शास्ति, प्रक्रिया व्यय एवं ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959, पंचायत राज अधिनियम, 1993, मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों, राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी) और अधिसूचनाओं/कार्यकारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। भू-राजस्व प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0029 के अंतर्गत जमा की जाती हैं ।

हमने राज्य में भू-राजस्व प्राप्तिओं के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण की प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया जिसमें बहुत सी प्रणालीगत तथा अनुपालन संबंधी कमियाँ दृष्टिगत हुईं ।

### 5.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर राजस्व विभाग प्रमुख सचिव के अधीन होता है। आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख उनके सहायक हैं । संभागीय आयुक्त संभाग के सभी जिलों पर वित्तीय एवं प्रशासकीय नियन्त्रण का कार्य करते हैं । सभी जिलों में, विभागीय क्रियाकलापों पर प्रबंध नियन्त्रण का कार्य कलेक्टर करते हैं । यह दायित्व कलेक्टर को सौंपा गया है कि वह जिले के उपसंभाग के प्रभारी के पद पर एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करेगा । इस प्रकार से उपसंभाग के प्रभारी पद पर पदस्थापित किये गये अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । ये कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जिनके संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित किया



जाता है। राजस्व-अभिलेखों एवं बंदोवस्त के रख रखाव के लिए अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की पदस्थापना कलेक्टर कार्यालय में रहती हैं। तहसीलों में तहसीलदार/अपर तहसीलदार, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्य में दस राजस्व संभाग हैं, जिनमें से प्रत्येक आयुक्त के अधीन रहता है; 50 जिले हैं जो कलेक्टर के अधीन रहते हैं तथा 318 तहसीलें हैं।

### 5.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

50 में से 11 कलेक्टर<sup>1</sup> कार्यालयों एवं 318 में से 78 तहसील<sup>2</sup> कार्यालयों के वर्ष 2005-06 से 2009-10 के अभिलेखों की नमूना जांच मई 2009 और मार्च 2010 के मध्य की गयी। इन इकाइयों का चयन प्रतिस्थापन रहित साधारण यादृच्छिक रीति से किया गया।

### 5.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने निम्न दृष्टियों से समीक्षा का निष्पादन किया:

- भू-राजस्व, प्रब्याजि, भू-भाटक, व्यपवर्तन लगान, शास्ति एवं उपकर के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण के लिये प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, और
- यह आकलन करना कि क्या राजस्व के समुचित एवं समय पर संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान है।

### 5.2.5 अभिस्वीकृति

हम राजस्व विभाग एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारियां उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करते हैं। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली पर चर्चा हेतु विभाग के अपर सचिव के साथ मार्च 2010 में एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था। निर्गम सम्मेलन नवम्बर 2010 में आयोजित किया गया था जिसमें भू-राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव तथा दो अपर सचिवों ने भाग लिया।

### 5.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

बजट मैनुअल में प्रावधान है कि अनुमानों में केवल ऐसी प्राप्तियों को शामिल करना चाहिये जिन्हें अनुमानकर्ता अधिकारी बजट वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किए जाने की उम्मीद करता है। बजट मैनुअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि परिशुद्धता की जांच से संतुष्ट होना है तो, न केवल पूर्वानुमानित सभी मदों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये, अपितु केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिये जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं।

<sup>1</sup> भोपाल, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, मंदसौर, रतलाम, सागर और उज्जैन।

<sup>2</sup> विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

31 मार्च 2010 को समाप्त विगत पांच वर्षों में राजस्व की प्रवृत्ति निम्नानुसार रही:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरीक्षित बजट अनुमानों के विरुद्ध आधिक्य (+), कमी (-) प्रतिशत में
2005-06	85.55	77.16	(-) 09.81
2006-07	125.00	132.21	(+) 05.77
2007-08	122.45	129.15	(+) 05.47
2008-09	156.01	338.84	(+)117.19
2009-10	161.81	180.03	(+) 11.26

हमने यह पाया कि बजट अनुमान तैयार करते समय विभाग द्वारा विगत वर्ष के दौरान हुई वास्तविक प्राप्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियों में हुई अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारणों से जनवरी, अप्रैल एवं मई 2010 में अनुरोध किए जाने तथा इसके पश्चात जून 2010 में अर्धशासकीय अनुस्मारक प्रेषित किए जाने के बावजूद भी अवगत नहीं कराया गया।

#### कुल कर राजस्व में भू-राजस्व प्राप्तियों का योगदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल कर राजस्व	भू-राजस्व	(2) से (3) का प्रतिशत योगदान
1	2	3	4
2005-06	9,114.70	77.16	0.85
2006-07	10,473.13	132.21	1.26
2007-08	12,017.64	129.15	1.07
2008-09	13,613.50	338.84	2.49
2009-10	17,272.77	180.03	1.04
योग	62,491.74	857.39	

राज्य की कुल कर प्राप्तियों में भू-राजस्व प्राप्तियों के योगदान प्रतिशत में वर्ष 2008-09 में अत्यधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। जनवरी, अप्रैल एवं मई 2010 में अनुरोध किए जाने तथा इसके पश्चात जून 2010 में अर्धशासकीय अनुस्मारक प्रेषित किए जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा बढ़ोत्तरी के कारण नहीं बताये गए।

#### विगत पांच वर्षों में मुख्य शीर्ष 0029 के अंतर्गत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार विश्लेषण


लघुशीर्ष 101 में भू-राजस्व/कर जबकि लघुशीर्ष 800 (अन्य प्राप्तियां) में नज़ूल भूमि पर प्रीमियम तथा भाटक, परिवर्तित भूमि पर प्रब्याजि तथा शास्ति शामिल है। विगत पांच वर्षों में



इन दो लघुशीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ मुख्यशीर्ष 0029 की कुल प्राप्तियों का औसतन 95.63 प्रतिशत रही :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लघुशीर्ष-101		लघुशीर्ष-800		लघुशीर्ष 101 एवं 800 की कुल प्राप्तियां	इन लघुशीर्षों में कुल प्राप्तियों का भू-राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां		
2005-06	22.02	44.29	57.16	25.75	70.04	90.77
2006-07	32.02	89.66	84.28	39.56	129.22	97.74
2007-08	33.02	80.26	89.43	42.67	122.93	95.18
2008-09	38.41	297.43	109.60	34.28	331.71	97.90
2009-10	39.91	128.04	111.90	37.99	166.03	92.22
योग	165.38	639.68	452.37	180.25	819.93	95.63



बजट अनुमान तैयार करते समय यह ध्येय होता है कि संभावित वास्तविक प्राप्तियों का आंकलन यथासंभव वास्तविकता के सन्निकट किया जाय। हमने यह पाया कि समीक्षाधीन सभी पांच वर्षों में लघुशीर्ष 101 के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से 100 प्रतिशत से भी अधिक रहीं जबकि लघुशीर्ष 800 के मामले में प्रवृत्ति इसके उलट रही। बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थपरक बनाने के लिए विभाग द्वारा इनको तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाना अपेक्षित है।

विगत पांच वर्षों में लघुशीर्ष-800 (अन्य प्राप्तियां) के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियां पुनरीक्षित अनुमानों का मात्र 39.85 प्रतिशत हैं जो नज़ूल भूमि से संबंधित प्रब्याजि एवं भाटक, परिवर्तित



भूमि की प्रब्याजि एवं शास्तियों के निर्धारण/वसूली से संबंधित कमियों का सूचक है जिन पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

**लेखापरीक्षा के निष्कर्ष**

**प्रणालीगत कमियां**

**5.2.7 व्यपवर्तन प्रकरणों में राजस्व वसूल न होना**

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 58 एवं 59 तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 14 के अनुसार, जब भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित होती है, राजस्व अधिकारी **फार्म बी-1** में भूमि धारी बार *खतौनी* तैयार करेंगे जिसमें वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए व्यपवर्तन प्रकरणों का विवरण रहता है, तथा उसे तहसीलदार को अपना अभिलेख अद्यतन करने और व्यपवर्तन लगान एवं प्रब्याजि की वसूली के लिए प्रेषित करेंगे। हमने यह पाया कि तहसील एवं कलेक्टर कार्यालय के अभिलेखों का प्रति सत्यापन करने एवं व्यपवर्तन लगान और प्रब्याजि की समुचित एवं समय पर वसूली को सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता अथवा राजस्व पुस्तक परिपत्र में कोई प्रावधान नहीं था। किसी ऐसे पुनर्मिलान पत्रक जिसमें अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त व्यपवर्तन प्रकरणों की संख्या एवं इन प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा वसूली की कार्रवाई का विवरण हो, के अभाव में कलेक्टर, व्यपवर्तन प्रकरणों में, मांग सृजित न होने/कम सृजित होने के कारण होने वाली राजस्व हानि के उदाहरणों को सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं।

चार कलेक्टर कार्यालयों<sup>3</sup> तथा 14 तहसीलों<sup>4</sup> /अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में हमने यह पाया कि अक्टूबर 2004 और अक्टूबर 2009 के मध्य ₹ 81.84 करोड़ के व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि, पंचायत उपकर एवं अर्थदण्ड की वसूली से अन्तर्विष्ट 2,342 व्यपवर्तन प्रकरण अनुविभागीय

अधिकारियों द्वारा निराकृत किये गये। इनमें से 73 प्रकरणों में माँग सृजित करने के लिए तहसीलदार को प्रेषित करने हेतु फार्म बी-1 में विवरण पत्रक तैयार नहीं किया गया था; 416 प्रकरणों में अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2009 के मध्य बी-1 विवरण पत्रक तैयार किया गया था किंतु उसे संबंधित तहसीलदारों को वसूली के लिए नहीं भेजा गया था, जबकि शेष

<sup>3</sup> भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद और इंदौर।

<sup>4</sup> अटेर(भिण्ड), बलदेवगढ़(टीकमगढ़), ग्वालियर, हुजूर(भोपाल), इटारसी(होशंगाबाद), जबलपुर, जावद(नीमच), खरगौन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सरदारपुर(धार), सिगरौली एवं शाजापुर।



1,853 प्रकरणों में यद्यपि बी-1 पत्रक अक्टूबर 2006 और नवम्बर 2009 के मध्य संबंधित तहसीलदारों को भेजा गया था परन्तु मांग सृजन करने के बारे में तहसीलदारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, उज्जैन के दो एवं होशंगाबाद के दस प्रकरणों में फार्म बी-1 में, ₹ आठ लाख की मांग कम अंकित पायी गयी जबकि खरगौन के 143 प्रकरणों में ₹ 19.52 लाख के बजाय ₹ 10.90 लाख की मांग सृजित की गई। मांग सृजित न करने/कम सृजित करने के परिणामस्वरूप ₹ 82 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नौ तहसीलदारों<sup>5</sup> ने बताया (जून 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि मांग सृजित की जायेगी। चार अधीक्षक भू-अभिलेख (व्यपवर्तन) एवं पांच तहसीलदारों<sup>6</sup> ने बताया (नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

व्यपवर्तन लगान निर्धारण के प्रकरणों एवं तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत होने वाले मांग एवं वसूली के मासिक विवरण पत्रकों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए कोई कार्यविधि निर्धारित करने पर शासन विचार कर सकता है।

**5.2.8 वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने की समय सीमा के प्रावधान के अभाव के कारण राजस्व की वसूली न होना।**

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 155 में, नियत तिथि पर या उसके पूर्व भुगतान न की गई देय धन राशियों को बकायादार की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने का प्रावधान है। तथापि, म.प्र. भू-राजस्व संहिता में देय धन राशियों को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिए वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**5.2.8.1** नौ कलेक्टर कार्यालयों<sup>7</sup> (नजूल)<sup>8</sup> तथा तीन तहसील कार्यालयों<sup>9</sup> में हमने यह

पाया (जून 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि 2005-06 और 2009-10 के मध्य की अवधि के 4,975 प्रकरणों में निर्धारितियों द्वारा ₹ 51.79 करोड़ के प्रब्याजि, भू-भाटक और व्यपवर्तन लगान का भुगतान नहीं किया गया था। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी संबंधित निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन राशियों को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूलने के लिए वसूली

<sup>5</sup> अटेर(भिण्ड), बलदेवगढ़(टीकमगढ़), इटारसी(होशंगाबाद), जबलपुर, जावद(नीमच), मंदसौर, सरदारपुर(धार), सिंगरौली और शाजापुर।

<sup>6</sup> ग्वालियर, हुजूर(भोपाल), खरगौन, नीमच तथा रतलाम।

<sup>7</sup> भोपाल, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, सागर, और उज्जैन।

<sup>8</sup> शासकीय भूमि, जिसका उपयोग निर्माण, जनता के उपयोग के प्रयोजन यथा बाजार या मनोरंजन स्थल के रूप में होता है। इस भूमि का स्थल मूल्य होता है न कि कृषि संबंधित महत्व।

<sup>9</sup> बीना(सागर), धरमपुरी(धार) और उज्जैन।

कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई । इसके अलावा, 13 तहसील कार्यालयों<sup>10</sup> में, ग्रामवार मांग-वसूली पंजी तथा मासिक विवरण पत्रकों के अनुसार, भू-राजस्व, उपकर एवं शालाकर की मदों में ₹ 13.04 करोड़ की राशि बकाया थी । हमने पाया कि इन प्रकरणों में बकायादारों का विवरण तक उपलब्ध नहीं था और इसके अभाव में, तहसीलदार वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं थे । इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.83 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार (नजूल), उज्जैन ने बताया (नवम्बर 2009) कि देय राशियों की वसूली तहसील कार्यालय में होती है । उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि नजूल भूमि के संबंध में देय राशियों की वसूली तहसीलदार (नजूल) द्वारा की जानी होती है । छ: तहसीलदारों<sup>11</sup> ने बताया (जून 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि पटवारियों से बकायादारों की सूची प्राप्त करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी । शेष राजस्व अधिकारियों ने बताया (जून 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

**5.2.8.2** हमने तीन कलेक्टर कार्यालयों<sup>12</sup> (नजूल), राजधानी परियोजना (नजूल) भोपाल एवं 48 तहसील कार्यालयों<sup>13</sup> में यह पाया कि अक्टूबर 2005 और सितम्बर 2009 के मध्य अतिक्रमण के 18,636 प्रकरणों में ₹ 1.26 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था । लेकिन बकायादारों द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया और संबंधित तहसीलदारों द्वारा भी इसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल नहीं किया गया । हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद संबंधित राजस्व-अधिकारियों ने मई 2009 और मार्च 2010 के मध्य बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अधिनियम/नियमों में वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने की समय सीमा का प्रावधान शामिल करने पर शासन विचार कर सकता है ।

<sup>10</sup> हुजूर (भोपाल), इंदौर, ईसागढ़ (अशोकनगर), मैहर (सतना), मंदसौर, मुंगावली (अशोकनगर), नीमच, रतलाम, सागर, सेवड़ा (दतिया), सिंगरोली, सिरोंज (विदिशा) एवं टीकमगढ़ ।

<sup>11</sup> हुजूर (भोपाल), मंदसौर, मुंगावली (अशोकनगर), नीमच, सेवड़ा (दतिया) और टीकमगढ़ ।

<sup>12</sup> भोपाल, इंदौर और जबलपुर ।

<sup>13</sup> विवरण अनुलग्नक 'ख' में दर्शाया गया है ।



**5.2.9. पट्टा विलेख के निष्पादन की समय-सीमा के प्रावधान के अभाव के कारण पट्टा-भाटक, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूल न होना।**

राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 28 में यह प्रावधान है कि नज़ूल भूमि के आवंटन के बाद यथोचित समय में पट्टा विलेख का निष्पादन एवं उसका पंजीयन हो जाना चाहिये। और यह भी कि पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार 12 माह से अधिक अवधि का पट्टा विलेख अनिवार्यतः पंजीयन योग्य दस्तावेज है। तथापि राजस्व पुस्तक परिपत्र अथवा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता में पट्टा विलेख के निष्पादन तथा उसके पंजीयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

हमने कलेक्टर कार्यालय, भोपाल तथा ग्वालियर और तहसील हुजूर (भोपाल) में यह पाया कि 51 प्रकरणों में

1,271 एकड़ नज़ूल भूमि अनेक आवंटितियों को आवंटित की गई थी (जून 2007 और जून 2009 के मध्य)। तथापि, 11 प्रकरणों में लेखापरीक्षा दिनांक तक पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किए गए थे। इसके कारण ₹ 1.51 करोड़ का पट्टा भाटक वसूल नहीं हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर नज़ूल अधिकारी, भोपाल ने एक प्रकरण के बारे में बताया (जनवरी 2010) कि अनुबंध की पंजीकृत प्रति प्राप्त की जायेगी जबकि दूसरे प्रकरण के बारे में उन्होंने बताया कि अनुबंध का पंजीयन हो गया था। नज़ूल अधिकारी, ग्वालियर तथा राजधानी परियोजना, भोपाल तथा तहसीलदार, भोपाल ने बताया (अक्टूबर 2009 और जनवरी 2010 के मध्य) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता/राजस्व पुस्तक परिपत्र में पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए समय सीमा का प्रावधान शामिल करने पर शासन विचार कर सकता है।

**5.2.10. अग्रिम आधिपत्य के प्रकरणों में अनंतिम प्रब्याजि एवं भू-भाटक वसूल न करने के कारण राजस्व प्राप्त न होना।**

राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 29 के प्रावधान के अनुसार, जब अन्तिम स्वीकृति की प्रत्याशा में आवेदक को शासकीय भूमि का अग्रिम आधिपत्य प्रदान किया जाता है तो अनुमानित प्रब्याजि एवं भू-भाटक के आधार पर अनन्तिम प्रब्याजि एवं भू-भाटक वसूल किया जाना चाहिये। इसी दौरान, आवेदक को इस आशय का एक वचन पत्र कि शासन अन्तिम रूप से जो प्रब्याजि तथा भू-भाटक निर्धारित करेगा, वह उसका भुगतान करेगा, प्रस्तुत करना चाहिये। हमने यह पाया कि अंतिम आवंटन के लिये प्रकरण प्रस्तुत करने बावत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

हमने कलेक्टर कार्यालय (नज़ूल) भोपाल तथा रतलाम में पाया कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को (अक्टूबर 2006 तथा



जून 2007 के मध्य) क्रमशः 5.15 एकड़ एवं 35.05 एकड़ शासकीय भूमि का अग्रिम आधिपत्य प्रदान किया गया था। कलेक्टर कार्यालय, भोपाल के प्रकरण में अनन्तिम प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक के रूप में क्रमशः ₹ 4.50 करोड़ और ₹ 22.52 लाख वसूल नहीं किये गये। कलेक्टर कार्यालय, रतलाम के प्रकरण में ₹ 1.24 करोड़ के अनन्तिम प्रब्याजि के विरुद्ध केवल ₹ 20 लाख वसूल किए गए तथा ₹ 1.04 करोड़ की प्रब्याजि तथा ₹ 6.18 लाख का वार्षिक भू-भाटक वसूली के लिए शेष रहा। दोनों प्रकरणों में वर्ष 2009-10 तक अनन्तिम प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक के रूप में भुगतान योग्य राशि ₹ 6.63 करोड़ संगणित होती है। तथापि कलेक्टर कार्यालयों (नज़ूल) द्वारा न तो देय राशियों को वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई की गई और न ही तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भी ये प्रकरण अंतिम आवंटन के लिए शासन को प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार, ये प्रकरण शासन की अंतिम स्वीकृति के लिये लंबित हैं।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, संबंधित नज़ूल अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2009 और जनवरी 2010 के मध्य) कि आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अग्रिम आधिपत्य के प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर शासन विचार कर सकता है।

**5.2.11 संस्वीकृतियों के निष्पादन के लिए कोई परिवीक्षण प्रणाली न होने के कारण राजस्व हानि।**

शासकीय भूमि के आवंटन हेतु शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों में सन्निहित मानक शर्तों के अनुसार, यदि स्वीकृति जारी होने के छः माह के अंदर प्रब्याजि एवं भू-भाटक का भुगतान नहीं किया जाता है तो स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए यह अपेक्षित है कि राजस्व की सुरक्षा के लिये शासन द्वारा संस्वीकृति जारी होने के तुरंत बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में प्रब्याजि तथा भू-भाटक के निर्धारण एवं मांग सृजन में यथोचित तत्परता बरती जाय।

हमने राजधानी परियोजना भोपाल और कलेक्टर कार्यालय (नज़ूल) इंदौर में यह पाया कि अप्रैल एवं सितम्बर 2008 के मध्य दो प्रकरणों में 12.68 एकड़ नज़ूल भूमि के आवंटन की संस्वीकृति जारी की गई थी। इन प्रकरणों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रब्याजि एवं भू-भाटक की मांग संस्वीकृति जारी होने के छः माह के बाद की गई। इसके परिणामस्वरूप, इन संस्वीकृतियों को निष्पादित नहीं किया जा

सका तथा 2008-09 के दौरान शासन भू-भाटक के रूप में ₹ 6.89 लाख के राजस्व से वंचित रहा।



हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नज़ूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल ने बताया (जनवरी 2010) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जबकि नज़ूल अधिकारी, इंदौर ने बताया (फरवरी 2010) कि शासन से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा ।

संस्वीकृतियों के सामयिक निष्पादन में विफलता के लिए शासन उत्तरदायित्व निर्धारण करने पर विचार कर सकता है ।

#### 5.2.12 वाणिज्यिक फसलों की सूची में सोयाबीन को शामिल न करने से राजस्व हानि ।

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक फसल (भूमि पर कर) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए वाणिज्यिक फसलों की भूमि पर, इसमें विहित दरों पर कर आरोपणीय है। ये दरें, वर्ष 1970 से न तो पुनरीक्षित की गई हैं और न ही कोई नई फसल इस सूची में शामिल की गई है। मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है और मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम/वैट अधिनियम के अंतर्गत सोयाबीन पर भी ऑयल सीड के अनुसार कर आरोपण होता है।

हमने सात कलेक्टर कार्यालयों<sup>14</sup> और 29 तहसील कार्यालयों<sup>15</sup> में यह पाया (नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान 220.94 लाख एकड़ में सोयाबीन का उत्पादन किया गया था। धार, इंदौर एवं रतलाम के कलेक्टर कार्यालयों के अनुसार, सोयाबीन का उत्पादन अन्य

वाणिज्यिक फसलों के 14.64 लाख एकड़ की तुलना में 63.95 लाख एकड़ में किया गया था। वाणिज्यिक फसलों की सूची में सोयाबीन को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ दो प्रति एकड़ की न्यूनतम दर<sup>16</sup> से ₹ 4.42 करोड़ की राजस्व हानि हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, संबंधित राजस्व अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि शासन से अनुदेश प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

शासन वाणिज्यिक फसल कर की दरें पुनरीक्षित करने तथा सोयाबीन को वाणिज्यिक फसलों की सूची में शामिल करने पर विचार कर सकता है ।

<sup>14</sup> धार, होशंगाबाद, इंदौर, खरगोन, मंदसौर, रतलाम और सागर ।

<sup>15</sup> विवरण अनुलग्नक 'ग' में दिया गया है ।

<sup>16</sup> कपास तथा मूंगफली की वाणिज्यिक फसलों की भूमि पर ₹ दो प्रति एकड़ एवं अफीम, गन्ना, तम्बाकू, मेस्ता और सन की फसल की भूमि पर ₹ चार प्रति एकड़ की दर से कर आरोपणीय है ।



### 5.2.13 कलेक्टर कार्यालयों में परिवीक्षण प्रणाली के न होने के कारण प्रक्रिया व्यय वसूल न होना

म.प्र. लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 एवं मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता में यह प्रावधान है कि वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात अपनी राजस्व प्रकरण पंजी में राजस्व प्रकरण दर्ज करेगा तथा 15 दिन के अंदर मांग-पत्र जारी करेगा। अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय आरोपणीय है। प्रक्रिया व्यय की समय पर एवं सही-सही वसूली का परिवीक्षण करने के लिए यह आवश्यक है कि कलेक्टर, तहसीलदारों की ओर से प्रक्रिया व्यय की देयता एवं वास्तविक रूप से संग्रहीत की गई राशि का समावेश करने वाला एक मासिक-पत्रक प्राप्त करे। **तथापि, हमने यह पाया कि ऐसी कोई परिवीक्षण प्रणाली निर्धारित नहीं की गई थी।**

हमने 67 तहसील कार्यालयों<sup>17</sup> में यह पाया (मई 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि अप्रैल 2005 और सितम्बर 2009 के मध्य बैंकों तथा अन्य विभागों के राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध ₹ 167.55 करोड़ वसूल किए गए थे, जिन पर ₹ 5.03 करोड़ का प्रक्रिया व्यय वसूली योग्य था। तथापि, प्रक्रिया व्यय की मांग तथा वसूली का विवरण तहसील कार्यालयों में अभिलेखबद्ध नहीं पाया

गया। इस प्रकार, प्रक्रिया व्यय के संग्रहण की सत्यता एवं समयबद्धता का मूल्यांकन करने के बारे में कलेक्टर कार्यालयों में कोई परिवीक्षण प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ का प्रक्रिया व्यय वसूल नहीं हुआ। हुजूर (भोपाल) और होशंगाबाद तहसील कार्यालयों में हमने यह पाया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा 84 चालानों के माध्यम से (जुलाई 2007 और मार्च 2009 के मध्य) ₹ 8.47 लाख का प्रक्रिया व्यय वसूल किया गया था, किन्तु होशंगाबाद के ₹ 1.21 लाख की वसूली के पांच प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में वसूली जिस सृजित मांग के विरुद्ध की गई थी, उसका विवरण तहसील में उपलब्ध नहीं था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, प्रभारी अधिकारी कलेक्टर कार्यालय भोपाल ने बताया (जनवरी 2010) कि प्रक्रिया व्यय की वसूली से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं था। तहसीलदार, खरगौन ने मार्च 2010 में बताया कि सहकारी बैंकों पर प्रक्रिया व्यय लागू नहीं होता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह नियमों के अनुरूप नहीं है। तहसीलदार इंदौर और महू ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2010) कि वसूली के लिए बैंक जिम्मेदार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया व्यय की मांग एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व तहसीलदार का

<sup>17</sup> विवरण अनुलग्नक 'घ' में दिया गया है।



होता है। कलेक्टर कार्यालय इंदौर के प्रभारी अधिकारी एवं शेष तहसीलदारों ने बताया (जून 2009 और मार्च 2010 के मध्य) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रक्रिया व्यय की समय पर वसूली को सुनिश्चित करने के लिए शासन कलेक्टर कार्यालयों में उपयुक्त परिवीक्षण प्रणाली निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार कर सकता है।

#### 5.2.14 ग्राम पंचायत क्षेत्र में संग्रहीत प्रब्याजि पर पंचायत उपकर का आरोपण न होना।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 58(2) के अनुसार, शासकीय भूमि के लिये राज्य शासन को प्रब्याजि, भाटक, पट्टा धन, त्यजित भाटक आदि के रूप में देय सभी धन राशियां भू-राजस्व हैं। आगे, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 74 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक राजस्व वर्ष में विहित दरों के अनुसार पंचायत उपकर आरोपणीय है। इस प्रकार, पंचायत उपकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में संग्रहीत व्यपवर्तन लगान के साथ-साथ प्रब्याजि पर भी आरोपणीय है क्योंकि म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 58(2) के अनुसार प्रब्याजि भी भू-राजस्व है।

हमने कलेक्टर कार्यालय जबलपुर तथा तहसील कार्यालय हुजूर(भोपाल) एवं मंदसौर में यह पाया (दिसम्बर 2009 और फरवरी 2010 के मध्य) कि अक्टूबर 2005 और सितम्बर 2009 के मध्य निर्णीत ग्राम पंचायत क्षेत्र के 837 व्यपवर्तन प्रकरणों में प्रब्याजि पर पंचायत उपकर का निर्धारण एवं आरोपण नहीं किया गया था। इसके अलावा, कलेक्टर कार्यालय

(व्यपवर्तन) भोपाल एवं 13 तहसील कार्यालयों<sup>18</sup> में हमने यह पाया कि अक्टूबर 2005 और सितम्बर 2009 के मध्य निर्णीत ग्राम पंचायत क्षेत्रों के 1,452 व्यपवर्तन प्रकरणों में पंचायत उपकर का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के पंचायत उपकर का आरोपण/वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, तहसीलदार हुजूर(भोपाल) ने बताया (दिसम्बर 2009) कि प्रब्याजि पर पंचायत उपकर आरोपण का कोई नियम नहीं है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 58(2) के अनुसार, व्यपवर्तन लगान के साथ-साथ प्रब्याजि भी भू-राजस्व है और ऐसे राजस्व पर पंचायत उपकर का निर्धारण करना चाहिये।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रब्याजि पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु शासन अनुदेश जारी करने पर विचार कर सकता है।

<sup>18</sup> बुरहानपुर, हुजूर (रीवा), झाबुआ, कैलारस (मुरैना), खातेगांव (देवास), मंदसौर, महु (इंदौर), नीमच, पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा), रतलाम, श्योपुर, टीकमगढ़ और विजयपुर (श्योपुर)।

### 5.2.15 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

#### 5.2.15.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसकी आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। हमने यह पाया कि यद्यपि संभागीय स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखायें कार्यरत थीं किन्तु विभाग द्वारा संगठनात्मक संरचना, लेखापरीक्षा योजना, स्टाफ की कार्यशक्ति, प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हमारे द्वारा की गई नमूना जांच में आगे प्रकट हुआ कि राजधानी परियोजना(नजूले) भोपाल, कलेक्टर (बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख), भोपाल, कलेक्टर (सदर वासिल बाकी नवीस), इंदौर तथा कलेक्टर (व्यपवर्तन), ग्वालियर की आंतरिक लेखापरीक्षा विगत पांच वर्षों में केवल एक बार की गई थी, जबकि चयनित 11 कलेक्टर कार्यालयों में से शेष अन्य अनुभागों/शाखाओं की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा इस अवधि में नहीं की गई थी। विगत पांच वर्षों के दौरान चयनित 78 तहसीलों में से 61 तहसीलों<sup>19</sup> में विभाग द्वारा कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अनुरोध के बावजूद भी जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन, उठायी गई आपत्तियों की संख्या, अंतर्निहित राशि आदि के विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

#### 5.2.15.2 विभागीय निरीक्षण

राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान है कि संभागीय आयुक्त द्वारा प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील के राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण क्रमशः दो एवं तीन वर्ष में किया जाना चाहिये जबकि कलेक्टर द्वारा अपने जिले की प्रत्येक तहसील का निरीक्षण प्रति वर्ष किया जाना चाहिये।

हमने यह पाया कि आयुक्तों द्वारा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कलेक्टर कार्यालयों एवं तहसीलों के क्रमशः 88 एवं 156 निरीक्षणों के विरुद्ध 52 तथा 112 निरीक्षण किए गए थे। कलेक्टरों द्वारा तहसीलों में 390 निरीक्षण किये

जाने थे किन्तु उन्होंने केवल 117 निरीक्षण किये थे। अनुरोध के बावजूद निष्पादित निरीक्षणों एवं निरीक्षण टीपों/ज्ञापनों आदि में उठाये गये/शामिल बिन्दुओं के विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

<sup>19</sup> विवरण अनुलग्नक 'ड' में दिया गया है।



अनुपालन संबंधित कमियां

5.2.16 निम्नतर मूल्यों पर शासकीय भूमि के आवंटन के कारण राजस्व की हानि

व्यवसायिक उद्देश्य

राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. एफ-6-47/7/नजूल/37 दिनांक 07.11.2002 के अनुसार, नीलामी पद्धति को छोड़कर किसी अन्य तरीके से पट्टे के आधार पर शासकीय भूमि का आवंटन किए जाने के प्रकरण में, 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों/शहरों में भूमि का आवंटन ₹ 60 प्रति वर्ग फुट की दर से किया जाएगा ।

5.2.16.1 हमने राजधानी परियोजना, भोपाल में अवलोकित किया कि 20.53 हैक्टेयर नजूल भूमि (भोपाल नगर निगम की सीमा के अंदर स्थित) मैसर्स ऐसेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को वाटर पार्क की स्थापना के लिए

पट्टे पर दी गई (जनवरी 2008) । प्रकरण की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 23 के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 07.11.2002 में निर्धारित ₹ 60 प्रति वर्ग फुट की न्यूनतम दर के विरुद्ध, 2005-06 में कृषि भूमि हेतु लागू दरों लगभग ₹ 17.66 प्रति वर्ग फुट के अनुसार जनवरी 2008 में पट्टे पर आवंटित की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.46 करोड़ की कम प्राप्ति हुई तथा कंपनी को अनुचित लाभ प्रदान किया गया ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, नजूल अधिकारी ने बताया (जनवरी 2010) कि प्रब्याजि एवं भू-भाटक शासन की स्वीकृति के अनुसार आरोपित किये गये थे तथा लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिंदुओं को शासन के ध्यान में लाया जाएगा । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

5.2.16.2 हमने झाबुआ में देखा कि 149 वर्गमीटर नजूल भूमि गैर-व्यवसायिक दर ₹ 1500

राजस्व पुस्तक परिपत्र-IV-I सह पठित शासकीय परिपत्र दिनांक 4 अप्रैल 1997 में प्रावधान है कि व्यवसायिक सहकारी संस्थाओं (कृषि आधारित संस्थाओं को छोड़कर) को भूमि का आवंटन दस्तावेजों के पंजीयन हेतु लागू बाजार मूल्य दिशानिर्देशिका (गाइडलाइन्स) में निर्धारित दर पर किया जाएगा ।

प्रति वर्गमीटर लागू करते हुए ₹ 2.40 लाख की प्रब्याजि तथा भू-भाटक पर नागरिक सहकारी बैंक को आवंटित की गई थी । इसके फलस्वरूप ₹ 11,600 प्रति वर्गमीटर की निर्धारित

व्यवसायिक दर के आधार पर ₹ 17.31 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर तहसीलदार ने बताया (जनवरी 2010) कि आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

### आवासीय उद्देश्य

राजस्व पुस्तक परिपत्र-IV-I में प्रावधान है कि म.प्र. गृह निर्माण मंडल तथा सहकारी गृह निर्माण समिति (समिति) को गृह निर्माण उद्देश्यों हेतु भूमि का आवंटन भूमि के बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत की दर से प्रब्याजि तथा प्रब्याजि के पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक के भुगतान पर किया जाएगा ।

**5.2.16.3** हमने राजधानी परियोजना भोपाल के कार्यालय में अवलोकित किया कि शहर के वार्ड क्र. 30 में स्थित 10 एकड़ भूमि अगस्त 2007 में विधायकों एवं सांसदों के लिए आवासीय भवनों के

निर्माण हेतु ₹ 3,200 प्रति वर्गमीटर की दर तथा प्रब्याजि के पाँच प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक पर म.प्र. गृह निर्माण मंडल को आवंटित की गई थी । इस दर के अनुसार, प्रब्याजि ₹ 12.96 करोड़ तथा भू-भाटक ₹ 64.77 लाख निर्धारित किया गया था । तथापि, हमने देखा कि नज़ूल अधिकारी ने अक्टूबर 2007 में म.प्र. गृह निर्माण मंडल से ₹ 7.77 करोड़ प्रब्याजि तथा ₹ 32.38 लाख भाटक के लिए माँग नोटिस जारी किया तथा मंडल द्वारा यह राशि जनवरी 2008 में जमा कर दी गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.52 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, नज़ूल अधिकारी ने बताया (जनवरी 2010) कि गलत दर लागू किए जाने का मामला शासन के ध्यान में लाया जाएगा । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अक्टूबर 2007 में नज़ूल अधिकारी ने गलत माँग नोटिस जारी किया था तथा वह माँग सृजित करने पर सहमत हुए । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

**5.2.16.4** हमने कलेक्टर (नज़ूल) कार्यालय, भोपाल में अवलोकित किया कि कलेक्टर ने 11 अगस्त 2008 को राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित को तहसील हुजूर, भोपाल में नेवरी ग्राम की 11.68 एकड़ भूमि के आवंटन हेतु एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया था । इस प्रस्ताव में, कलेक्टर ने उल्लेख किया था कि चूँकि उपरोक्त भूमि से संलग्न भोपाल पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण समिति को भूमि का आवंटन ₹ 2,500 प्रति वर्गमीटर की दर से किया गया था, अतः ₹ 2,500 प्रति वर्गमीटर की दर उपयुक्त थी । तथापि मंत्रिपरिषद के आदेश के अनुसार, यह भूमि 25 अगस्त 2008 को शासन द्वारा ₹ 60 प्रति वर्ग फुट (₹ 645.60 प्रति वर्गमीटर) की दर से आवंटित की गई । इस आदेश के अनुसार, यह भूमि ₹ 3.21 करोड़ की प्रब्याजि तथा वार्षिक भाटक पर आवंटित कर दी गई थी । जब हमने इस प्रकरण से संबंधित बैठक के कार्यवृत्त के विवरण/फाइल में की गई टिप्पणी को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अनुरोध किए जाने के बावजूद भी शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । शासन द्वारा निम्नतर मूल्यों पर आवासीय भूमि का आवंटन रा.पु.प. -IV-I की कंडिका 26 में सन्निहित प्रावधानों का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.24 करोड़ की प्रब्याजि तथा भू-भाटक की हानि हुई । यह उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने 11 अगस्त 2008 के अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि यदि रा.पु.प. -IV-I



की कंडिका 21 के अंतर्गत इस भूमि की नीलामी भी की जाती है तो इससे ₹ 7.09 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त होगी ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर तहसीलदार ने बताया (जनवरी 2010) कि आवंटन शासन द्वारा किया गया था ।

**5.2.16.5** हमने राजधानी परियोजना भोपाल में अवलोकित किया कि कलेक्टर ने अगस्त 2008

राजस्व पुस्तक परिपत्र-IV-I में प्रावधान है कि जाति आधारित समितियों को नजूल भूमि का आवंटन भूमि के बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत की दर से प्रब्याजि तथा सामान्य भू-भाटक के 50 प्रतिशत के भुगतान पर किया जाएगा ।

में रा.पु.प. -IV-I की कंडिका 26 के अनुसार ₹ 33.46 लाख की प्रब्याजि तथा भाटक पर अखिल भारतीय पाल महासभा को 5,000 वर्गफुट भूमि का आवंटन प्रस्तावित किया था । तथापि, हमने देखा कि शासन

द्वारा दिनांक 11.09.2008 के आदेशों के माध्यम से समिति को इस भूमि का आवंटन निरंक प्रब्याजि तथा ₹ एक के वार्षिक भाटक पर किया गया ।

इसी प्रकार, तहसील हुजूर, भोपाल के एक अन्य प्रकरण में हमने देखा कि कलेक्टर ने अगस्त 2008 में मीणा समाज सेवा संगठन को ₹ 8.93 लाख की प्रब्याजि तथा भाटक पर 5,000 वर्गफुट भूमि के आवंटन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया था । तथापि इस प्रकरण में भी हमने देखा कि शासन द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2009 के आदेशों के माध्यम से समिति को इस भूमि का आवंटन निरंक प्रब्याजि तथा ₹ एक वार्षिक भाटक पर किया गया था ।

जब हमने इन प्रकरणों में बैठक के कार्यवृत्त विवरण/फाइल में की गई टिप्पणी को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया तो अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अनुरोध के बावजूद भी शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । शासकीय भूमि का इस प्रकार निःशुल्क आवंटन रा.पु.प. -IV-I की कंडिका 26 के विरुद्ध था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.39 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना (नजूल) भोपाल तथा तहसीलदार हुजूर (भोपाल) ने बताया (दिसम्बर 2009 तथा जनवरी 2010) कि आवंटन की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई थी तथा लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दे को शासन के ध्यान में लाया जाएगा । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

#### **5.2.16.6 धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन**

राजस्व पुस्तक परिपत्र-IV-I में प्रावधान है कि किसी ट्रस्ट को धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन भूमि के बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत पर प्रब्याजि तथा सामान्य भाटक के 50 प्रतिशत की दर से भू-भाटक के भुगतान पर किया जाएगा ।

हमने कलेक्टर (नजूल) सागर के कार्यालय में अवलोकित किया कि विभाग द्वारा श्री झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट को धर्मशाला के निर्माण हेतु ₹ 73.92 लाख की प्रब्याजि एवं



अतिरिक्त प्रब्याजि तथा ₹ 92,407 वार्षिक भू-भाटक के भुगतान पर नज़ूल भूमि (24,642 वर्गफुट) का आवंटन किया गया था (जून 1999)। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, ट्रस्ट द्वारा प्रब्याजि तथा भाटक का भुगतान स्वीकृति जारी होने के छःमाह के भीतर किया जाना था जिसमें विफल रहने पर स्वीकृति को निरस्त माना जाता। लेकिन ट्रस्ट इस शर्त का पालन करने में विफल रहा तथा स्वीकृति व्यपगत हो गई। नौ वर्ष बाद, विभाग ने उसी ट्रस्ट को बिना किसी प्रब्याजि तथा एक रुपये के सांकेतिक वार्षिक भू-भाटक पर उसी भूमि के आवंटन हेतु पुनः स्वीकृति जारी की (जून 2008)। जून 2008 के संशोधित आवंटन आदेश में इतनी रियायती दर पर भूमि के आवंटन हेतु किसी विशिष्ट कारण का उल्लेख न होकर केवल इतना ही कहा गया था कि यह एक 'विशेष प्रकरण' है। जब हमने बैठक के कार्यवृत्त विवरण/फाईल में की गई टिप्पणी को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया तो अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अनुरोध के बावजूद भी शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

ऐसा आदेश रा.पु.प. -IV-I का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, नज़ूल अधिकारी ने बताया (फरवरी 2010) कि शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के अनुसार भूमि पट्टे पर दी गई थी तथा शासन से अनुदेश प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

**5.2.16.7** हमने तीन कलेक्टर कार्यालयों<sup>20</sup> और तहसील हुजूर (भोपाल) में यह पाया कि

रा.पु.प.-IV-I में प्रावधान है कि शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नज़ूल भूमि का आवंटन उसमें निर्धारित न्यूनतम दरों के आधार पर भूमि के मूल्य के 50 प्रतिशत प्रब्याजि तथा प्रब्याजि के दो प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक के भुगतान पर किया जाएगा। और यदि भूमि मेडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवंटित की जाती है तो प्रब्याजि प्रभारणीय नहीं है।

रा.पु.प.-IV-I के प्रावधानों का पालन न करने के कारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार शासन ₹ 34.74 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा:

<sup>20</sup> भोपाल, होशंगाबाद और इंदौर।



क्र. सं.	समिति का नाम (प्रयोजन)	भूमि रकबा (हेक्टेयर में) स्थान	कलेक्टर के प्रस्ताव का दिनांक प्रब्याजि भू-भाटक(₹)	शासन स्वीकृति का दिनांक प्रब्याजि भू-भाटक(₹)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दिगंबर जैन म्यूजियम शोध संस्थान समिति (शैक्षणिक)	2.024 (कनाडिया) इंदौर	6 जुलाई 2006 2,45,025 4,901	28 मार्च 2008 2,45,025 4,901	ग्राम कनाडिया, इंदौर शहर के सीमा क्षेत्र में है अतः रा. पु.प. के अनुसार ₹ 60 प्रति वर्गफीट की दर लागू होना चाहिये थी । तथापि, भूमि आवंटन ₹ 2.25 प्रति वर्ग फुट की दर से किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.66 लाख के प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की हानि हुई ।
2.	ग्राम भारती शिक्षा समिति मध्य भारत (शैक्षणिक)	8.375 (शाहपुरा) भोपाल	जून 2008 61,56,257 1,23,125	22 अगस्त 2008 6,15,626 12,313	रा.पु.प. के अनुसार कलेक्टर के प्रस्ताव 50 प्रतिशत प्रब्याजि के विरुद्ध शासन द्वारा पांच प्रतिशत प्रब्याजि पर स्वीकृति प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.51 लाख के प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की हानि हुई ।
3.	मां रेवा शिक्षा समिति (शैक्षणिक)	0.809 (जलाला-बाद) होशंगाबाद	फाइल में उपलब्ध नहीं था	17 अप्रैल 2008 निरंक 1.00	रा.पु.प. के अनुसार ₹ 5,88,060 का प्रब्याजि तथा ₹ 11,762 का वार्षिक भू-भाटक आरोपणीय था । रा.पु.प. के प्रावधानों का पालन न करने के कारण ₹ 6.12 लाख के प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की हानि हुई ।

1	2	3	4	5	6
4.	जागरण सामाजिक कल्याण समिति (शैक्षणिक)	78.661 (मुगलिया छाप) भोपाल	14 मई 2008 5,71,27,086 11,42,553	28 अगस्त 2008 चार करोड़ 8,00,000	मुगलिया छाप भोपाल शहर योजना क्षेत्र में स्थित है और वहां ₹ 60 प्रति वर्गफीट की दर लागू होना चाहिये थी। कलेक्टर द्वारा गलत दर लागू करने तथा शासन द्वारा अनुचित रियायत देने के कारण ₹ 21.82 करोड़ के प्रब्याजि तथा भू-भाटक की हानि हुई।
5.	धीरू भाई अंबानी मेमोरियल ट्रस्ट (शैक्षणिक)	44.53 (अचारपुरा) भोपाल	मार्च 2008 3,23,43,300 6,46,866	सितम्बर 2008 3.23 करोड़ 6,46,866	अचारपुरा भोपाल शहर योजना क्षेत्र में स्थित है और वहां ₹ 60 प्रति वर्गफुट की दर लागू होना थी किन्तु कलेक्टर द्वारा ₹ 13.50 प्रति वर्गफुट की दर लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.36 करोड़ के प्रब्याजि तथा भू-भाटक की हानि हुई।
6.	दिगंबर जैन सर्वोदय ज्ञान विद्यापीठ (मेडिकल कालेज)	10.121 (बड़वई) भोपाल	30 जनवरी 2008 निरंक (रा.पु.प.-IV के अनुसार) 6,53,400	24 दिसंबर 2008 निरंक रा.पु.प.-IV के अनुसार 1.00	शासन के परिपत्र (अक्टूबर 2002) के साथ पठित रा.पु. प. के प्रावधानों के विपरीत शासन द्वारा अनुचित रियायत प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 26.14 लाख के वार्षिक भू-भाटक की हानि हुई। आगे, आवंटन की शर्त के अनुसार, जून 2009 तक 300 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना की जानी थी, जो लेखापरीक्षा के दिनांक तक नहीं की गई थी। कलेक्टर (नज़ूल) द्वारा स्वीकृति प्रतिसंहरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।



हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार, हुजूर (भोपाल), नजूल अधिकारी, इंदौर और अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर ने बताया (दिसंबर 2009 और फरवरी 2010 के मध्य) कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी ; जबकि अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद ने मार्च 2010 में बताया कि मामला शासन की जानकारी में लाया जाएगा। तहसीलदार (नजूल), बैरागढ़ (भोपाल) ने बताया कि भूमि का आवंटन शासन स्तर पर किया गया था। उन्होंने आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के लिए आवंटिती के विरुद्ध कार्रवाई न करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

**5.2.16.8** हमने कलेक्टर कार्यालय (नजूल), होशंगाबाद और मंदसौर में यह पाया कि जून

आर.बी.सी- IV-I में राजनैतिक पार्टी को 4,000 वर्गफीट तक की भूमि, कार्यालय निर्माण के लिए, बाजार मूल्य का दस प्रतिशत प्रीमीयम एवं प्रीमीयम के पांच प्रतिशत भू-भाटक के भुगतान पर आवंटन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को भूमि आवंटन के मामले में बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत प्रीमीयम तथा प्रीमीयम का 7.5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक प्रभार्य है।

2008 एवं फरवरी 2009 में 3,999 वर्गफीट एवं 12,000 वर्गफीट नजूल भूमि क्रमशः एक राजनैतिक पार्टी को होशंगाबाद में कार्यालय के निर्माण तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को अरिन्यदेव (मंदसौर) में ग्रिड निर्माण हेतु आवंटित की गई थी।

प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक, स्वीकृति जारी होने के छह माह के अंदर भुगतान किया जाना था। हमने होशंगाबाद में पाया कि आवंटिती देय राशियों को समय पर जमा करने में विफल रहा। विभाग ने अपने आदेश (जनवरी 2010) में निर्देशित किया था कि रियायती अवधि के बाद 15 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाय। तदनुसार, दोनों प्रकरणों में देय प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक एवं एक प्रकरण में ब्याज की राशि ₹ 8.35 लाख संगणित हुई। तथापि, यह पाया गया कि नजूल अधिकारियों द्वारा गलत दरें लागू करके ₹ 3.32 लाख का निर्धारण और मांग की गई थी। इस प्रकार, ₹ 5.03 लाख रुपये का प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक एवं ब्याज कम निर्धारित हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नजूल अधिकारी, होशंगाबाद ने बताया (मार्च 2010) कि मांग पुनरीक्षित की जाएगी, जबकि नजूल अधिकारी, मंदसौर ने बताया (जनवरी 2010) कि प्रकरण की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2010)।

**5.2.17 प्रब्याजि की किस्त वसूल न होना**

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार, शासकीय भूमि का आवंटन नीलामी अथवा निविदा प्रणाली के अंतर्गत किया जा सकता है। निविदा/नीलाम राशि आवंटन/निविदा आदेश में विहित रीति के अनुसार आवंटिती से वसूली योग्य होती है।

हमने राजधानी परियोजना (नज़ूल), भोपाल में यह पाया कि अप्रैल 2008 में गेमन इंडिया लिमिटेड को टेण्डर प्रणाली के द्वारा 15 एकड़ नज़ूल भूमि का ₹ 338 करोड़ में आवंटन किया गया था। प्रतिफल तीन किस्तों<sup>21</sup> में देय था और आबंटिती को आधिपत्य में दी गयी भूमि की

वास्तविक माप के अनुसार इसको पुनरीक्षित किया जाना था। कंपनी द्वारा ₹ 101.40 करोड़ की प्रति किस्त से दो किस्तों का भुगतान किया गया तथा अंतिम किस्त अप्रैल 2009 में देय थी। चूँकि कंपनी को 15 एकड़ के बजाय 14.88 एकड़ भूमि का आधिपत्य दिया गया था, तीसरी किस्त की राशि ₹ 132.50 करोड़ वसूली योग्य थी। इसकी मांग और वसूली नज़ूल अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 132.50 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नज़ूल अधिकारी ने जनवरी 2010 में बताया कि मांग पत्र जारी किया जाएगा और वसूली के बाद पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाएगा। हालांकि तथ्य यह है कि वसूली/पट्टा विलेख आज दिनांक तक नहीं की गई है/निष्पादित नहीं किया गया है (दिसम्बर 2010)।

**5.2.18 प्रब्याजि, भू-भाटक एवं ब्याज का आरोपण/वसूली न होना**

प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा शासन को देय राशियों के विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण आवंटन स्वीकृति, राजस्व पुस्तक परिपत्र IV-I तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

राजधानी परियोजना कार्यालय, भोपाल में हमने पाया (जनवरी 2010) कि जून 1986 और मार्च 1994 के मध्य भोपाल विकास प्राधिकरण को तीन प्रकरणों में भूमि का आवंटन स्वीकृत किया गया था। इन प्रकरणों में भूमि का अग्रिम आधिपत्य अगस्त 1979 और मई 1983 के मध्य दिया गया था। स्वीकृति आदेशों के अनुसार, बकाया राशियों के भुगतान पर आधिपत्य दिनांक से एक प्रकरण में 14 प्रतिशत तथा दो प्रकरणों में 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल

<sup>21</sup> 30 प्रतिशत विकास अनुबंध के निष्पादन के समय, 30 प्रतिशत अनुबंध निष्पादन के एक माह बाद, शेष राशि की अंतिम किस्त पूर्व अनुबंध के एक वर्ष के भीतर पट्टा अनुबंध के निष्पादन के समय देय थी। विकास अनुबंध अप्रैल 2008 में निष्पादित हुआ था।



करना था। भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2007 और अक्टूबर 2009 के मध्य ₹ 75.12 लाख की बकाया राशि का भुगतान किया गया, जिस पर ₹ 2.65 करोड़ रुपये का ब्याज वसूली योग्य था, जिसका आरोपण विभाग द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, कलेक्टर कार्यालय (नज़ूल), होशंगाबाद में हमने देखा कि एक प्रकरण में गणना में त्रुटि के कारण ₹ 6.92 लाख के स्थान पर ₹ 2.09 लाख रुपये के ब्याज का आरोपण किया गया था। ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 2.70 करोड़ रुपये का ब्याज वसूल नहीं हुआ। हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, संबंधित नज़ूल अधिकारियों ने बताया (जनवरी एवं मार्च 2010) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

#### 5.2.19 कम मांग सृजित करना

हमने राजधानी परियोजना, भोपाल में पाया कि न्यायाधीश गृह निर्माण समिति को ₹ 1.93 करोड़ की प्रब्याजि और ₹ 9.66 लाख के वार्षिक भू-भाटक पर 7.39 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी (मई 2006)। तदनुसार, प्रब्याजि तथा वर्ष 2009-10 तक भू-भाटक के रूप में ₹ 2.22 करोड़ वसूली योग्य थे। पट्टेदार ने ₹ 1.22 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹ एक करोड़ भुगतान के लिए शेष रहे। तथापि, यह पाया गया कि विभाग द्वारा केवल ₹ 84.98 लाख की मांग सृजित की गई थी (जून 2009)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.02 लाख की कम मांग सृजित हुई। यह भी देखा गया कि पट्टेदार द्वारा मांग-पत्र जारी होने (जून 2009) के बाद से किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था, तथापि विभाग द्वारा देय राशि ₹ एक करोड़ को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, नज़ूल अधिकारी ने प्रेक्षण स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2010) कि राशि वसूल की जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010)।

### 5.2.20 व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि और उपकर का अवनिर्धारण

म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत, जब एक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि किसी अन्य उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, ऐसे व्यपवर्तन के दिनांक से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर उस उद्देश्य के अनुसार जिसके लिए उसे व्यपवर्तित किया गया है, संशोधित एवं पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यपवर्तन लगान के प्रत्येक रुपये पर 50 पैसे की दर से पंचायत उपकर भी आरोपणीय है।

हमने पांच कलेक्टर कार्यालयों<sup>22</sup> और आठ तहसील कार्यालयों<sup>23</sup> में अवलोकित किया कि मई 2005 और

नवम्बर 2009 के मध्य निर्णीत व्यपवर्तन के 156 प्रकरणों में व्यपवर्तित लगान, प्रब्याजि और उपकर का अवनिर्धारण किया गया था। हमने देखा कि व्यवसायिक/आंशिक व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यपवर्तन को आवासीय माना गया या निर्धारण कम रकबे पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप नीचे दिए गए विवरणानुसार ₹ 1.38 करोड़ की प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान और उपकर की कम प्राप्ति हुई।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई अवधि	प्रकरणों की संख्या	अंतर्निहित क्षेत्रफल	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	आरोपणीय आरोपित प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान तथा उपकर/कम निर्धारण	विभाग का उत्तर/आगामी प्रेक्षण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कलेक्टर (व्यपवर्तन) भोपाल 10/2007 से 09/2009	13	156.10 एकड़	156.10 एकड़ में से, 57.45 एकड़ भूमि व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित की गई लेकिन	105.47 79.50 25.97	हुजूर वृत्त के छह प्रकरणों में यह बताया गया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोविंदपुरा वृत्त के शेष प्रकरणों में यह

<sup>22</sup> भोपाल, धार, होशंगाबाद, इंदौर और जबलपुर।

<sup>23</sup> अशोकनगर, धार, इटारसी (होशंगाबाद), जावरा (रतलाम), महु (इंदौर), सिवनी, सिरोंज (विदिशा) और टीकमगढ़।



1	2	3	4	5	6	7
				उसे आवासीय माना गया।		बताया गया है कि उद्देश्य आवासीय था। उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।
		3	4.66 एकड़	4.66 एकड़ भूमि के बजाय 2.18 एकड़ भूमि का निर्धारण किया गया।	4.16 1.30 2.86	शहर वृत्त के एक प्रकरण में यह बताया गया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शेष दो प्रकरणों में से, एम.पी. नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रकरण में निर्धारण किया गया तथा यह बताया कि शेष क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के अंतर्गत आता है। गोविंदपुरा वृत्त के प्रकरण में यह बताया गया कि व्यपवर्तन केवल एक एकड़ हेतु चाहा गया था। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि एम.पी. नगर के प्रकरण में, प्रकरण संबंधित वृत्त को विचारार्थ प्रेषित नहीं किया गया तथा गोविंदपुरा के प्रकरण में उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।
2.	कलेक्टर (व्यपवर्तन) इन्दौर 10/2007 से 09/2009	29	385.82 हैक्टेयर	25 प्रकरणों में 33,09,479.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से 2,02,708.08 वर्गमीटर क्षेत्रफल	1267.13 1198.57 68.56	एक प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर ने बताया कि अंतर्निहित क्षेत्रफल 35.789

1	2	3	4	5	6	7
				व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित किया गया था, लेकिन उसको आवासीय माना गया । चार प्रकरणों में 5,48,731 वर्गमीटर के बजाय 5,26,103.53 वर्गमीटर भूमि हेतु निर्धारण किया गया था ।		हैक्टेयर था, और न कि 36.304 हैक्टेयर । उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । शेष प्रकरणों में यह बताया गया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
3.	कलेक्टर (व्यपवर्तन) <u>होशंगाबाद</u> 10/2007 से 9/2009	1	3.237 हैक्टेयर	8 एकड़ भूमि के बजाय 5 एकड़ हेतु निर्धारण किया गया ।	4.52 2.83 1.69	आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।
4.	कलेक्टर (व्यपवर्तन) धार 10/2006 से 9/2009	1 49	0.439 हैक्टेयर 29.91	0.439 हैक्टेयर भूमि के बजाय 0.1 हैक्टेयर हेतु निर्धारण किया गया ।	21.37 11.31 10.06	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।
5.	कलेक्टर (व्यपवर्तन) <u>जबलपुर</u> 10/2007 से 3/2009	6	1.008 हैक्टेयर	21.01.2009 से दरें पुनरीक्षित की गई थी । मार्च तथा सितम्बर 2009 के मध्य निर्णीत प्रकरणों हेतु निर्धारण पुरानी दरों से किया था ।	1.17 0.30 0.87	परीक्षण के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।



1	2	3	4	5	6	7
6.	तहसील सिरोंज 10/2006 से 9/2008	1	0.253 हैक्टेयर	व्यवसायिक दरों के बजाय आवासीय दरें लागू की गईं तथा वे दरें भी 2007-08 के बजाय 2006-07 की थीं ।	<u>0.30</u> <u>0.15</u> 0.15	प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाएगा ।
7.	तहसील महू (इन्दौर) 10/2006 से 9/2009	1	9.275 हैक्टेयर	93,730 वर्गमीटर भूमि में से, 3,205 वर्गमीटर व्यवसायिक उद्देश्य हेतु तथा 90,525 वर्गमीटर आवासीय उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित की गई थी किन्तु संपूर्ण क्षेत्रफल को आवासीय माना गया ।	<u>12.31</u> <u>11.93</u> 0.38	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
		1	2.44 हैक्टेयर	निर्धारण गलत दरों से किया गया ।	<u>1.90</u> <u>0.71</u> 1.19	
		1	0.675 हैक्टेयर	व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित भूमि को आवासीय माना गया ।	<u>2.07</u> <u>1.02</u> 1.05	

1	2	3	4	5	6	7
8.	तहसील इटारसी होशंगाबाद 10/2007 से 9/2009	5	1.45 हैक्टेयर	21.01.2009 से दरें पुनरीक्षित की गई थीं। फरवरी तथा सितम्बर 2009 के मध्य निर्णीत प्रकरणों में निर्धारण पुरानी दरों से किया गया था।	2.65 <u>0.44</u> 2.21	इन प्रकरणों का पुनरीक्षित दरों से पुननिर्धारण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।
9.	तहसील जावरा रतलाम 10/2006 से 9/2009	13	11.725 हैक्टेयर	सात प्रकरणों में व्यवसायिक दरों की बजाय आवासीय दरें लागू की गई। फरवरी तथा मई 2009 के मध्य निर्णीत प्रकरणों में से छह प्रकरणों में निर्धारण पुरानी दरों से किया गया था।	6.48 <u>2.75</u> 3.73	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।
10.	तहसील धार 10/2008 से 9/2009	15	16.223	निर्धारण गलत दरों से किया गया।	14.62 <u>8.10</u> 6.52	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।
11.	तहसील अशोकनगर 10/2007 से 9/2009	9	9.852 हैक्टेयर	निर्धारण गलत दरों से किया गया।	8.04 <u>2.14</u> 5.90	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।



1	2	3	4	5	6	7
12.	तहसील सिवनी 10/2007 से 9/2009	6	13.96 हैक्टेयर	निर्धारण गलत दरों से किया गया।	12.94 6.49 6.45	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।
13.	तहसील टीकमगढ़ 10/2007 से 9/2009	2	1.993 हैक्टेयर	निर्धारण गलत दरों से किया गया।	1.67 1.17 0.50	परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

#### 5.2.21 भूमि के अनाधिकृत कब्जे को खाली करने के संबंध में प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अप्राधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, अप्राधिकृत दखल की अवधि के लिए, ऐसी भूमि के लिए विहित दरों के अनुसार भू-भाटक और अर्थदण्ड के भुगतान के दायित्वाधीन होगा।

हमने 17 तहसील कार्यालयों<sup>24</sup> में अवलोकित किया कि अक्टूबर 2006 और सितम्बर 2009 के मध्य 257.404 हैक्टेयर शासकीय भूमि के 948 अतिक्रमण के प्रकरण निर्णीत हुए थे, किन्तु

भूमि खाली कराये जाने के संबंध में उपयुक्त अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित संबंधित विवरण/ प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं पाये गये। इसके बाद भी, संबंधित तहसीलदारों ने वांछित विवरण/प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इन प्रतिवेदनों के अभाव में वहां भूमि पर लगातार अप्राधिकृत दखल रहा जिसके लिए अर्थदण्ड/शास्ति वसूली योग्य थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार अटेर ने बताया (मार्च 2010) कि शासकीय भूमि खाली करा ली गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रिक्तता-प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। शेष तहसीलदारों ने अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के मध्य बताया कि

<sup>24</sup> अटेर (भिण्ड), ब्यावरा (राजगढ़), देवास, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, जावरा (रतलाम), खरगौन, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, उज्जैन और विदिशा।

आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010) ।

### 5.2.22 मासिक तौजी तैयार न करना और कोषालय से सत्यापन न करना

राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं म.प्र. वित्तीय संहिता के अनुसार, सभी कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रत्येक माह मांग एवं संग्रहण के विवरण को मासिक तौजी पत्रक में संकलित किया जाना चाहिये तथा इसे कोषालय से सत्यापित कराना चाहिये। यह सत्यापित मासिक तौजी उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाना अपेक्षित है और यह तहसील तथा कलेक्टर कार्यालय में गलत वर्गीकरण एवं फर्जी चालानों की प्राप्ति के जोखिम को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियन्त्रण है।

हमने 11 कलेक्टर कार्यालयों<sup>25</sup>, राजधानी परियोजना, भोपाल और 30 तहसील कार्यालयों<sup>26</sup> में अवलोकित किया कि इनमें से किसी के भी द्वारा मासिक तौजी तैयार नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, हमारे द्वारा मासिक विवरण पत्रकों में दर्शाये गए संग्रहण के आंकड़ों की सत्यता का

सत्यापन नहीं किया जा सका। कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन), इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के विरुद्ध व्यपवर्तन लगान की बकाया राशि ₹ 8.09 करोड़ बिना कोषालय में जमा कराये वसूल मान ली गयी थी (फरवरी 2009)।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, प्रभारी अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, इंदौर ने जनवरी 2010 में बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण/मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल से प्राप्त हुए फ्लैट्स/भूखण्डों के बदले में यह वसूली दर्शायी गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन से इस समायोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, यह राशि उचित व्यय शीर्ष से आहरित होनी चाहिये थी, और इसके साथ-साथ उतनी ही राशि का चालान प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिये था। नज़ूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल ने जनवरी 2010 में बताया कि कोषालय से चालानवार सत्यापन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख हमें नहीं दिखाया गया। शेष राजस्व अधिकारियों ने अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के मध्य बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

<sup>25</sup> भोपाल, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, मंदसौर, रतलाम, सागर और उज्जैन।

<sup>26</sup> अशोकनगर, अटेर (भिण्ड), बालाघाट, ब्यावरा (राजगढ़), बुरहानपुर, देवास, गोहद (भिण्ड), गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, हुजूर (भोपाल), हुजूर (रीवा), इंदौर, इटारसी (होशंगाबाद), जबेरा (दमोह), जावद (नीमच), झाबुआ, कसरावद (खरगौन), महु (इंदौर), पांडुर्ना (छिंदवाड़ा), रतलाम, सागर, सांवेर (इंदौर), सिवनी, श्योपुर, सुहागपुर (शहडोल), टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा।



तौजी पूरी होने पर तहसील कार्यालयों की ओर से कलेक्टर को एक आवधिक विवरणी निर्धारित करने के बारे में शासन को विचार करना चाहिये।

**5.2.23 गंदी बस्तियों के रहवासियों के पुनर्वास हेतु म.प्र. गृह निर्माण मंडल से प्रब्याजि/भू-भाटक प्राप्त न होना**

हमने कलेक्टर कार्यालय (नजूल), शहर वृत्त, भोपाल में अवलोकित किया कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 5.90 एकड़ नजूल भूमि का आवंटन किया गया था (अक्टूबर 2006)। स्वीकृति की शर्त 5 में यह प्रावधान था कि कलेक्टर भोपाल के दिशा-निर्देश में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल 5,000 गंदी-बस्ती रहवासियों का पुनर्वास करेगा तथा इसका व्यय मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल वहन करेगा।

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ने बाद में यह भूमि डी.बी.माल प्राइवेट लिमिटेड को उप पट्टे पर दे दी जिसके लिए मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को प्रब्याजि तथा भाटक की क्रमशः ₹ 19.77 करोड़ एवं ₹ 1.48 करोड़ प्रति वर्ष अतिरिक्त राशियां प्राप्त हुई। स्वीकृति की शर्त के अनुसार, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रब्याजि और भू-भाटक की इन अन्तर राशियों को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा कलेक्टर, भोपाल के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित था और यह राशि झुग्गी-झोपड़ी विस्थापितों के पुनर्वास के लिये उपयोग की जानी थी। तथापि, हमने देखा कि अब तक इस प्रकार का खाता म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा नहीं खोला गया था तथा संपूर्ण राशि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल के पास रही। भूमि आवंटन के तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भी इन गंदी-बस्ती रहवासियों का पुनर्वास मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा नहीं किया गया। इस शर्त के उल्लंघन पर कलेक्टर (नजूल) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नायब तहसीलदार ने जनवरी 2010 में बताया कि बैंक खाता खोलने के लिए, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल को पत्र जारी किया जा रहा है। स्वीकृति की शर्त के उल्लंघन के लिये कार्रवाई न करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2010)।



### 5.2.24 नजूल भूमि के स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होना

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र IV-I के अनुसार, शहरी क्षेत्र में पट्टे पर धारित नजूल भू-खण्ड हेतु देय भू-भाटक, पट्टे के नवीनीकरण हेतु अपेक्षित हो जाने पर, पुनरीक्षण योग्य हो जाता है। पुनरीक्षित भाटक पुनरीक्षण के तुरन्त पूर्व के भाटक के छह गुना पर निर्धारित किया जाता है, बशर्ते पुनरीक्षण पूर्व का भूमि का प्रयोजन जारी रहे। पुनरीक्षित निर्धारण, जिस वर्ष में निर्धारण किया जाता है, उसके आगामी वित्तीय वर्ष या पूर्व पट्टे के समाप्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, लागू होता है।

हमने चार नजूल कार्यालयों<sup>27</sup> में यह अवलोकित किया कि 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किए गए 25 स्थायी पट्टे जो 2005-06 और 2009-10 के मध्य नवीनीकरण योग्य हो गये थे, उन पर विभाग द्वारा

नवीनीकरण हेतु कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.92 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, धार ने बताया (नवम्बर 2009) कि अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। नजूल अधिकारी, मंदसौर और सागर ने बताया (जनवरी और फरवरी 2010) कि पट्टा नवीनीकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार (नजूल), रतलाम ने बताया (नवम्बर 2009) कि स्थायी पट्टों के नवीनीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010)।

### 5.2.25 कॉलोनाइजरों द्वारा प्रतिभूति का कम भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 4 के नीचे स्पष्टीकरण 3 एवं 4 में यह प्रावधान है कि कॉलोनाइजर, अनुविभागीय अधिकारी को भूमि के व्यपर्वतन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ भूमि के अनुमानित विकास व्यय के पांचवे भाग की रकम जमा करेगा और चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा, इसमें विफल रहने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

**5.2.25.1** हमने तहसील बुरहानपुर और महू (इंदौर) में अवलोकित किया कि अक्टूबर 2007 और सितम्बर 2008 के मध्य दो व्यपर्वतन प्रकरण संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा निर्णीत किये गये थे। इन प्रकरणों में, आवेदन पत्र प्रस्तुत

<sup>27</sup> धार, मंदसौर, रतलाम और सागर।



करने के समय ₹ 36.29 लाख की प्रतिभूति जमा राशि कॉलोनाइजरों द्वारा प्रस्तुत की जाना अपेक्षित थी। तथापि, हमने देखा कि बुरहानपुर के प्रकरण में कॉलोनाइजर द्वारा ₹ 6.18 लाख के स्थान पर ₹ 61,800 की प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत की गई थी और महू में, ₹ 3.11 लाख नकद तथा ₹ 27 लाख की बैंक गारण्टी प्रस्तुत की गई थी। हमने देखा कि बैंक गारंटी केवल 10 सितम्बर 2009 तक वैध थी तथा लेखापरीक्षा के दिनांक तक इसका पुनर्वैधीकरण नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 32.56 लाख की प्रतिभूति कम वसूल हुई तथा आवेदन पत्रों को अनियमित रूप से स्वीकार कर व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार, बुरहानपुर और महू ने बताया (जनवरी-फरवरी 2010) कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010)।

**5.2.25.2** हमने यह भी अवलोकित किया कि पांच तहसील कार्यालयों<sup>28</sup> में कॉलोनाइजरों द्वारा प्रस्तुत व्यपवर्तन के नौ प्रकरणों में न तो अनुमानित विकास व्यय की राशि का उल्लेख आवेदन पत्रों में किया गया था और न ही उन्होंने कोई प्रतिभूति जमा कराई थी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा न केवल इन आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया बल्कि मई 2008 और जुलाई 2009 के मध्य उन्हें निर्णीत भी कर दिया गया तथा व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसके परिणामस्वरूप अनियमित रूप से आवेदन पत्र स्वीकार करने के साथ-साथ अनियमित रूप से व्यपवर्तन की अनुमति भी प्रदान की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों ने जनवरी एवं मार्च 2010 के मध्य बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

<sup>28</sup> अलिराजपुर, अशोकनगर, बालाघाट, सिवनी और टीकमगढ़।

## 5.2.26 सेवा प्रभार का अनारोपण/जमा न करना

भू-अर्जन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं स्टाफ को प्रोत्साहन देने तथा इस सर्वे के कार्य के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से शासन ने जुलाई 1991 में भू-अर्जन के अवार्ड का दस प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार आरोपित करने का निर्णय किया। यह, संबंधित विभागों/उपक्रमों/स्थानीय निकायों, जिनके लिए भू-अर्जन किया जाना था, से भूमि के प्रत्याशित मूल्य पर अग्रिम रूप से वसूल किया जाना था। इस प्रकार वसूल की गई राशि मुख्य शीर्ष 0029 (भू-राजस्व) के अन्तर्गत शासकीय खाते में जमा करायी जानी थी। कलेक्टर देवास, रायसेन और रतलाम द्वारा ₹ 40.03 लाख के सेवा प्रभार के अनारोपण के संबंध में 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 3.12 में उल्लेख किया गया था। विधानसभा पटल पर 28 नवम्बर 2007 को रखे गये अपने प्रतिवेदन क्रमांक 369 में लोकलेखा समिति ने भी विभाग को समयबद्ध रीति से वसूली करने के लिए निर्देशित किया था।

सितम्बर 2006  
और दिसम्बर  
2008 के मध्य  
दस कलेक्टर  
कार्यालयों<sup>29</sup>  
तथा अगस्त एवं  
सितम्बर 2009  
में एकत्र की गई  
आगामी  
जानकारी में  
हमने यह  
अवलोकित  
किया कि  
विभिन्न विभागों  
के लिए मार्च  
1979 और

अगस्त 2009 के मध्य हुए भू-अर्जन पर ₹ 27.79 करोड़ का सेवा प्रभार वसूली योग्य था। इस राशि में से ₹ 15.03 करोड़ वसूल किया गया तथा ₹ 12.76 करोड़ वसूली के लिए शेष था। इसके अलावा जबलपुर एवं इंदौर जिलों में वसूल की गई राशि पर ₹ 29.72 लाख का ब्याज भी अर्जित हुआ था। तथापि, हमने देखा कि वसूल की गई ₹ 15.03 करोड़ तथा ब्याज ₹ 29.72 लाख की राशि शासन के स्पष्ट आदेशों के बाद भी शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गयी थी। इस प्रकार, सेवा प्रभार तथा उस पर अर्जित ब्याज के अनारोपण/जमा न करने के कारण राजकोष ₹ 28.09 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर संबंधित कलेक्टरों ने बताया (अगस्त-सितम्बर 2009) कि संबंधित विभागों से सेवा प्रभार की शेष राशि वसूल करने के प्रयास किए जा रहे थे और वसूल की गई तथा अर्जित ब्याज की ऐसी राशि जो शासकीय खाते में जमा नहीं की गई थी, कोषालय में जमा कराई जाएगी। भू-अर्जन अधिकारी, धार ने जून 2010 में सूचित किया कि ₹ 12.84 करोड़ के सेवा प्रभार में से ₹ 1.06 करोड़ कोषालय में जमा कराया जा चुका था। शेष राशि की वसूली की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2009)।

<sup>29</sup> बैतूल, भोपाल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, पन्ना और शहडोल।



### 5.2.27 निष्कर्ष

हमने देखा कि राज्य में भू-राजस्व के आरोपण और संग्रहण की प्रणाली में काफी कमियां थीं। कलेक्टर कार्यालयों में पर्याप्त परिवीक्षण प्रणाली के अभाव तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता में कमियों के कारण प्रचुर मात्रा में भू-राजस्व तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई थी। हमने अवलोकित किया कि अधिनियम/नियमों में वसूली कार्यवाही शुरु करने, पट्टा विलेख के निष्पादन, स्वीकृति जारी होने के बाद प्रब्याजि तथा भाटक के निर्धारण के संबंध में कोई समय सीमा न होने के कारण राजस्व की बहुत बड़ी राशि वसूली के लिए शेष रही। हमने विभागीय निरीक्षण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा की संख्या में भी कमी देखी। निम्नतर दरों पर शासकीय भूमि को प्राइवेट पार्टियों को आवंटित करने तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण सारभूत राजस्व की हानि हुई। इसके अलावा, प्रब्याजि, भाटक, उपकर, पट्टे का नवीनीकरण न होने, ब्याज तथा शास्तियों की वसूली न होने और कम वसूली होने के कारण विभाग को राजस्व हानि हुई। हमने देखा कि भू-राजस्व उचित लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया था तथा तौजियों के संधारण पर कलेक्टर और तहसील कार्यालयों में बहुत कम ध्यान दिया गया था।

### 5.2.28 अनुशंसाएं

शासन निम्नलिखित अनुशंसाएं लागू करने पर विचार कर सकता है :

- अनुमान तैयार करते समय विभाग को विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों को ध्यान में रखना चाहिये ;
- व्यपवर्तन लगान के निर्धारण के प्रकरणों को तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग एवं संग्रहण अभिलेखों को परस्परसम्बद्ध किये जाने के लिए प्रणाली निर्धारित करना ;
- अधिनियम/नियमों में वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने, पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु समय सीमा शामिल करना ;
- अग्रिम आधिपत्य के प्रकरणों को अन्तिम आवंटन के लिये प्रस्तुत करने और उनका अन्तिम रूप से निराकरण करने के संबंध में समय सीमा निर्धारित करना ;
- संस्वीकृतियों को समय पर अमल में लाने में विफलता के संबंध में जिम्मेदारी तय करना;
- ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संग्रहीत प्रब्याजि पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु अनुदेश जारी करना ;
- तौजियों की पूर्णता पर तहसील कार्यालयों द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए एक आवधिक विवरणी निर्धारित करना ।

**अध्याय – 6**  
**मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस**

**6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम**

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से संबंधित 64 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 5,809 प्रकरणों में ₹ 31.95 करोड़ की राजस्व हानि एवं अन्य अनियमितताएं दृष्टिगत हुईं जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सहकारी गृह निर्माण समितियों के द्वारा/पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व हानि	1	0.06
2.	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व हानि	52	1.00
3.	संपत्ति के न्यून मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली/गलत छूट प्रदान करना	1,018	13.18
4.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व हानि	90	0.44
5.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में गलत कमी	326	2.81
6.	अन्य	4,322	14.46
<b>योग</b>		<b>5,809</b>	<b>31.95</b>

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 4,415 प्रकरणों में ₹ 8.05 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। 995 प्रकरणों में ₹ 86 लाख की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें ₹ 14.72 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।



## 6.2 उप पंजीयकों द्वारा अग्रेषित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47-क के अनुसार, किसी विलेख का पंजीयन करते समय पंजीयन अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्तुत सम्पत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व सही बाजार मूल्य और उस पर प्रभार्य शुल्क के अवधारण के लिये संग्राहक को अग्रेषित कर देना चाहिये। विभागीय अनुदेशों (जुलाई 2004) के अनुसार उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा संग्राहक को अग्रेषित किये गये प्रकरणों के निराकरण की अधिकतम अवधि तीन माह निर्धारित की गयी है।

6.2.1 मई एवं अगस्त 2009 के मध्य 11 उपपंजीयक<sup>1</sup> कार्यालयों में हमने पाया कि सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु मई 1998 एवं मार्च 2009 के मध्य पंजीयक प्राधिकारियों द्वारा अग्रेषित 338 प्रकरणों का तीन माह तक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संग्राहकों

द्वारा निराकरण नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि ₹ 5.22 करोड़ आंकलित की गई।

प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, जिला पंजीयक भोपाल ने बताया (नवम्बर 2009) कि 30 में से चार प्रकरणों को निर्णीत किया जा चुका है एवं ₹ 3.40 लाख की वसूली की गयी तथा शेष प्रकरणों में उन्होंने बताया कि कार्रवाई प्रगति पर थी। महानिरीक्षक पंजीयन ने सूचित किया (फरवरी 2010) कि 10 उप पंजीयक कार्यालयों के 308 प्रकरणों में से, 41 प्रकरणों को निर्णीत किया जा चुका है एवं 267 प्रकरणों में कार्रवाई प्रगति पर थी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

हमने प्रकरण को जून एवं नवम्बर 2009 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

<sup>1</sup> भोपाल, बुधनी (सीहोर), छिन्दवाड़ा, देपालपुर (इन्दौर), देवास, धार, होशंगाबाद, इटारसी, मंदसौर, नीमच तथा उज्जैन।

**6.2.2** मई 2007 एवं नवम्बर 2009 के मध्य 25 उप पंजीयक कार्यालयों<sup>2</sup> में हमने पाया कि जून 2003 से मार्च 2009 के मध्य पंजीकृत हुये 369 विलेखों में, मार्गदर्शिका के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 88.89 करोड़ के बजाय पंजीकृत मूल्य ₹ 53.01 करोड़ था । उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के सही मूल्य एवं उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु इन विलेखों को संबंधित संग्राहकों को अग्रेषित नहीं किया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नौ जिला पंजीयकों<sup>3</sup> ने 220 विलेखों के बारे में बताया (मार्च 2008 एवं अप्रैल 2010 के मध्य) कि निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर है । सात उप पंजीयकों<sup>4</sup> ने 42 विलेखों के बारे में बताया (मई 2007 एवं सितम्बर 2009 के मध्य) कि प्रकरणों को मुद्रांक संग्राहक को सन्दर्भित किया जायेगा । उप पंजीयक, शुजालपुर ने 47 में से 46 विलेखों के बारे में बताया (मई 2009) कि विलेख सही मूल्यांकित थे । तथापि, मूल्यांकन किस आधार पर किया गया था उसके औचित्य का विवरण उत्तर में शामिल नहीं था । एक विलेख के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यपवर्तित भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि के मूल्य का तीन गुना होता है और तदनुसार मूल्यांकन सही था । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यवसायिक उपयोग की मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि एवं भवन का विक्रय हुआ था । अतः निर्धारण तदनुसार ही किया जाना अपेक्षित था । उप पंजीयक, सिरोंज ने 13 विलेखों के बारे में बताया (मई 2009) कि प्रकरणों को पहले ही मुद्रांक संग्राहक को भेजा जा चुका है । तथापि, उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था । उप पंजीयक, खातेगाँव ने एक विलेख के बारे में बताया (अगस्त 2009) कि भूमि अविकसित थी एवं 15 साल पहले उस भूमि पर एक जिनिंग कारखाना था । उत्तर से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि विलेख के उपवर्णनों के अनुसार, सड़क, पानी एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध थी अतः सम्पत्ति का निर्धारण विकसित भूमि मानकर किया जाना चाहिये था । महानिरीक्षक, पंजीयन ने पांच उप पंजीयक कार्यालयों के 46 विलेखों के बारे में सूचित किया (फरवरी एवं मार्च 2010) कि एक प्रकरण में ₹ 22,099 की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रगति पर थी । प्रकरणों में आगामी प्रगति एवं शेष प्रकरणों में महानिरीक्षक, पंजीयन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>2</sup> अलीराजपुर (झाबुआ), बड़वाह (खरगौन), भिण्ड, भोपाल, देवास, धार, धरमपुरी (धार), इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, झाबुआ, कालापीपल (शाजापुर), खातेगाँव (देवास), माहिदपुर (उज्जैन), मनावर (धार), मण्डला, मुरैना, सरदारपुर (धार), सौंसर (छिन्दवाड़ा), सेंधवा (बड़वानी), सिवनीमालवा (होशंगाबाद), शुजालपुर (शाजापुर), सिंगरोली (सीधी), सिरोंज (विदिशा), उज्जैन एवं विदिशा ।

<sup>3</sup> बड़वानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, धार, जबलपुर, झाबुआ, मण्डला, सीधी एवं उज्जैन ।

<sup>4</sup> अलीराजपुर (झाबुआ), बड़वाह (खरगौन), भिण्ड, कालापीपल (शाजापुर), मुरैना, शुजालपुर (शाजापुर), सिरोंज (विदिशा) ।



हमने जून 2007 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

### 6.3 कॉलोनाइजरो/विकासकर्ताओं द्वारा निष्पादित विलेखों पर शुल्क का अपवंचन

बंधक विलेखों की प्रतिभूति राशि पर शुल्क का आरोपण भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38(ख) के द्वारा विनियमित होता है। आगे, कॉलोनाइजर को स्थानीय प्राधिकारियों के मानकों के अनुसार भूमि का विकास करना होता है तथा भूमि विकास व्यय के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में 25 प्रतिशत भूमि/भूखण्ड स्थानीय प्राधिकरण के पास बंधक रखने होते हैं। हमने देखा कि ऐसे विलेखों से संव्यवहार बावत् विभाग में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी तथा विलेख में कॉलोनाइजर द्वारा उल्लिखित राशि पर शुल्क प्रभारित किया गया था।

6.3.1 हमने तीन उप पंजीयक कार्यालयों<sup>5</sup> में नवम्बर 2007 और जुलाई 2009 के मध्य अवलोकित किया कि अक्टूबर 2006 और मार्च 2009 के मध्य कॉलोनाइजरो द्वारा निष्पादित 24 बंधक विलेखों में भूमि/भूखण्डों पर होने वाले अनुमानित विकास व्यय पर विचार नहीं किया गया था। तथापि, पंजीयनकर्ता प्राधिकारियों ने

कॉलोनाइजरो द्वारा विलेखों में दर्शायी गयी राशि के आधार पर शुल्क एवं फीस का आरोपण विनिश्चित किया, जबकि विकास व्यय के वास्तविक आंकड़ों के अभाव में प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर इसका विनिश्चय किया जाना चाहिये था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़<sup>6</sup> का राजस्व कम वसूल हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, जिला पंजीयक, भोपाल और इंदौर ने बताया (नवम्बर 2009) कि कॉलोनाइजरो/विकासकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं। उप पंजीयक, उज्जैन ने बताया (जुलाई 2009) कि जाँच के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

वस्तुस्थिति यह है कि अनुमानित विकास व्यय को अभिनिश्चित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया और न ही इस बारे में विभागीय उच्चाधिकारियों को किसी प्रकार से संदर्भित किया गया।

<sup>5</sup> भोपाल, इंदौर और उज्जैन।

<sup>6</sup> एक विलेख में अनुमानित विकास व्यय ₹ 2.38 करोड़ संगणित हुआ और 23 दस्तावेजों में बंधक भू-खण्डों का बाजार मूल्य ₹ 19.02 करोड़ संगणित हुआ। शुल्क तथा फीस ₹ 1.07 करोड़ और ₹ 17.16 लाख योग ₹ 1.24 करोड़ आरोपणीय थी जबकि ₹ 4.97 लाख आरोपित की गई।

कॉलोनाइजरो/विकासकर्ताओं द्वारा भूमि के विकास पर व्यय के मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमों में एक कार्यप्रणाली निर्धारित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

हमने प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन और शासन को दिसंबर 2007 एवं अगस्त 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

6.3.2 हमने दिसम्बर 2006 और जून 2009 के मध्य तीन उप पंजीयक कार्यालयों<sup>7</sup> में

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5(घ) में किसी अनुबंध पर, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमि पर भवन निर्माण से संबंधित है जो ऐसी भूमि का स्वामी या पट्टेदार नहीं हैं और उसमें यह उपबंधन है कि निर्माण के पश्चात निर्मित भवन संयुक्त या पृथक रूप से दूसरे व्यक्ति तथा स्वामी द्वारा धारित किया जाएगा या उनके द्वारा संयुक्त या पृथक रूप से विक्रय किया जाएगा, भूमि के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क के आरोपण का प्रावधान है। आगे, पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अधीन ऐसे विलेख अनिवार्यतः पंजीबद्ध कराने होते हैं ।

अवलोकित किया कि अप्रैल 2005 तथा मार्च 2009 के मध्य पंजीबद्ध हुए 14 विक्रय विलेखों में उल्लिखित निर्मित संपत्तियां भवन निर्माताओं एवं भूमि स्वामियों में हुए अनुबंधों के तहत संयुक्ततः

विक्रय की गई थीं। तथापि, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार ₹ 37.08 करोड़ मूल्य की 24.75 एकड़ भूमि से सन्निहित ये अनुबंध पंजीबद्ध नहीं कराये गये थे । इसके परिणामस्वरूप, भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति के अलावा ₹ 1.04 करोड़ का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, भोपाल और इंदौर ने दस दस्तावेजों के बारे में बताया (नवम्बर 2009) कि निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिये गये थे और कार्रवाई प्रगति पर थी । उप पंजीयक, ग्वालियर ने चार दस्तावेजों के बारे में बताया (अगस्त 2007) कि जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । प्रकरण में आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने फरवरी 2007 और जुलाई 2009 के मध्य प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>7</sup> भोपाल, ग्वालियर और इंदौर ।



## 6.4 पट्टे/उपपट्टे पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 सहपठित धारा 38 के अनुसार, प्रत्येक लोक अधिकारी जिसके समक्ष कोई शुल्क प्रभार्य विलेख प्रस्तुत किया जाता है, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि विलेख सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं हैं तो वह अधिनियम के तहत आरोपणीय शुल्क/शास्ति का भुगतान करने पर उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा अथवा उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए इसे कलेक्टर को भेजेगा। आगे, पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत 12 माह से अधिक अवधि के पट्टा विलेख अनिवार्यतः पंजीबद्ध कराने होते हैं। ऐसे विलेखों पर मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क में दी गई दरों के अनुसार प्रभारित किया जाता है। मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन फीस देय है।

6.4.1 हमने तीन जिला खनिज कार्यालयों<sup>8</sup> में फरवरी और जुलाई 2009 के मध्य अवलोकित किया कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम ने 13 ठेकेदारों को नवम्बर 2004 और जून 2009 के मध्य एक वर्ष के लिए तथा एक ठेकेदार को मार्च 2006 से जून 2007 की अवधि के लिए रेत निष्कासन तथा विक्रय के अधिकार ₹ 18.09 करोड़ में उपपट्टे पर दिये थे। तथापि, यह देखा गया कि

इस संबंध में आरोपणीय मुद्रांक शुल्क ₹ 1.43 करोड़ और पंजीयन फीस ₹ 3.42 लाख के बजाय अनुबंध एक प्रकरण में ₹ 50 तथा शेष प्रकरणों में प्रत्येक पर ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये गये थे। सही मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के आरोपण हेतु कार्रवाई के लिये विभाग ने कोई पहल नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर ने बताया (मई 2009) कि प्रकरण मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम और उप पंजीयक को अग्रेषित किया जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी, जबलपुर ने बताया (जुलाई 2009) कि प्रकरण के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम से जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी, खरगौन ने कोई उत्तर नहीं दिया (दिसम्बर 2010)।

हमने प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, महानिरीक्षक पंजीयन तथा शासन को नवम्बर और दिसम्बर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010)।

<sup>8</sup> जबलपुर, खरगौन और नरसिंहपुर।



**6.4.2** अप्रैल 2007 और नवंबर 2009 के मध्य हमने तीन जिला खनिज कार्यालयों<sup>9</sup> में अवलोकित किया कि 53 व्यापारिक खदानें ₹ 58.65 लाख प्रतिवर्ष की ठेका राशि पर दो वर्ष के लिए नीलाम की गई थीं । तदनुसार, इन अनुबंधों पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 9.38 लाख तथा ₹ 7.05 लाख आरोपणीय थी । तथापि, यह देखा गया कि संगणनात्मक त्रुटि के कारण क्रमशः ₹ 5.59 लाख और ₹ 2.01 लाख का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस आरोपित की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप, ₹ 8.82 लाख के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला खनिज अधिकारी, बुरहानपुर ने बताया (नवम्बर 2009) कि ठेकेदार को मांग-पत्र जारी किया जाएगा । जिला खनिज अधिकारी, दतिया ने बताया (सितम्बर 2009) कि प्रकरणों को वसूली हेतु पंजीयन विभाग को संदर्भित कर दिया गया था । जिला खनिज अधिकारी, सिवनी ने बताया (मार्च 2009) कि प्रकरण जिला पंजीयक को अग्रेषित किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, महानिरीक्षक, पंजीयन तथा शासन को दिसम्बर 2009 और फरवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

**6.4.3** मई और जुलाई 2009 के मध्य हमने तीन उप पंजीयक कार्यालयों<sup>10</sup> में अवलोकित किया कि अप्रैल 2007 और मार्च 2009 के मध्य पंजीबद्ध हुए दस पट्टा विलेखों के दस्तावेजों में ₹ 14.78 लाख का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस आरोपणीय थी किन्तु पंजीयनकर्ता प्राधिकारियों ने एक प्रकरण में कम पट्टा अवधि मानकर और नौ प्रकरणों में संगणनात्मक त्रुटि के कारण केवल ₹ 10.56 लाख का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस आरोपित की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.22 लाख का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस कम वसूल हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, भोपाल और सागर ने बताया (जुलाई और नवम्बर 2009 के मध्य) कि निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर थी । महानिरीक्षक, पंजीयन ने देवास कार्यालय से संबंधित आठ प्रकरणों के बारे में सूचित किया (मार्च 2010) कि जिला पंजीयक द्वारा निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिये गये थे । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरण मई और अगस्त 2009 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किये; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>9</sup> बुरहानपुर, दतिया और सिवनी ।

<sup>10</sup> भोपाल, बीना (सागर) और देवास ।



## 6.5 मुख्तारनामा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची-I-क में प्रावधान है कि जब मुख्तारनामा बिना प्रतिफल के प्रदान किया जाता है और अभिकर्ता को एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय अथवा स्थायी रूप से संक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो ऐसे विलेखों पर ₹ 100 का शुल्क प्रभार्य है। आगे, जब ऐसे अधिकार प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये दिए जाते हैं अथवा जब वह अप्रतिसंहरणीय है या जब कोई निश्चित अवधि तात्पर्यित नहीं है तो ऐसे विलेखों पर, संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तान्तरण पत्र पर देय शुल्क के समान शुल्क प्रभार्य है।

मार्च और दिसम्बर 2009 के मध्य हमने 22 उप पंजीयक कार्यालयों<sup>11</sup> में अवलोकित किया कि फरवरी 2006 और मार्च 2009 के मध्य पंजीबद्ध हुए 110 मुख्तारनामा विलेखों में से 77 विलेखों में अचल संपत्ति के विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी संक्रान्त के अधिकार प्रदान किये

गये थे, किन्तु विलेखों में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं था कि मुख्तारनामा बिना प्रतिफल एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए है। 30 विलेखों में मुख्तारनामे अप्रतिसंहरणीय थे तथा दो विलेखों में मुख्तारनामा प्रतिफल सहित था जबकि एक विलेख में अवधि दस वर्ष उल्लिखित थी। इन प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, ₹ 1.46 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस आरोपणीय थी। तथापि, हमने देखा कि इन सभी प्रकरणों में विलेखों को बिना प्रतिफल एक वर्ष से अनधिक की अवधि हेतु विक्रय के लिए मुख्तारनामा मानकर प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 का शुल्क आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक, देपालपुर ने पांच प्रकरणों के बारे में बताया (अगस्त 2009) कि दस्तावेज में एक वर्ष की अवधि का उल्लेख किया गया था और दस्तावेज को अप्रतिसंहरणीय उल्लेख करने से उच्चतर शुल्क दर लागू नहीं होती। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार जब विलेख दो या अधिक वर्णनों में आता हो और प्रभारणीय शुल्क भिन्न हो तो ऐसे शुल्क का उच्चतम शुल्क आरोपणीय होता है। बिना प्रतिफल एक वर्ष से अनधिक अवधि के मुख्तारनामा से

<sup>11</sup> बड़वानी, भिण्ड, भोपाल, बीना (सागर), देपालपुर (इंदौर), देवास, धार, कैलारस (मुरैना), खातेगांव (देवास), कुरवई (विदिशा), महेश्वर (खरगौन), महिदपुर (उज्जैन), मल्हारगढ (मंदसौर), मनासा (नीमच), मंदसौर, मुरैना, शाजापुर, सिंगरोली (सीधी), सिवनीमालवा (होशंगाबाद), शुजालपुर (शाजापुर), टिमरनी (हरदा) तथा विदिशा।

अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामा का शुल्क अधिक है और चूंकि विलेख दोनों वर्णनों में आता था, अतः उच्चतर शुल्क प्रभाय था । उप पंजीयक, शाजापुर ने एक प्रकरण के बारे में बताया (दिसंबर 2009) कि समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार मुख्तारनामा सही था । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उप पंजीयक ने अपने उत्तर में किसी निश्चित अधिसूचना का उल्लेख नहीं किया था । दस उप पंजीयकों<sup>12</sup> ने 51 विलेखों के बारे में बताया (मार्च 2009 और जनवरी 2010 के मध्य) कि प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये जाएंगे । नौ जिला पंजीयकों<sup>13</sup> ने 53 विलेखों के बारे में बताया (जुलाई 2009 और फरवरी 2010 के मध्य) कि निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिये गये थे और कार्रवाई प्रगति पर थी । प्रकरण में आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन और शासन को अप्रैल 2009 और जनवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010) ।

### 6.6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासन अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2002 के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिए भू-अर्जन हेतु उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर उदग्रहणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति संबंधित उप पंजीयकों द्वारा सृजित मांग के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को की जानी है ।

**6.6.1** मार्च और नवंबर 2009 के मध्य हमने 12 उप पंजीयक कार्यालयों<sup>14</sup> में अवलोकित किया कि जनवरी 2005 और मार्च 2009 के मध्य पंजीबद्ध हुए 216 दस्तावेज नर्मदा घाटी विकास परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित हुए थे । हमने

अवलोकित किया कि उपरोक्त विलेखों के निष्पादन पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 65.24 लाख का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस शासन को प्रतिपूर्ति योग्य थी किन्तु इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी । यद्यपि उप पंजीयक बुरहानपुर, होशंगाबाद, और मनावर के 35 प्रकरणों को छोड़कर, 181 प्रकरणों में संबंधित उप पंजीयकों द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विरुद्ध/को मांग/पत्र/अनुस्मारक जारी किये गये थे । इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.24 लाख का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

<sup>12</sup> बडवानी, भिण्ड, कैलारस (मुरैना), खातेगांव (देवास), कुरवई (विदिशा), महेश्वर (खरगौन), मनासा (नीमच), मुरैना, सिवनीमालवा (होशंगाबाद) और शुजालपुर (शाजापुर) ।

<sup>13</sup> भोपाल, देवास, धार, हरदा, मंदसौर, सागर, सीधी, उज्जैन और विदिशा ।

<sup>14</sup> बागली (देवास), भीकनगांव (खरगौन), बुधनी (सीहोर), बुरहानपुर, होशंगाबाद, झाबुआ, खातेगांव (देवास), महेश्वर (खरगौन), मनावर (धार), नसरुल्लागंज (सीहोर), सिवनीमालवा (होशंगाबाद) और टिमरनी (हरदा) ।



प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (फरवरी 2010) कि बुधनी, होशंगाबाद, सिवनीमालवा और टिमरनी कार्यालयों के 80 में से दो प्रकरणों में ₹ 1.09 लाख की वसूली हो चुकी थी तथा शेष प्रकरणों में कार्रवाई जारी थी। शेष जिला पंजीयकों और उप पंजीयकों ने बताया (मार्च 2009 और जनवरी 2010 के मध्य) कि मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

हमने प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन और शासन को अप्रैल और दिसम्बर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किये; शेष प्रकरणों के बारे में महानिरीक्षक पंजीयन का आगामी उत्तर तथा शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)

**6.6.2** जुलाई और अगस्त 2009 में हमने उप पंजीयक कार्यालय धार तथा देपालपुर (इंदौर)

शासन की अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर 2007 (यथा संशोधित) में ऑटो टैस्टिंग ट्रैक प्रोजेक्ट, पीथमपुर (जिला धार) के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की प्रभार्यता से छूट प्रावधानित है। अधिसूचना में निबन्धन है कि इस प्रकार के विलेखों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि की प्रतिपूर्ति ऐसे विलेखों के पंजीयन के एक माह के अन्दर वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी।

में अवलोकित किया कि मार्च 2008 और मार्च 2009 के मध्य, ऑटो टैस्टिंग ट्रैक प्रोजेक्ट, पीथमपुर (धार) के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में 79 दस्तावेज<sup>15</sup> निष्पादित/पंजीबद्ध हुए थे। हमने आगे देखा कि उपरोक्त दस्तावेजों में अंतर्निहित ₹ 63.57 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वाणिज्यिक कर विभाग को

प्रतिपूर्ति योग्य थी किन्तु उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी, यद्यपि देपालपुर के दो प्रकरणों और धार के 12 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 10.64 लाख को छोड़कर, सभी प्रकरणों में अप्रैल 2008 और मार्च 2009 के मध्य मांग जारी की गई थी। एक प्रकरण में ₹ 1.40 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 40,000 की मांग जारी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.57 लाख का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, धार ने दिसम्बर 2009 में बताया कि उप पंजीयक, धार के सभी 62 प्रकरणों में वसूली कर ली गई थी, जबकि उप पंजीयक देपालपुर ने अगस्त 2009 में बताया कि दो प्रकरणों में मांग जारी करने की कार्रवाई की जाएगी तथा शेष 15 प्रकरणों में अनुस्मारक जारी किये जाएंगे। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

<sup>15</sup> देपालपुर (17 दस्तावेज) और धार (62 दस्तावेज)।

हमने प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन और शासन को अगस्त तथा सितम्बर 2009 में प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

### 6.7 मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट/कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38(ख) सहपठित मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 में कब्जा रहित बंधक विलेखों पर प्रत्याभूत राशि के पांच प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपण का प्रावधान है । शासन ने अपनी अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर 2006 में कृषि भूमिधारियों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ दस लाख रुपये से अनधिक राशि के ऋण प्राप्त करने के लिए निष्पादित कब्जा रहित बंधक विलेखों को शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की थी । जहां ऋण की राशि ₹ 10 लाख से अधिक हो वहां ऐसे प्रकरणों में प्रत्याभूत राशि का दो प्रतिशत शुल्क आरोपणीय है ।

6.7.1 मई और सितंबर 2009 के मध्य हमने चार उप पंजीयक कार्यालयों<sup>16</sup> में अवलोकित किया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार

26 प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट तथा सात प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क के कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 36.71 लाख के मुद्रांक शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण हुआ :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या अवधि जिसमें पंजीबद्ध हुए	अनियमितता की प्रकृति	ऋण राशि	मुद्रांक शुल्क आरोपणीय आरोपित	मुद्रांक शुल्क अनारोपित कम आरोपित
1	2	3	4	5	6
1.	20 सितंबर 2007 और अक्टूबर 2008	ऋण का प्रयोजन कृषि से भिन्न था, इसलिये छूट अनुमत्य नहीं थी ।	574.63	28.73 निरंक	28.73
	2 जुलाई 2007 और फरवरी 2008		51.57	2.58 0.81	1.77
2.	2 नवंबर 2008 और मार्च 2009	कृषि भूमिधारियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया था ।	87.66	4.38 1.11	3.27

<sup>16</sup> भोपाल, बीना (सागर), होशंगाबाद और ओबेदुल्लागंज (रायसेन) ।



1	2	3	4	5	6
3.	6 मार्च 2007 और सितम्बर 2008  3 अप्रैल 2007 और अगस्त 2007	प्रत्येक प्रकरण में ऋण राशि ₹ 10 लाख से अधिक थी, अतः छूट की पात्रता नहीं थी ।	116.30   41.00	2.33 निरंक  0.82 0.21	2.33   0.61
योग	33		871.16	38.84 2.13	36.71

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, भोपाल ने नौ प्रकरणों के बारे में बताया (नवम्बर 2009) कि वसूली हेतु प्रकरण दर्ज कर लिये गये थे । उप पंजीयक, होशंगाबाद ने 12 प्रकरणों के बारे में बताया (जून 2009) कि नौ प्रकरणों में सहकारी बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया था, एक प्रकरण में ऋण का उद्देश्य जीप खरीदना था, और एक प्रकरण में दो प्रतिशत की दर से शुल्क प्रभारित किया गया था, जबकि एक प्रकरण के बारे में बताया गया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासन की अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर 2006 के अधीन इस प्रकार के प्रकरणों में कोई रियायत अनुमत्य नहीं है । उप पंजीयक, ओबेदुल्लागंज ने शेष नौ प्रकरणों के बारे में बताया (सितम्बर 2009) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । महानिरीक्षक, पंजीयन ने उप पंजीयक बीना (सागर) के तीन प्रकरणों के बारे में सूचित किया (मार्च 2010) कि जिला पंजीयक, सागर द्वारा प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया है । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरण शासन को मई और सितंबर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

**6.7.2** मार्च 2009 में उप पंजीयक कार्यालय, राजगढ़ में हमने अवलोकित किया कि मध्य

शासन ने अपनी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2005 द्वारा उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन वित्तीय संस्थाओं द्वारा अर्जित बंद औद्योगिक इकाइयों के विक्रय के विलेखों पर प्रभारणीय मुद्रांक शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की थी । अधिसूचना की शर्तों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज जैसी गैर-उत्पादक इकाइयों को छूट अनुमत्य नहीं थी ।

प्रदेश वित्त  
निगम द्वारा  
अधिग्रहीत  
एक कोल्ड  
स्टोरेज का  
विक्रय पत्र  
विलेख

फरवरी 2006 में पंजीबद्ध हुआ था । विलेख के उपवर्णनों तथा क्रेता कंपनी द्वारा कलेक्टर को छूट प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के अनुसार भवन और मशीनरीज का कुल क्रय मूल्य क्रमशः ₹ 33 लाख तथा ₹ 10 लाख, योग ₹ 43 लाख था । चूंकि कोल्ड

स्टोरेज के क्रय पर छूट अनुमत्य नहीं थी, अतः विलेख पर ₹ 3.87 लाख का मुद्रांक शुल्क और ₹ 34,545 की पंजीयन फीस आरोपणीय थी । तथापि, हमने देखा कि विलेख का मूल्यांकन ₹ 33 लाख किया गया था; कोल्ड स्टोरेज को उत्पादक इकाई मानकर मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई तथा केवल ₹ 26,545 की पंजीयन फीस आरोपित की गयी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 लाख के शुल्क भुगतान से अनियमित छूट एवं की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने के बाद, महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (मार्च 2010) कि जिला पंजीयक, राजगढ़ द्वारा निष्पादक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया था और उन्हें प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित कर दिया गया था । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरण शासन को मई 2009 में प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

#### 6.8 ऋण समनुदेशन के विलेख पर शुल्क का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 (ख) सहपठित शासन की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2005 में प्रावधान है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीबद्ध किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पक्ष में निष्पादित ऋण के प्रतिभूतिकरण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित ऋण के समनुदेशन के विलेखों पर प्रतिभूतित ऋण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित समनुदेशित ऋण के 0.1 प्रतिशत की दर से शुल्क के आरोपण का प्रावधान है यदि प्रतिभूतियाँ अचल सम्पति हैं । इसके अतिरिक्त, ऐसे विलेखों पर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 तथा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत क्रमशः एक-एक प्रतिशत की दर से पंचायत शुल्क तथा नगरपालिका शुल्क भी आरोपणीय है ।

जुलाई 2009 में हमने उप पंजीयक कार्यालय, धार में अवलोकित किया कि एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के पक्ष में निष्पादित ₹ 8.91 करोड़ का एक ऋण समनुदेशन विलेख अप्रैल 2008 में पंजीबद्ध

किया गया था । उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 18.71 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था । तथापि, हमने पाया कि गलत दरें लागू करके केवल ₹ एक लाख का शुल्क आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.71 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण/वसूली हुई ।



हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने के बाद, महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (मार्च 2010) कि जिला पंजीयक द्वारा निष्पादक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया था तथा कार्रवाई प्रगति पर थी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

हमने प्रकरण शासन को सितम्बर 2009 में प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

### 6.9 हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार/ज्ञापन पर शुल्क का कम आरोपण

एक हक विलेख के निक्षेप से संबंधित करार पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6(क) के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जाता है। ऐसे विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के बराबर पंचायत शुल्क भी आरोपणीय है। आगे, अनुच्छेद 6(क) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित कोई पत्र टिप्पणी, ज्ञापन या कोई लेख चाहे वह प्रथम या किसी अतिरिक्त ऋण के बारे में हो, हक विलेखों के निक्षेप के करार को साक्षित करने वाली लिखत समझी जाती है।

जून और सितंबर 2009 के मध्य उप पंजीयक कार्यालय भिण्ड और भोपाल में हमने अवलोकित किया कि 13 प्रकरणों में, ₹ 51 करोड़ के ऋणों को प्रत्याभूत करने के लिए हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित ज्ञापन या लेखों को जून 2008 और फरवरी 2009 के मध्य पंजीबद्ध किया गया था,

जिन पर ₹ 21.85 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। तथापि, हमने पाया कि गलत दर लागू करके/करार की केवल अतिरिक्त राशि पर शुल्क प्रभारित करते हुए केवल ₹ 5.59 लाख रुपये का मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.26 लाख के शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक, भोपाल ने एक प्रकरण के बारे में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा शेष नौ प्रकरणों के बारे में यह बताया गया (जून 2009) कि जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी जबकि उप पंजीयक, भिण्ड ने तीन प्रकरणों के बारे में बताया (सितम्बर 2009) कि बैंकों से जानकारी प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रकरणों में आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।

हमने प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन और शासन को जुलाई और नवंबर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

**6.10 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण**

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत, विलेखों पर उनके उपवर्णनों के अनुसार अनुसूची 1-क या शासन द्वारा अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित दरों पर मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है ।

सितम्बर 2008  
और जुलाई 2009  
के मध्य चार  
उप पंजीयक

कार्यालयों<sup>17</sup> में हमने अवलोकित किया कि 12 प्रकरणों में दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹ 7.71 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ;

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या अवधि जिसमें पंजीबद्ध हुए	अनियमितता की प्रकृति	मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस आरोपणीय आरोपित की गई राशि	कम आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस
1.	3 मई 2007 और मार्च 2009	कब्जे के बारे में कोई उल्लेख किए बिना विक्रय अनुबंध को कब्जा रहित विक्रय अनुबंध मानना	4.57 0.40	4.17
2.	5 अप्रैल 2007 और फरवरी 2009	दान को सहस्वामित्व पत्र मानना	3.10 1.23	1.87
3.	2 अप्रैल 2007 और अक्टूबर 2008	दान को विभाजन मानना	1.46 0.46	1.00
4.	1 जनवरी 2008	पट्टा सह निर्माता अनुबंध को केवल पट्टा मानना	0.56 0.11	0.45
5.	1 मार्च 2008	दान को व्यवस्था पत्र मानना	0.55 0.33	0.22
<b>योग</b>	<b>12</b>		<b>10.24</b> <b>2.53</b>	<b>7.71</b>

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, चार उप पंजीयकों ने 11 प्रकरणों के बारे में सितंबर 2008 और जुलाई 2009 के मध्य बताया कि प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये जाएंगे । जबकि जिला पंजीयक, देवास ने एक प्रकरण के बारे में बताया (मार्च 2010 ) कि कार्रवाई प्रगति पर थी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010) ।

हमने प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन और शासन को जुलाई और सितंबर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010) ।

<sup>17</sup> देवास, इटारसी (होशंगाबाद), शुजालपुर (शाजापुर), और सिंगरौली (सीधी) ।



**अध्याय-7**  
**मनोरंजन शुल्क**

**7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम**

मनोरंजन शुल्क से संबंधित 36 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 3,979 प्रकरणों में ₹ 2.03 करोड़ की राजस्व हानि एवं अन्य अनियमितताएं दृष्टिगत हुईं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वी.सी.आर. संचालकों/केबल आपरेटरों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना	481	0.13
2.	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	1,453	0.49
3.	मनोरंजन शुल्क के भुगतान से गलत छूट	11	0.002
4.	टिकटों का लेखांकन न करने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	89	0.30
5.	अन्य	1,945	1.11
<b>योग</b>		<b>3,979</b>	<b>2.03</b>

वर्ष 2009-10 के दौरान, विभाग ने 2,650 प्रकरणों में ₹ 1.57 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। 264 प्रकरणों में ₹ 19 लाख की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें ₹ 81.45 लाख की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

## 7.2 केबल आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क वसूल न करना

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम तथा मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम में प्रावधान है कि केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक केबल टेलीविजन नेटवर्क और होटल या लॉजिंग हाऊस का मालिक निर्धारित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा।

दिसंबर 2008 और फरवरी 2010 के मध्य पांच सहायक आबकारी आयुक्त<sup>1</sup> तथा 14 जिला आबकारी अधिकारियों<sup>2</sup> के कार्यालय के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2007 से जनवरी 2010 के दौरान केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 781 केबल आपरेटरों और 23 होटलों या लॉजिंग हाउसों के मालिकों द्वारा ₹ 32.77 लाख का मनोरंजन शुल्क

जमा नहीं किया गया। विभाग द्वारा भी देय राशियों की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 32.77 लाख के शुल्क की वसूली नहीं हुई।

प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, सहायक आबकारी आयुक्त, ग्वालियर ने बताया (जनवरी 2010) कि 34 प्रकरणों में ₹ 1.04 लाख की राशि वसूल कर ली गई है तथा शेष प्रकरणों में कार्रवाई की जा रही है। अन्य सहायक आबकारी आयुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों ने दिसंबर 2008 एवं फरवरी 2010 के मध्य बताया कि वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमें कोई आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

हमने फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010)।

<sup>1</sup> भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर तथा उज्जैन।

<sup>2</sup> बेतूल, छतरपुर, धार, देवास, होशंगाबाद, खरगौन, पन्ना, राजगढ़, शहडोल, सतना, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, तथा शाजापुर।



### 7.3 सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

म.प्र. मनोरंजन कर एवं विज्ञापन कर अधिनियम में प्रावधान है कि जहां किसी सिनेमा हाल में सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन किये जाते हैं, सिनेमा हॉल में प्रवेश दिये गये व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रभारित किये गये दो रुपये प्रति टिकट से अनधिक राशि पर कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा। प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किये गये व्यय की राशि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सी.ए.) से सत्यापित कराकर सिनेमा हाल के मालिक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी और यदि कलेक्टर प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाएं प्रदान करने के लिये मान्य की गई राशि के संबंध में सिनेमागृह के मालिक से शुल्क वसूल कर सकेंगे।

दिसम्बर 2008  
एवं दिसम्बर  
2009 के मध्य  
पांच सहायक  
आबकारी  
आयुक्तों<sup>3</sup> एवं छः  
जिला आबकारी  
अधिकारियों<sup>4</sup> के  
अभिलेखों से  
हमने अवलोकित  
किया कि अप्रैल  
2007 और मार्च  
2009 के मध्य  
70 सिनेमा गृह  
मालिकों द्वारा

दर्शकों को सिनेमा गृह में सुविधाएं प्रदान करने हेतु टिकटों की बिक्री पर ₹ 90.88 लाख संग्रहीत किये गये थे। यद्यपि सिनेमा हाल में प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किये गये व्यय के लेखाओं को सी.ए. से सत्यापित कराकर मालिकों द्वारा कलेक्टर को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया था, किंतु विभाग द्वारा इस राशि पर मनोरंजन शुल्क आरोपित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.15 लाख के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं हुई।

प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, दिसंबर 2008 और दिसंबर 2009 के मध्य सभी सहायक आबकारी आयुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया कि सिनेमा गृहों के मालिकों से विवरणियां प्राप्त की जा रही हैं। उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सम्यक रूप से संपरीक्षित विवरण निर्धारित समय सीमा अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अप्राप्त रहने पर भी मनोरंजन शुल्क वसूल करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गयी।

हमने प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

<sup>3</sup> भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तथा उज्जैन।

<sup>4</sup> बालाघाट, खरगौन, नरसिंहपुर, शिवपुरी, सिवनी तथा विदिशा।

#### 7.4 विज्ञापन कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम में प्रावधान है कि मनोरंजन का प्रत्येक संचालक प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर 50 रुपये प्रतिमाह की अनधिक दर से विज्ञापन कर का भुगतान करेगा ।

दिसंबर 2008 और फरवरी 2010 के मध्य सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल एवं 15 जिला आबकारी अधिकारियों<sup>5</sup> के अभिलेखों से हमें ज्ञात हुआ कि 2,139 केबल आपरेटरों तथा छः वीडियो संचालकों द्वारा अप्रैल 2005 से

जनवरी 2010 की अवधि से संबंधित ₹ 19.53 लाख के विज्ञापन कर का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा कर आरोपण/वसूली की कोई कार्रवाई की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.53 लाख के विज्ञापन कर की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, आबकारी आयुक्त ने जनवरी 2010 में बताया कि यद्यपि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केबल ऑपरेटरों पर विज्ञापन कर आरोपणीय नहीं है, प्रशासनिक विभाग को विधि आयोग के अभिमत से अवगत कराने हेतु पत्र भेजा गया है (अगस्त एवं दिसम्बर 2009) । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केबल आपरेटरों/वीडियो संचालकों को विज्ञापन कर भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं रखा गया है ।

हमने दिसंबर 2009 और मार्च 2010 के मध्य प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>5</sup> बड़वानी, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, हरदा, कटनी, खण्डवा, राजगढ़, सीहोर, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं विदिशा ।



**अध्याय-8**  
**विद्युत शुल्क**

**8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम**

विद्युत शुल्क से संबंधित आठ<sup>1</sup> इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नानुसार एक प्रकरण में ₹ 562.60 करोड़ की राशि के विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली एवं हानि तथा अन्य अनियमिततायें प्रकट हुईं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण (समीक्षा)	1	562.60
योग		1	562.60

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के पश्चात, ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2009-10 के दौरान एक प्रकरण में ₹ 16.03 लाख की पूर्ण राशि वसूल की।

“विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण” की समीक्षा, जिसमें ₹ 562.60 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

<sup>1</sup> वर्ष 2009-10 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार, वर्ष के दौरान 10 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसमें से आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा की गईं जिनमें 22 संभाग तथा उपसंभाग सम्मिलित थे।

## 8.2 विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण

### मुख्य बिन्दु

वितरण कंपनियों द्वारा ₹ 997.39 करोड़ की शासकीय राशि को अनियमित रूप से रोके रखे रहने के कारण राजस्व अवरुद्ध होना।

(कंडिका 8.2.8.1)

विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 3.73 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 8.2.8.2)

विद्युत खपत को सत्यापित करने के लिए जाँच सूची के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.97 करोड़ के शुल्क की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 8.2.9)

शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के आवधिक आंकलन हेतु कोई समय सीमा तय न होने के परिणामस्वरूप ₹ 6.92 करोड़ के शुल्क एवं उपकर का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 8.2.11)

प्रतिभूति जमा राशि हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 3.15 करोड़ के शुल्क का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 8.2.12)




**8.2.1 प्रस्तावना**

मध्य प्रदेश (म.प्र.) में ऊर्जा विभाग की प्राप्तियों के तीन प्रमुख अवयव हैं, यथा विद्युत शुल्क, ऊर्जा विकास उपकर तथा निरीक्षण फीस । विद्युत शुल्क का विनियमन मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम (अधिनियम), 1949 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं उत्पादक पूर्ववर्ती माह के दौरान उपभोक्ता को विक्रय या आपूर्ति की गई या उसके द्वारा स्वयं निजी उद्देश्यों हेतु उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाईयों पर निर्धारित समय पर तथा निर्धारित तरीके से निर्दिष्ट दर पर परिकल्पित शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह राज्य शासन को करेगा ।

अधिनियम के अंतर्गत, विद्युत ऊर्जा का वितरक अर्थात् राज्य विद्युत बोर्ड विक्रय या आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए शासकीय खाते में शुल्क जमा करेगा। वे इकाइयाँ जो अपनी स्वयं की खपत हेतु विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, अर्थात् कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों, द्वारा भी विद्युत शुल्क सीधे शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है यदि उनकी उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट से अधिक है। देय तथा भुगतान के लिए शेष शुल्क की राशि पर निर्धारित दर तथा तय परिस्थितियों में ब्याज लगाया जाएगा तथा उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी । विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा उत्पादक कोषालय रसीद के साथ प्रपत्र-जी में एक मासिक विवरणी विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के विक्रय या खपत पर ऊर्जा विकास उपकर भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (2003 में संशोधित) तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अंतर्गत विद्युत संस्थापना के निरीक्षण हेतु फीस आरोपित तथा वसूल की जाती है। विभाग की प्राप्तियां मुख्य शीर्ष "0043-विद्युत पर कर तथा शुल्क" के अंतर्गत जमा की जाती हैं ।

हमने मध्य प्रदेश में विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा उपकर के आरोपण एवं संग्रहण की समीक्षा निष्पादित की जिसमें बहुत सी प्रणालीगत तथा अनुपालन संबंधी कमियां प्रकट हुईं । इनका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

### 8.2.2 संगठनात्मक संरचना



मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) संगठन के प्रमुख हैं जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण कार्य हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए दो अधीक्षण यंत्री (अ.यं, विद्युत सुरक्षा), जिला स्तर पर सात संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि., विद्युत सुरक्षा) तथा उप संभागीय स्तर पर 34 सहायक विद्युत निरीक्षक होते हैं। वे विद्युत तथा विद्युत संस्थापनाओं के कैप्टिव तथा गैर-कैप्टिव उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क, उपकर तथा निरीक्षण फीस के आरोपण तथा संग्रहण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

### 8.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

हमने सितम्बर 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य मु.वि.नि./सं.वि.नि./अ.यं./स.यं. की कुल 44 इकाईयों में से 22 इकाईयों के विगत पाँच वर्षों (2005-06 से 2009-10) के अभिलेखों का परीक्षण किया तथा अगस्त 2010 तक जानकारी संग्रहीत की गई। इकाईयों का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर किया गया था। समीक्षा के दौरान, हमने मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा संधारित अभिलेखों के प्रति सत्यापन हेतु वितरण कंपनियों तथा अन्य विभागों/निकायों से भी जानकारी एकत्र की।

### 8.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा के निष्पादन में निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित थे :

- विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली की दक्षता तथा प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना ;
- यह सुनिश्चित करना कि क्या विद्युत संस्थापनाओं का सांविधिक निरीक्षण किया जा रहा था तथा ऐसे निरीक्षण हेतु समय पर फीस की वसूली की जा रही थी ; तथा



- इसका मूल्यांकन करना कि क्या शुल्क, फीस, ब्याज तथा उपकर की उचित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

### 8.2.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए अप्रैल 2010 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें मु.वि.नि. के प्रतिनिधि तथा लेखा अधिकारी के साथ-साथ विभाग के अपर सचिव उपस्थित हुए। निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2010 में आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक के साथ सचिव, ऊर्जा विभाग ने भाग लिया। शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

### 8.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

बजट मैनुअल में प्रावधान है कि अनुमानों में केवल ऐसी प्राप्तियों को शामिल करना चाहिये जिन्हें अनुमानकर्ता अधिकारी बजट वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किए जाने की उम्मीद करता है। बजट मैनुअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि परिशुद्धता के परीक्षण का समाधान किया जाना है तो न केवल पूर्वानुमानित सभी मदों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये बल्कि यह भी कि केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिये जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं।

31 मार्च 2010 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत शुल्क प्राप्तियों के राजस्व की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ (विभागीय आकड़ों के अनुसार)	वास्तविक प्राप्तियाँ (वित्त लेखे के अनुसार)	बजट अनुमानों से प्राप्तियों (वित्त लेखे) की अधिकता/कमी का प्रतिशत
2005-06	843.42	842.21	842.27	(-) 0.14
2006-07	763.36	892.15	714.55	(-) 6.39
2007-08	832.00	943.73	626.08	(-) 24.75
2008-09	900.00	926.37	343.06	(-) 61.88
2009-10	2,464.40	973.80	2,146.49	(-) 12.90

स्रोत : म.प्र. शासन के वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा यथा प्रेषित।

संशोधित अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों की भिन्नता (-) 0.14 से (-) 61.88 प्रतिशत के मध्य रही।

विभाग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक प्राप्तियों के आँकड़े वित्त लेखाओं के आँकड़ों से भिन्न हैं। हमने अवलोकित किया कि वितरण कंपनियों के पास लंबित बकाया राशियों को विभाग द्वारा वास्तविक प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है जबकि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान ऐसी राशि को मुख्य शीर्ष 0043 के अंतर्गत शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया है। मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्तियों में विगत वर्षों में वसूल किया गया राजस्व सम्मिलित था जिसे चालू वर्ष में समायोजित किया गया था।

### कुल कर राजस्व में विद्युत पर कर एवं शुल्क से प्राप्तियों का अंशदान


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल कर राजस्व	विद्युत पर कर एवं शुल्क	(2) में (3) का प्रतिशत अंशदान
1	2	3	4
2005-06	9,114.70	842.27	9.24
2006-07	10,473.13	714.55	6.82
2007-08	12,017.64	626.08	5.21
2008-09	13,613.50	343.06	2.52
2009-10	17,272.77	2,146.49	12.43

स्रोत : वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के म.प्र. शासन के वित्त लेखे।

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य में कुल कर प्राप्तियों में विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर के अंतर्गत प्राप्तियों के अंशदान प्रतिशत में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। यह वर्ष 2009-10 के दौरान विगत दो वर्षों की प्राप्तियों के समायोजन के कारण थी।

### विगत पाँच वर्षों के दौरान मुख्य शीर्ष 0043 के अंतर्गत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार विश्लेषण





लघु शीर्ष 101 में विद्युत की खपत तथा विक्रय पर कर सम्मिलित है, 102 में भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत फीस तथा 800 में ऊर्जा विकास उपकर सम्मिलित है । विगत पाँच वर्षों के दौरान इन तीन लघुशीर्षों में मुख्य शीर्ष 0043 के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का औसतन 99 प्रतिशत हिस्सा शामिल था ।

हमने अवलोकित किया कि तीन वर्षों (2006–07, 2007–08, तथा 2008–09) में अनुमानों की तुलना में लघुशीर्ष 101 के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में कमी दर्ज की गई जबकि वर्ष 2009–10 में, अनुमानों की तुलना में, इसमें अधिक वृद्धि देखी गई । निरीक्षण फीस (लघुशीर्ष 102) के अंतर्गत प्राप्तियों में चार वर्षों में अनुमानों की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई जबकि ऊर्जा उपकर के अंतर्गत प्राप्तियों में असंगत प्रवृत्ति देखी गई ।

### लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

### प्रणालीगत कमियाँ

### 8.2.7 बकाया की स्थिति

अधिनियम के अंतर्गत, देय तथा भुगतान के लिए शेष शुल्क की राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।

31 मार्च 2010 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान कैप्टिव पावर संयंत्रों से संबंधित विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर सहित बकाया राजस्व की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के अंत में शेष	पाँच वर्षों से अधिक बकाया राशि
2005–06	27.97	2.71	25.26	15.34
2006–07	32.85	6.18	26.67	11.07
2007–08	26.67	5.85	20.82	5.90
2008–09	20.82	1.10	19.72	13.86
2009–10	19.72	1.71	25.54	14.34

हमने अवलोकित किया कि बकाया राशियों की तुलना में वर्ष के दौरान प्राप्तियों में विगत पाँच वर्षों के दौरान 5.58 प्रतिशत तथा 28.09 प्रतिशत के मध्य भिन्नता देखी गई । मार्च 2010 को ₹ 25.54 करोड़ की राशि बकाया के रूप में शेष थी जिसमें से ₹ 14.34 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी । जब हमने पूछा कि क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान बकाया राशि की वसूली करने के लिए कोई माँग सृजित की गई थी, मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बताया कि माँग नोटिस जारी किए गए थे लेकिन वह वर्षवार आँकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके । हमने यह भी देखा कि यद्यपि वर्ष 2005–06 के दौरान कोई माँग नोटिस जारी नहीं किए गए थे, फिर भी वर्ष 2006–07 की बकाया राशि के प्रारम्भिक शेष में ₹ 7.59 करोड़ की वृद्धि दर्शाई गई थी ।

मुख्य विद्युत निरीक्षक ने स्वीकार किया (मई 2010) कि ऐसा गलती से हुआ था। मुख्य विद्युत निरीक्षक ने यह भी स्वीकार किया कि बकाया राशि की वसूली हेतु कोई समयबद्ध योजना नहीं थी। बकाया वसूली प्रकरण राजस्व विभाग को प्रतिवेदित करने के लिए अधिनियम में किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है और न ही इसमें बकाया की त्वरित वसूली को सुगम बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

विद्युत निरीक्षकों द्वारा बकाया राशियों की स्थिति पर मुख्य विद्युत निरीक्षक/शासन को भेजने के लिए एक आवधिक विवरणी निर्धारित किए जाने के संबंध में शासन विचार कर सकता है।

बकाया राशियों की त्वरित वसूली को सुगम बनाने के लिए शासन बकाया राशियों के प्रकरणों को राजस्व विभाग को प्रतिवेदित करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने या विभागीय अधिकारियों को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदान किए जाने के संबंध में भी विचार कर सकता है।

### 8.2.8 विवरणियों का प्रस्तुतीकरण तथा परिवीक्षण

विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक (i) कोषालय रसीद सहित जिसमें आरोग्य तथा अनारोग्य खपत के साथ शुल्क की राशि का विवरण होगा, प्रपत्र-जी में एक मासिक विवरणी तथा (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए देय शुल्क, भुगतान किए गए शुल्क, भुगतान किए गए ब्याज सहित शेष राशि की जानकारी दर्शाते हुए प्रपत्र-के में वार्षिक विवरणी विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के अनुसार, शासन की ओर से वसूली की गई धन राशि बिना किसी विलम्ब के शासकीय लेखे में प्रेषित की जाएगी।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासिक/वार्षिक विवरणियाँ समय पर तथा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाती हैं, कोई परिवीक्षण प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अतिरिक्त, भुगतान योग्य, भुगतान किए गए तथा जमा किए जाने हेतु शेष शुल्क से संबंधित कोई आवधिक विवरणी मुख्य विद्युत निरीक्षक की ओर से शासन को प्रस्तुत

किए जाने के लिए निर्धारित नहीं थी। विवरणियों के अकुशल परिवीक्षण के कारण राजस्व की हानि के कुछ उदाहरणों का उल्लेख निम्नानुसार है:



**8.2.8.1 विद्युत शुल्क का विलंबित प्रेषण/प्रेषण न किए जाने के कारण वितरण कंपनियों द्वारा शासकीय धन को अनियमित रूप से रोके रखना**

तीन वितरण कंपनियाँ<sup>2</sup>

विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं उत्पादक पूर्ववर्ती माह के दौरान उपभोक्ता को विक्रय या आपूर्ति की गई या उसके द्वारा स्वयं निजी उद्देश्यों हेतु उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाईयों पर निर्धारित समय पर, निर्धारित तरीके से निर्दिष्ट दर पर आंकलित शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह राज्य शासन को करेगा ।

हमने मुख्य विद्युत निरीक्षक के अभिलेखों से अवलोकित किया कि वितरण कंपनियों द्वारा प्रपत्र 'के' में वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई थीं जबकि 'जी' प्रपत्र में मासिक विवरणियों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में मुख्य विद्युत निरीक्षक भुगतान योग्य, भुगतान किए गए तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में शेष शुल्क का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं थे। हमने अवलोकित किया कि वितरण कंपनियों

द्वारा संग्रहीत विद्युत शुल्क तथा उपकर समय पर शासकीय लेखे में जमा नहीं किये गये थे। जब हमने जानकारी के लिए अनुरोध किया (जुलाई 2010) तो मुख्य विद्युत निरीक्षक ने वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में संग्रहीत शुल्क तथा उपकर के भुगतान/समायोजन से संबंधित वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। तथापि वितरण कंपनियों से संग्रहीत जानकारी से हमने अवलोकित किया कि वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 2,176.02 करोड़ का विद्युत शुल्क तथा उपकर संग्रहीत किया गया जिसमें से ₹ 1,631.60 करोड़ शासकीय लेखे में 12 से 36 माह के विलम्ब से जमा किये गये थे। परिणामस्वरूप, यह राशि उपरोक्त अवधि में शासकीय लेखे से बाहर रही। इस अनियमित प्रतिधारण के कारण, वितरण कंपनियाँ मार्च 2010 तक निर्धारित दर<sup>3</sup> से परिकलित ₹ 452.97 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए भी दायी हैं। शासकीय धन के अवरुद्ध होने के अतिरिक्त, इससे विद्युत शुल्क/उपकर के बजट अनुमान सही तैयार नहीं किये जा सके।

जब हमने इसे इंगित किया तो मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बताया (अप्रैल 2010) कि मार्च 2010 में शुल्क, उपकर तथा ब्याज सहित ₹ 1,631.60 करोड़ की राशि समायोजित की गई थी। शेष राशि (₹ 997.39 करोड़) का समायोजन नहीं किया गया था (दिसम्बर 2010)।

<sup>2</sup> मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं., पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं., पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.।

<sup>3</sup> 3 माह तक – 12 प्रतिशत वार्षिक, 3 से 6 माह – 15 प्रतिशत वार्षिक, 6 तथा 12 माह – 20 प्रतिशत वार्षिक तथा 12 माह से अधिक – 24 प्रतिशत वार्षिक।

### 8.2.8.2 विद्युत शुल्क का अनारोपण/वसूली न होना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य स्वशासी निकायों जैसे विमानन प्राधिकरणों, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा भारत संचार निगम लिमिटेड को शुल्क के भुगतान से कोई छूट प्राप्त नहीं है।

अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) जबलपुर तथा इन्दौर के कार्यालयों में हमने अवलोकित किया कि विमानन प्राधिकरणों के तीन उपभोक्ताओं, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के बारह उपभोक्ताओं तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के अट्टाइस उपभोक्ताओं ने

उच्च दाब/निम्न दाब संयोजन के माध्यम से उपभोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क का भुगतान वितरण कंपनियों को किया था, लेकिन वितरण कंपनियों ने विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया और न ही उनकी कैप्टिव खपत के विरुद्ध प्रपत्र 'जी' में संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालयों को निर्धारित विवरणी प्रस्तुत की। तथापि विभाग ने देय राशियों की वसूली तथा उपभोक्ताओं द्वारा समय पर विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.73 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया तो मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बताया (जून 2010) कि संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रकरणों की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी।

### 8.2.8.3 गलत दर लागू किए जाने के कारण शुल्क का कम आरोपण

अधिनियम में औद्योगिक उद्देश्यों हेतु विद्युत की खपत पर आठ प्रतिशत की दर से शुल्क का प्रावधान है जबकि गैर-औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 15 प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपणीय है।

हमने अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) जबलपुर तथा इन्दौर के कार्यालयों में अवलोकित किया कि पाँच उपभोक्ताओं के संबंध में, वाणिज्यिक अर्थात् गैर औद्योगिक क्रियाकलापों हेतु 15 प्रतिशत की दर से आरोपणीय शुल्क के

विरुद्ध, औद्योगिक क्रियाकलापों हेतु लागू आठ प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपित किया गया था। कम दर पर शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप तालिका में दर्शाये गए विवरणानुसार ₹ 16.62 लाख के शुल्क का कम आरोपण हुआ:



(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपभोक्ता	अवधि	संविदा माँग (के.वी.ए.)	खपत (यूनिट)	कम आरोपण (15-8)=7 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	भास्कर (जबलपुर)	07/07-11/09	300	8,43,648	2.25
2	नई दुनियाँ (जबलपुर)	10/07-11/09	200	5,03,816	1.34
3	राज एक्सप्रेस (जबलपुर)	01/09-11/09	250	1,88,487	0.51
4	राजस्थान पत्रिका (इन्दौर)	09/08-10/09	480	9,44,218	2.47
5	एम.पी.ए.के.वी.एन (जबलपुर)	04/05-01/10	170	37,79,454	10.05
	<b>योग</b>			<b>62,59,623</b>	<b>16.62</b>

वितरण कंपनी के उसी माह के प्रपत्र-जी की संवीक्षा में पता चला कि अन्य मीडिया भवनों पर 15 प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपित किया गया था । तथापि अधीक्षण यंत्रि कार्यालयों में यह विसंगति असंसूचित रही ।

जब हमने इसे इंगित किया, तो अधीक्षण यंत्रि (विद्युत सुरक्षा) जबलपुर ने बताया (फरवरी 2010) कि स्थल निरीक्षण के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा अधीक्षण यंत्रि (विद्युत सुरक्षा), इन्दौर ने बताया (जनवरी 2010) कि आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात् माँग नोटिस जारी किया जाएगा ।

**8.2.8.4 विवरणियों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण शुल्क/शास्ति का अनारोपण**

तीन संभागीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) कार्यालय<sup>4</sup>

म.प्र. विद्युत शुल्क नियमों के अंतर्गत, विद्युत ऊर्जा के उत्पादकों तथा वितरकों द्वारा विद्युत शुल्क भुगतान के विवरणों (चालान) सहित आवधिक विवरणी (प्रपत्र-जी) निर्धारित अवधि के भीतर विद्युत निरीक्षकों को प्रस्तुत किया जाना वांछित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि विद्युत ऊर्जा का कोई वितरक या उत्पादक या उपभोक्ता नियमों के अनुसार विवरणियों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उस पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा जो ₹ 1,000 तक हो सकता है।

हमने अवलोकित किया कि 1,116 कैप्टिव उपभोक्ताओं ने न तो प्रपत्र-जी प्रस्तुत किया था, और न ही कैप्टिव पावर के माध्यम से उत्पादित/उपभोग की गई ऊर्जा के विरुद्ध शुल्क का भुगतान किया था। इस पर ₹ 11.16 लाख की अधिकतम शास्ति आरोपणीय थी जिसके

लिए विभाग ने न्यायाधिकार न्यायालय में प्रकरण दाखिल नहीं किया। प्रपत्र-जी के अभाव में हम आरोपणीय विद्युत शुल्क की राशि का आंकलन नहीं कर सके।

जब हमने इसे इंगित किया, तो संभागीय विद्युत निरीक्षकों ने बताया कि विभाग के पास शास्ति आरोपित करने की शक्तियाँ नहीं हैं। उत्तर में न्यायाधिकार न्यायालय के समक्ष प्रकरण दाखिल करने तथा कम आरोपित विद्युत शुल्क की वसूली के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, संभागीय विद्युत निरीक्षकों से विवरणियों की मासिक प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय में कोई ऐसी कार्यप्रणाली नहीं है जिससे विवरणियों को प्रस्तुत न किए जाने तथा परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क के अनारोपण की संभावना को समाप्त किया जा सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासिक/वार्षिक विवरणियाँ समर्थक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में समय पर प्रस्तुत की जाएं, एक कार्यप्रणाली निर्धारित किए जाने तथा देय शुल्क, भुगतान किए गए शुल्क तथा जमा किए जाने योग्य शेष राशि से संबंधित जानकारी दर्शाते हुए मुख्य विद्युत निरीक्षक की ओर से शासन को एक आवधिक विवरणी प्रारम्भ किए जाने के संबंध में शासन विचार कर सकता है।

<sup>4</sup> सं.वि.नि. सीहोर, सं.वि.नि. उज्जैन तथा सं.वि.नि. रतलाम।



### 8.2.9 खनन गतिविधियों से शुल्क की कम प्राप्ति

अधिनियम के अंतर्गत, विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक पूर्ववर्ती माह के दौरान उपभोक्ता को विक्रय या आपूर्ति की गई या उसके द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिटों पर निर्दिष्ट दरों से आंकलित शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह निर्धारित समय पर तथा निर्धारित तरीके से राज्य शासन को करेगा। अधिनियम में सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खानों को छोड़कर, खानों के लिए शुल्क का 40 प्रतिशत लागू किए जाने का प्रावधान है। आगे जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, 'खान' के अंतर्गत वह परिसर अथवा मशीनरी सम्मिलित है जो खान में या उससे लगे हुए स्थान पर स्थित है तथा जिसका उपयोग माल को तोड़ने, रुपान्तरित करने, ब्यवहार में लाने या उसको परिवहित करने में किया जाता है। अधिनियम के अनुसार, कोई उपभोक्ता जो अपने स्वयं की खपत के लिए ऊर्जा उत्पादित करता है, उन्हीं दरों पर शुल्क के भुगतान के दायित्वाधीन होगा जैसे कि उसको विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जा रही हो। विभाग ने लाइसेंसधारक द्वारा संचालित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधि/क्रियाकलाप का निर्धारण करने के लिए विद्युत संस्थापनाओं हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए कोई जाँच सूची निर्धारित नहीं की।

हमने अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) जबलपुर के कार्यालय में अवलोकित किया कि उपभोक्ता खनन गतिविधियों में संलग्न थे, लेकिन 884.85 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत पर खनन गतिविधियों के लिए लागू 40 प्रतिशत के स्थान पर गलत ढंग से औद्योगिक उद्देश्यों हेतु लागू आठ प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपित किया गया। इसके

परिणामस्वरूप तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹ 10.97 करोड़<sup>5</sup> के शुल्क की कम प्राप्ति हुई।

<sup>5</sup> ₹ 1,371.85 लाख – ₹ 274.37 लाख = ₹ 1,097.48 लाख।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल खपत	आरोपित विद्युत शुल्क 8 प्रतिशत की दर से	आरोपित विद्युत शुल्क 40 प्रतिशत की दर से	कम आरोपित विद्युत शुल्क
1	एम.ओ.आई. एल. बालाघाट	02/07 से 09/09	669.92 मेगायूनिट	208.48	1,042.40	833.92
2	एस.वी.आई. एल. कटनी	05/07 से 11/09	148.59 मेगायूनिट	45.60	228.00	182.40
3	मेसर्स ओजस्वी मारबल	09/07 से 11/09	46.70 मेगायूनिट	14.32	71.60	57.28
4	मेसर्स अरिहंत मारबल	05/07 से 11/09	10.98 मेगायूनिट	3.36	16.80	13.44
5	मेसर्स बालाजी मारबल	04/05 से 12/09	8.66 मेगायूनिट	2.61	13.05	10.44
	<b>योग</b>		<b>884.85</b> मेगायूनिट	<b>274.37</b>	<b>1,371.85</b>	<b>1,097.48</b>

हमने देखा कि अरिहंत मारबल्स पर आठ प्रतिशत की दर प्रभारित की गई थी जबकि उसी इलाके में स्थित में दो अन्य उपभोक्ताओं पर 40 प्रतिशत की दर प्रभारित की गई थी । आगे, ओजस्वी मारबल्स के प्रकरण में, यद्यपि कैप्टिव खपत के लिए 40 प्रतिशत की दर पर शुल्क आरोपित किया गया था, परंतु उच्च दाब संयोजन पर इसकी वसूली आठ प्रतिशत की दर पर की गई थी । एम.ओ.आई.एल. के प्रकरण में, हमने देखा कि यद्यपि म.प्र. विद्युत बोर्ड के साथ उच्च दाब आपूर्ति हेतु अनुबंध "बालाघाट जिले में भारवेली खानों पर स्थित उपभोक्ता के परिसर में बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए था," फिर भी विद्युत शुल्क औद्योगिक दरों पर प्रभारित किया गया था ।

लाइसेंसधारकों की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए किसी जाँच सूची के न होने के कारण, मुख्य विद्युत निरीक्षक इन प्रकरणों में शुल्क की कम वसूली को संसूचित करने की स्थिति में नहीं थे ।

जब हमने इंगित किया, तो अधीक्षण यंत्र (विद्युत सुरक्षा) ने सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया (फरवरी 2010) । आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित है (दिसंबर 2010) ।



अतः शासन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ स्थल सत्यापन प्रतिवेदनों का सह-संबंध स्थापित करने के लिए एक कार्यप्रणाली निर्धारित किए जाने पर विचार कर सकता है ।

**आंतरिक नियंत्रण**

**8.2.10 विद्युत निरीक्षण में कमी**

आठ सं.वि.नि/अ.यं./मु.वि.नि. कार्यालय<sup>6</sup>

भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत, प्रत्येक संस्थापना का, संयोजन भार पर आधारित निर्धारित दरों पर अग्रिम फीस के भुगतान पर किसी निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा आवधिक रूप से ऐसे अंतराल पर जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, निरीक्षण तथा परीक्षण किया जाएगा। तथापि, शासन ने प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य विद्युत निरीक्षक की ओर से शेष तथा किए गए निरीक्षणों की संख्या की सूची और कमी को, यदि कोई हो, कारणों सहित दर्शाने वाली कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की है ।

हमने अवलोकित किया कि निरीक्षण किए जाने हेतु अपेक्षित 6.01 लाख उच्च दाब विद्युत संस्थापनाओं में से, 2005-06 से 2008-09 की अवधि के दौरान केवल 3.47 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण किया गया तथा शेष 2.54 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया

जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	निरीक्षण हेतु अपेक्षित	किए गए निरीक्षण	निरीक्षण हेतु शेष	कमी का प्रतिशत (कालम 2 से 4 का)
1	2	3	4	5
2005-06	1,37,531	88,528	49,003	35.63
2006-07	1,47,137	80,116	67,021	45.55
2007-08	1,52,422	91,779	60,643	39.79
2008-09	1,63,452	86,427	77,025	47.12
<b>योग</b>	<b>6,00,542</b>	<b>3,46,850</b>	<b>2,53,692</b>	<b>42.24</b>

अनुरोध किए जाने (जुलाई 2010) के बावजूद भी, सम्पूर्ण राज्य में विगत पाँच वर्षों के दौरान शेष/अपेक्षित निरीक्षणों, योजना में सम्मिलित तथा वास्तविक रूप से किए गए निरीक्षणों

<sup>6</sup> मु.वि.नि. (भोपाल), अ.यं. जबलपुर, अ.यं. इन्दौर, सं.वि.नि. ग्वालियर, सं.वि.नि. सीहोर, सं.वि.नि. रतलाम, सं.वि.नि. उज्जैन, सं.वि.नि. खण्डवा ।

की संख्या के संबंध में मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। बार बार अनुरोध किए जाने (जुलाई 2010) के बावजूद भी, विभिन्न समयांतरालों पर निरीक्षण किए जाने हेतु विद्युत संस्थापनाओं के चयन के आधार के संबंध में भी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बताया (अगस्त 2010) कि निरीक्षकों ने मौसम की स्थितियों के अनुसार निरीक्षण किए थे। इस प्रकार, निरीक्षण हेतु विद्युत संस्थापनाओं का चयन करने के लिए कोई जोखिम आधारित वस्तुनिष्ठ मापदंड नहीं थे। हम यह भी सुनिश्चित नहीं कर सके कि क्या वे संस्थापनाएं जिनकी ओर से मुख्य विद्युत निरीक्षण को 'जी' प्रपत्र प्रस्तुत करने में चूक हुई थी, निरीक्षण अनुसूची में सम्मिलित की गई थीं।

अतः शासन नियमों के निर्धारित प्रावधानों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, संभागीय विद्युत निरीक्षक की ओर से मुख्य विद्युत निरीक्षक को तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक की ओर से शासन को, शेष निरीक्षणों तथा किए गए निरीक्षणों की सूची तथा कमी, यदि कोई हो, को कारणों सहित दर्शाते हुए एक मासिक विवरणी निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार कर सकता है। शासन को निरीक्षण के लिए संस्थापनाओं के चयन हेतु एक वैज्ञानिक आधार लागू करने के संबंध में भी विचार करना चाहिये।



अनुपालन में कमियाँ

8.2.11 शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य खपत के आवधिक निर्धारण हेतु कोई समय सीमा न होने के कारण राजस्व हानि

अधिनियम के अंतर्गत निर्माण, संधारण या प्रचालनात्मक क्रियाकलापों में खपत हेतु रेलवे को विक्रय अथवा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा। म.प्र. विद्युत शुल्क नियमों के नियम 10 में प्रावधान है कि विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक किसी उपभोक्ता को विक्रय या आपूर्ति की गई या उसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा को अभिलेखित करने के लिए प्रत्येक श्रेणी हेतु, जिसके लिए लागू शुल्क की दरें अलग-अलग हैं, पृथक रूप से एक मीटर संस्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 के संशोधन में प्रावधान है कि यदि विद्युत के वितरक या उत्पादक, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति के बिना किसी भी उद्देश्य की खपत किसी अन्य उद्देश्य की खपत हेतु जिसके लिए शुल्क की उच्चतर दर प्रभारणीय है, पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग की जाती है तो विक्रय या आपूर्ति की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर उच्चतम लागू दर प्रभारित की जाएगी। यदि शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य दोनों प्रकार की विद्युत ऊर्जा की खपत एक मीटर द्वारा अभिलेखित की जाती है तो विभिन्न श्रेणियों की शुल्क आरोपण योग्य ऊर्जा की खपत का निर्धारण विद्युत निरीक्षक द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा (ऐसे समय तक जब तक कि प्रत्येक श्रेणी के लिए मीटर संस्थापित नहीं किया जाता है।)

हमने अवलोकित किया कि नौ रेलवे स्टेशनों<sup>7</sup> पर रेलवे के 10 उच्च दाब संयोजनों के संबंध में, जहां पृथक-पृथक मीटर संस्थापित नहीं किए गए थे, यद्यपि तीन वितरण कंपनियों ने संयुक्त उद्देश्यों हेतु रेलवे को 941.00 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की थी, फिर भी इन वितरण कंपनियों द्वारा केवल 334.40

मेगा यूनिट (35.6 प्रतिशत) विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क वसूल किया गया तथा शेष यूनिटों को शुल्क अनारोपण योग्य खपत मानते हुए शेष खपत को विद्युत शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया था। शुल्क आरोपण योग्य यूनिटों पर लागू दरों से विगत पाँच वर्षों के लिए आरोपणीय शुल्क ₹ 4.58 करोड़ आंकलित होना पाया गया। शुल्क आरोपण योग्य खपत के लिए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक के पास गणना का कोई आधार नहीं था। दस संयोजनों में से आठ में, संभागीय विद्युत निरीक्षक/अधीक्षण यंत्री उस तिथि के बारे में भी अनभिज्ञ थे जिसको

<sup>7</sup> ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, खण्डवा, महु, नीमच, शामगढ़ तथा कटनी।



ऐसे शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य खपत का प्रथम निर्धारण अभिलेखित किया गया था। हमने आगे अवलोकित किया कि यद्यपि वितरण कंपनियों द्वारा संभागीय विद्युत निरीक्षकों को नियमित रूप से मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की गई थीं, फिर भी वे (संभागीय विद्युत निरीक्षक) एकल मीटर द्वारा अभिलेखित शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य खपत का पुनर्निर्धारण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 4.58 करोड़ के शुल्क तथा उपकर का अनारोपण हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया, तो मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बताया (अप्रैल 2010) कि शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य खपत को अभिलेखित करने के लिए पृथक-पृथक मीटर संस्थापित करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु वितरण कंपनी को लिखित में पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी अधीक्षण यंत्रियों (विद्युत सुरक्षा) तथा संभागीय विद्युत निरीक्षकों (विद्युत सुरक्षा) को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। लेकिन उत्तर में पृथक मीटरों को संस्थापित किए जाने तक अधिनियम/नियम के अनुसार शुल्क की वसूली के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

- हमने अवलोकित किया कि एक उच्च दाब संयोजन जो मूल रूप से बैटरी चालित इंजन को चार्ज करने के उद्देश्य से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर संस्थापित किया गया था, आवासीय उद्देश्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए उपयोग किया गया था। यद्यपि संयोजन शुल्क आरोपण योग्य था, फिर भी ऐसी छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप मई 2005 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य उपभोग की गई 83.58 मेगा यूनिट ऊर्जा पर लगभग ₹ 50.47 लाख के शुल्क का अनारोपण हुआ।

उत्तर में शासन ने बताया (अप्रैल 2010) कि ₹ 50.47 लाख की वसूली के लिए वितरण कंपनी को पत्र प्रेषित किया गया है। आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2010)।

- हमने क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, इन्दौर वृत्त तथा अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इन्दौर के अभिलेखों से अवलोकित किया कि यद्यपि वितरण कंपनी ने अप्रैल 2005 तथा दिसम्बर 2009 के मध्य औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक दोनों खपत के लिए आयशर मोटर, पीथमपुर, इन्दौर को 684.00 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की थी फिर भी केवल 2.28 मेगा यूनिट पर 15 प्रतिशत की गैर-औद्योगिक दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया गया जबकि शेष 681.72 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा को औद्योगिक खपत मानते हुए 8 प्रतिशत की दर प्रभारित की गई। तथापि औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक उद्देश्यों हेतु विद्युत खपत की पहचान करने के लिए कोई पृथक मीटर या सबमीटर संस्थापित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, विद्युत की संपूर्ण खपत पर उच्चतर दर (15 प्रतिशत) से लगभग ₹ 1.84 करोड़<sup>8</sup> का शुल्क आरोपणीय था।

<sup>8</sup>  $(684-2.28) \times 100000 \times 3.86 \times (15-8)$  प्रतिशत = ₹ 1,84,20,074 अर्थात् ₹ 1.84 करोड़।



**8.2.12 प्रतिभूति जमा राशि हेतु प्रावधानों के अभाव के कारण राजस्व की हानि**

अधिनियम के अंतर्गत, ऐसी इकाइयाँ जो 10 किलोवाट से अधिक क्षमता के जेनरेटर से अपने स्वयं की खपत हेतु विद्युत का उत्पादन करती हैं, राज्य शासन को विद्युत शुल्क का भुगतान करेंगी। 30 दिनों के बाद विद्युत शुल्क का भुगतान करने में विलंब की स्थिति में, निर्धारित दर से ब्याज आरोपणीय है।

हमने अवलोकित किया कि एक औद्योगिक इकाई ने अप्रैल 2004 तथा जनवरी 2006 के मध्य स्वयं के द्वारा उत्पादित 550.11 मेगा यूनिट ऊर्जा की खपत की, लेकिन ऐसी खपत पर किसी विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया। संभागीय विद्युत निरीक्षक माँग सृजित करने तथा विद्युत शुल्क को वसूल करने

में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2010 तक ब्याज सहित ₹ 3.15 करोड़ के शुल्क का अनारोपण हुआ। यदि प्रतिभूति जमा राशि हेतु प्रावधान किया गया होता तो इससे बचा जा सकता था।

जब इसे हमारे द्वारा इंगित किया गया तो मुख्य विद्युत निरीक्षक ने जनवरी 2010 में सितम्बर 2009 तक ब्याज सहित ₹ 3.05 करोड़ की माँग सृजित की (मई 2010)।

**8.2.13 निष्कर्ष**

हमने अवलोकित किया कि वितरण कंपनियों तथा उत्पादकों द्वारा संभागीय विद्युत निरीक्षकों तथा मुख्य विद्युत निरीक्षकों के कार्यालयों में प्रस्तुत की गई विवरणियों का अकुशलतापूर्वक परिवीक्षण किया गया जिसके परिणामस्वरूप शुल्क तथा उपकर के अनारोपण तथा कम आरोपण को संसूचित नहीं किया जा सका। वितरण कंपनियाँ उनके द्वारा संग्रहीत शुल्क अपने पास रखे रहीं जिसे ऊर्जा विभाग द्वारा अनियमित रूप से उनके कार्यशील पूँजी के दावे के विरुद्ध समायोजित किया गया। विभागीय प्राप्तियों का यह समायोजन संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा बजट अनुमानों के अनुरूप नहीं था। हमने पाया कि उन निकायों को, जिन्होंने शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य खपत का निर्धारण करने के लिए पृथक-पृथक मीटर संस्थापित नहीं किए थे, अनियमित छूट प्रदान किए जाने के कारण सारभूत राजस्व की हानि हुई।

### 8.2.14 सिफारिशें

शासन निम्नलिखित सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध में विचार कर सकता है :

- विद्युत की विभागीय प्राप्तियों को, जैसे ही वे संग्रहीत की जाती हैं, अधिनियम तथा म.प्र. कोषालय संहिता में निर्दिष्ट उपयुक्त राजस्व शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाना चाहिये ;
- शुल्क आरोपण योग्य तथा शुल्क अनारोपण योग्य खपत के आवधिक निर्धारण हेतु समय सीमा निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना ;
- हम सिफारिश करते हैं कि देय, भुगतान किए गए तथा शेष शुल्क तथा उपकर से संबंधित प्रपत्र जी की प्राप्ति की स्थिति का परिवीक्षण करने के लिए संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालयों द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक को तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक से शासन को भेजे जाने हेतु एक मासिक विवरणी निर्धारित की जानी चाहिये ; तथा
- हम सिफारिश करते हैं कि प्रतिभूति जमा राशि हेतु प्रावधान तथा विभागीय अधिकारियों को राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ प्रदान करने से चूककर्ता इकाइयों से विद्युत शुल्क बकाया राशि की समय पर तथा प्रभावी ढंग से वसूली की जा सकती है ।



**अध्याय-9**  
**कर-भिन्न राजस्व**

**क. वन प्राप्तियाँ**

**9.1 कर प्रशासन**

वन विभाग शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के सम्पूर्ण नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) विभाग के सम्पूर्ण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। राज्य में कुल 93 वनमंडल कार्यालयों में से 76 राजस्व उगाही से संबंधित कार्यकलाप करते हैं।



**9.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

विगत पांच वर्षों 2005-06 से 2009-10 के दौरान वास्तविक वन प्राप्तियाँ उसी अवधि के दौरान कुल कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ नीचे दी गई तालिका एवं ग्राफ में दर्शायी गयी हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता(+) / कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य का कुल कर भिन्न राजस्व	कुल कर-भिन्न राजस्व में वास्तविक वन प्राप्तियों का प्रतिशत
2005-06	422.00	490.40	(+) 68.40	(+) 16.21	2,208.20	22.21
2006-07	450.00	536.50	(+) 86.50	(+) 19.22	2,658.46	20.18
2007-08	543.00	608.89	(+) 65.89	(+) 12.13	2,738.18	22.24
2008-09	600.00	685.60	(+) 85.60	(+) 14.27	3,342.86	20.51
2009-10	850.00	802.00	(-) 48.00	(-) 5.65	6,382.04	12.57

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य की कुल कर-भिन्न प्राप्तियों में वन प्राप्तियों के प्रतिशत योगदान में कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।



### 9.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

विगत पांच वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 946.15 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अंतर्निहित राजस्व वसूली न होने/कम वसूली होने संबंधी 657 प्रकरणों को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 35 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 81.70 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 27.60 करोड़ वसूल किये। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्ति लिये गये		स्वीकार किये गये		वसूली की गई	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2004-05	41	185	19165	05	0.44	—	—
2005-06	69	127	199.74	08	1.09	01	0.0009
2006-07	69	110	37.08	01	36.50	01	27.59
2007-08	79	117	91.59	07	0.95	01	0.0043
2008-09	103	118	426.09	14	42.72	—	—
<b>योग</b>	<b>361</b>	<b>657</b>	<b>946.15</b>	<b>35</b>	<b>81.70</b>	<b>03</b>	<b>27.60</b>

स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत वर्ष 2006-07 को छोड़ कर अत्यधिक कम रहा। हमारे द्वारा यह प्रकरण विभागाध्यक्ष के साथ-साथ शासन के वित्त सचिव के ध्यान में भी लाया जा चुका है।



#### 9.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वन विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए वित्त विभाग द्वारा कुल नौ पद (संचालक वित्त/बजट एवं वित्तीय सलाहकार-01, उप संचालक-01, सहायक संचालक-01, सहायक आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी-06 जिसमें से एक पद रिक्त है) स्वीकृत किए गए हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 1992 के विभागीय आदेशों के अनुसार, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा नियमावली को प्रभावी बनाया गया है। आन्तरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार किये गये रोस्टर के अनुसार किया जाता है।

वर्ष 2009-10 के लिए तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार, 70 इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरुद्ध केवल 27 इकाईयों के कार्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की प्रमुख टिप्पणियों/प्रेक्षणों तथा विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

#### ख. खनन प्राप्तियाँ

#### 9.5 कर प्रशासन

खनिज विभाग सचिव, खनन, मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण प्रभार में कार्यरत है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (संचालक) विभागाध्यक्ष हैं जो मुख्यालय स्तर पर उप संचालकों तथा जिला स्तर पर जिला खनिज अधिकारियों (डी.एम.ओ) के सहयोग से कार्य करते हैं। जिला खनिज अधिकारी सहायक जिला खनिज अधिकारियों तथा खनिज निरीक्षकों के सहयोग से कार्य करते हैं। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनिज निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं।



### 9.6 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक विगत पाँच वर्षों की वास्तविक खनन प्राप्तियाँ इसी अवधि की कुल कर-भिन्न प्राप्तियों सहित निम्नलिखित तालिका एवं ग्राफ में प्रदर्शित की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता(+)/कमी(-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर-भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2005-06	800.00	815.31	(+) 15.31	(+) 1.91	2,208.20	36.92
2006-07	1,100.00	923.91	(-)176.09	(-)16.01	2,658.46	34.75
2007-08	1,080.00	1,125.39	(+)45.39	(+) 4.20	2,738.18	41.10
2008-09	1,235.00	1,361.08	(+)126.08	(+)10.21	3,342.86	40.72
2009-10	1,566.00	1,590.47	(+)24.47	(+) 1.56	6,382.04	24.92

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व में अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों के प्रतिशत योगदान में कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई है ।



■ कुल कर-भिन्न प्राप्तियाँ (2009-10)  
■ खनन प्राप्तियाँ (2009-10)



### 9.7 लेखा परीक्षा का प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान, लेखा परीक्षा ने 6,906 प्रकरणों में ₹ 1,496.29 करोड़ राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 4,530 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 662.50 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया तथा ₹ 140.53 करोड़ की वसूली की। विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा-परीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2004-05	33	1,286	250.71	340	0.89	—	—
2005-06	21	2,455	359.13	619	31.13	21	2.90
2006-07	31	1,258	38.84	1,746	293.16	96	0.49
2007-08	34	1,474	513.88	1,457	97.25	53	129.74
2008-09	34	433	333.73	368	240.07	27	7.40
<b>योग</b>	<b>153</b>	<b>6,906</b>	<b>1,496.29</b>	<b>4,530</b>	<b>662.50</b>	<b>197</b>	<b>140.53</b>

वर्ष 2007-08 को छोड़कर स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत काफी कम रहा। हमने इस स्थिति को विभाग प्रमुख तथा शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है।

### 9.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

विभाग ने प्रतिवेदित किया कि स्टाफ की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है।

### 9.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

खनन प्राप्तियों एवं वन प्राप्तियों से सम्बन्धित 132 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,507 प्रकरणों में ₹ 1,869.11 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की वसूली न होने / कम वसूली

एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
<b>क. वन प्राप्तियाँ</b>			
1.	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किये जाने के कारण राजस्व प्राप्ति न होना	19	57.84
2.	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण कम राजस्व प्राप्ति	05	1.54
3.	वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व प्राप्ति न होना	17	1.20
4.	वनोपज का लेखांकन न किये जाने के कारण कम राजस्व प्राप्ति	06	4.25
5.	अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध इमारती लकड़ी/बांसों के कम उत्पादन के कारण कम राजस्व प्राप्ति	08	5.96
6.	अन्य अनियमिततायें	68	24.12
<b>योग</b>		<b>123</b>	<b>94.91</b>
<b>ख. खनन प्राप्तियाँ</b>			
1.	अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	378	74.43
2.	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की वसूली न होना	126	428.00
3.	खदानों से संविदा राशि की कम वसूली	323	4.34
4.	विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	314	11.11
5.	अन्य अनियमिततायें	243	1,256.32
<b>योग</b>		<b>1,384</b>	<b>1,774.20</b>
<b>महायोग (क+ख)</b>		<b>1,507</b>	<b>1,869.11</b>



वर्ष के दौरान, विभाग ने 680 प्रकरणों में ₹ 1,433.50 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। दो प्रकरणों में ₹ 13 लाख की राशि वसूल की गई थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 447.89 करोड़ की राशि से सन्निहित कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

**9.10 खनन पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना/कम वसूली होना**

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पाँच प्रतिशत वार्षिक एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4000/- प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। कर का आरोपण एवं मांग जिला खनिज अधिकारी द्वारा की जाती है।

दिसम्बर 2007 तथा दिसम्बर 2009 के मध्य 15 जिला खनिज कार्यालयों<sup>1</sup> में हमने पाया कि अक्टूबर 2005 से मार्च 2009 की अवधि हेतु 132 खनन पट्टों के संबंध में सड़क विकास कर का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 295.35 करोड़ के कर की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, सीधी, बैतूल तथा खरगौन को छोड़कर सभी जिला

खनिज अधिकारियों ने बताया (फरवरी तथा दिसम्बर 2009 के मध्य) कि संवीक्षा के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीधी, बैतूल तथा खरगौन के खनिज अधिकारियों ने बताया (जून से दिसम्बर 2009) कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलपूर्वक वसूली को प्रतिबंधित किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न्यायालय ने पट्टाधारकों के निर्धारण तथा मांग नोटिस जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसमें केवल यह उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत बलपूर्वक कर की वसूली नहीं की जा सकती।

<sup>1</sup> बैतूल, बालाघाट, दमोह, धार, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, खरगौन, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी तथा उमरिया।

हमने दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रकरण संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010) ।

### 9.11 संग्रहीत कर का शासकीय खाते में जमा न होना

सभी शासकीय प्राप्तियों को नियमित रूप से वसूल कर त्वरित ढंग से समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए ।

हमने मार्च तथा अगस्त 2009 के मध्य तीन जिला खनिज कार्यालयों<sup>2</sup> के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि कोयले के दो पट्टाधारकों उमरिया तथा शहडोल जिले

में मैसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.), एवं सिंगरौली जिले में मैसर्स नॉर्डर्न कोल फील्डस लिमिटेड, ने सितम्बर 2005 से मार्च 2009 के मध्य अपने ग्राहकों से ₹ 133.18 करोड़ ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर के रूप में वसूल किए । लेकिन उन्होंने वह राशि अपने पास रोक ली और उसे शासकीय खाते में जमा नहीं कराया । परिणामस्वरूप शासन ₹ 133.18 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया ।

हमारे द्वारा नवम्बर एवं दिसम्बर 2009 में प्रकरणों को संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किए जाने के बाद खनिज संसाधन विभाग ने मार्च 2010 में सभी कलेक्टरों को उक्त राशि उसी वित्तीय वर्ष में शासकीय खाते में जमा कराने हेतु निर्देशित किया । आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010) ।

<sup>2</sup> शहडोल, सीधी एवं उमरिया ।



**9.12 राज्यांश की कम वसूली**

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से किसी पट्टेदार द्वारा हटाये गये/उपयोग किये गए खनिज के संबंध में राज्यांश देय होता है। दिसम्बर 2007 की अधिसूचना के द्वारा कोयले के खान मुहानी मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था।

फरवरी तथा अगस्त 2009 के मध्य सात जिला खनिज कार्यालयों<sup>3</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 16 पट्टेदारों ने जनवरी 2007 से मार्च 2009 की अवधि हेतु देय राशि ₹ 139.03 करोड़ के विरुद्ध ₹ 131.29 करोड़ के

राज्यांश का भुगतान किया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खनिज का नाम	हटायी/उपयोग की गई मात्रा	देय राज्यांश	जमा राज्यांश	राज्यांश की कम वसूली
1.	कोयला	53.56 लाख टन	12,086.42	11,589.52	496.90
2.	व्हाइट क्ले	4.35 लाख टन	99.95	19.59	80.36
3.	चूना पत्थर	34.37 लाख टन	1,565.87	1,388.26	177.61
4.	डोलोमाइट	2.52 लाख टन	113.50	102.68	10.82
5.	मैंगनीज	0.59 लाख टन	30.97	26.86	4.11
6.	लैटराइट	0.26 लाख टन	6.16	2.38	3.78
	<b>योग</b>		<b>13,902.87</b>	<b>13,129.29</b>	<b>773.58</b>

संबंधित जिला खनिज अधिकारी कम भुगतान/ गलत दरों से भुगतान पर ध्यान देने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.74 करोड़ के राज्यांश की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, अनूपपुर तथा सीधी ने बताया (अगस्त और अक्टूबर 2009) कि मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला खनिज अधिकारी, शहडोल तथा उमरिया ने बताया (जून और अगस्त 2009) कि प्रकरण पर एस.ई.सी.एल. के साथ चर्चा की जायेगी। जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया (मई 2009) कि प्रकरण परीक्षण में है तथा परिणाम सूचित किया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी, सतना ने बताया कि प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात उत्तर दिया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया (मार्च 2009) कि परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की

<sup>3</sup> अनूपपुर, छिन्दवाड़ा, कटनी, सतना, शहडोल, सीधी तथा उमरिया।

जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010)। हमने प्रकरणों को संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2009); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसंबर 2010)।

### 9.13 गौण खनिजों पर राज्यांश की कम वसूली

म.प्र. गौण खनिज नियमों के अनुसार, पट्टेदार को अनिवार्य किराया या राज्यांश, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। खनिज संसाधन विभाग के दिनांक 4 जून 2006 के आदेशों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम (एम.पी.एस.एम.सी.) को खदानें राज्यांश के अग्रिम भुगतान के आधार पर आरक्षित/स्वीकृत की गयीं थीं, जिसकी गणना उत्खनन तथा परिवहन के लिये पारपत्रों में दर्शायी गयी खनिज की मात्रा के आधार पर की जाती है।

9.13.1 अक्टूबर 2009 में जिला खनिज कार्यालय, ग्वालियर तथा भिण्ड अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि एम.पी.एस.एम.सी. को रेत के उत्खनन के लिये 54 खदानें आरक्षित/स्वीकृत की गयीं थीं। इसमें यह पाया गया कि मात्रा, जिसके लिये पार-पत्र जारी किये गये थे, के अनुसार एम.पी.एस.एम.सी. को मार्च 2009 तक

₹ 5.88 करोड़ के राज्यांश का अग्रिम भुगतान करना था, जबकि निगम ने केवल ₹ 3.35 करोड़ का भुगतान किया था। विभाग राज्यांश की सही राशि की गणना करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुयी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, दोनों जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि (अक्टूबर 2009) परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

9.13.2 फरवरी से सितम्बर 2009 के मध्य पांच जिला खनिज कार्यालयों<sup>4</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि 12 पट्टाधारकों ने जुलाई 2004 से मार्च 2009 के मध्य 4,25,406.5 घनमीटर गिट्टी, 8,242.6 घन मीटर मार्बल तथा 4,641.465 घन मीटर ग्रेनाइट पट्टाक्षेत्र से हटाया जिस पर ₹ 2.14 करोड़ का राज्यांश देय था। परंतु यह पाया गया कि पट्टाधारकों ने केवल ₹ 99.70 लाख के राज्यांश का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के राज्यांश की कम वसूली हुयी।

<sup>4</sup> छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी तथा शहडोल।



हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, सिवनी ने बताया (अगस्त 2010) कि एक प्रकरण में ₹ 71,662 की वसूली की जा चुकी थी जबकि एक अन्य प्रकरण में वसूली की कार्रवाई जारी थी। शेष जिला खनिज अधिकारियों ने फरवरी तथा सितम्बर 2009 के मध्य बताया कि परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

हमने नवम्बर 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रकरणों को संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

#### 9.14 संविदा राशि की कम वसूली

व्यापारिक खदान के ठेकेदार को संविदा राशि का भुगतान नियत तिथियों को करना होता है। यदि यह राशि तीन माह से अधिक समय तक चुकाई नहीं जाती है, तो ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा खदान पुनर्नीलाम की जायेगी। पुनर्नीलामी की प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है, तो यह राशि ठेकेदार से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

फरवरी तथा दिसम्बर 2009 के मध्य 25 जिला खनिज कार्यालयों<sup>5</sup> के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि 290 ठेकेदारों के प्रकरणों में अवधि अप्रैल 2002 से मार्च 2009 के लिये ₹ 9.95 करोड़ की संविदा राशि भुगतान हेतु देय थी जबकि ठेकेदारों ने मात्र ₹ 6.33 करोड़ की राशि का भुगतान किया। इस

प्रकार ₹ 3.62 करोड़ की संविदा राशि 2 से 33 माह तक भुगतान हेतु लंबित रही, फिर भी विभाग ने ठेकेदारों के विरुद्ध संविदा की शर्तों के अधीन संविदा निरस्त करने और खदानों को पुनर्नीलाम करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की। इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि नियत तिथियों पर संविदा राशि के भुगतान न करने के ठेकेदारों के दोष के बावजूद भी संबंधित जिला खनिज अधिकारियों ने उन्हें उत्खनन के लिये अनुमति जारी रखी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़ की संविदा राशि की कम वसूली हुयी।

<sup>5</sup> बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, कटनी, खरगौन, मंडला, नरसिंहपुर, राजगढ़, रीवा, सतना, शहडोल, शाजापुर, सीधी, टीकमगढ़ तथा उमरिया।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, सतना और बैतूल को छोड़कर, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मई 2009 से दिसम्बर 2009) कि जाँच के बाद वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी सतना ने बताया (फरवरी 2009) कि जाँच के पश्चात उत्तर दिया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (नवम्बर 2009) कि ठेके को निरस्त करने की कार्रवाई की गयी है तथा बकाया राशि की वसूली के लिये कार्रवाई जारी है। आगामी कार्रवाई सूचित नहीं की गयी है (दिसम्बर 2010)।

हमने नवम्बर 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रकरण संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किए; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

### 9.15 अनिवार्य किराये की कम वसूली

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9क (1) के अनुसार, खनि पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों से नियत तिथि को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होता है। साथ ही, म.प्र. खान एवं खनिज नियमों के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक, प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रतिवर्ष अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों से नियत तिथि को अग्रिम में पूरे वर्ष के लिये अनिवार्य किराये का भुगतान करेगा।

9.15.1 फरवरी तथा अगस्त 2009 के मध्य चार जिला खनिज कार्यालयों<sup>6</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि मुख्य खनिज के 35 खनि पट्टाधारकों ने 7,296.406 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिये देय अनिवार्य किराया ₹ 33.17 लाख के

विरुद्ध ₹ 2.55 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार ₹ 30.62 लाख के अनिवार्य किराये का कम भुगतान हुआ जो कि संबंधित जिला खनिज अधिकारियों द्वारा मांगा तथा वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.62 लाख के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुयी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने के पश्चात, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मई तथा अगस्त 2009 के मध्य) कि अनिवार्य किराये की वसूली के लिये नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में सूचित नहीं किया गया है (दिसम्बर 2010)।

<sup>6</sup> धार, नरसिंहपुर, शहडोल तथा उमरिया।



**9.15.2** मई तथा नवम्बर 2009 के मध्य 21 जिला खनिज कार्यालयों<sup>7</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि गौण खनिज के 189 उत्खनि पट्टेदारों ने अवधि जनवरी 2004 से दिसम्बर 2009 के लिये देय अनिवार्य किराये ₹ 1.82 करोड़ के विरुद्ध ₹ 34.93 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, सागर, भिण्ड तथा खरगौन को छोड़कर, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मई तथा दिसम्बर 2009 के मध्य) कि वसूली के लिये नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सागर, भिण्ड तथा खरगौन के जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2009 से मार्च 2010 के मध्य) कि पट्टेदारों द्वारा ₹ 3.13 लाख की राशि जमा करायी जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसंबर 2010)।

हमने अक्टूबर तथा नवम्बर 2009 के मध्य प्रकरण संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसंबर 2010)।

#### 9.16 व्यापारिक खदानों की पुनर्नीलामी में विफलता के कारण राजस्व की हानि

म.प्र. खान एवं खनिज नियमों के अंतर्गत, नियमों की अनुसूची II में वर्णित रेत, मुरम तथा पत्थर की खदानें अधिकतम बोली के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिये केवल नीलामी द्वारा आवंटित की जाएगी।

जून तथा सितम्बर 2009 के मध्य जिला खनिज कार्यालय मंडला तथा रीवा के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि रेत/मुरम की 14 व्यापारिक खदानें तथा पत्थर की 10 व्यापारिक खदानें अप्रैल 2006 से मार्च 2009 के मध्य ₹ 2.39 करोड़ में स्वीकृत की गयीं। यह पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा 14 व्यापारिक खदानें अभ्यर्पित कर दी गयीं थीं तथा देय राशि ₹ 2.34 करोड़ में से राशि ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। 10 व्यापारिक

खदानों के प्रकरण में, विलेखों का निष्पादन न हो पाने के कारण अनुबंधों को निरस्त कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.82 लाख की संविदा राशि की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन सभी 24 व्यापारिक खदानों की पुनर्नीलामी करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। राजकोष के हितों की रक्षा के उपाय के रूप में तथा खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन से बचने के लिये, व्यापारिक खदानों की पुनर्नीलामी राजस्व के हित में यथाशीघ्र की जानी चाहिये, उनके अभ्यर्पण का चाहे जो भी कारण रहा हो परंतु विभाग ऐसा करने में विफल रहा। इससे राजकोष ₹ 1.65 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

<sup>7</sup> बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, कटनी, खरगौन, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी, शाजापुर, सीधी, तथा उमरिया।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, मंडला ने बताया (जून 2009) कि आगामी कार्रवाई हेतु प्रकरणों को शासन को अग्रेषित किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.प्र. खान एवं खनिज नियमों के नियम 7(4) के अनुसार, व्यापारिक खदानों को स्वीकृत तथा नियंत्रण करने की शक्ति जिले के कलेक्टर/अपर कलेक्टर में निहित है। जिला खनिज अधिकारी, रीवा ने बताया (सितम्बर 2009) कि जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2010)।

हमने प्रकरण संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किए, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसंबर 2010)।

### 9.17 खनन योजना के अनुसार उत्पादन न करने के कारण राजस्व हानि

खनिज रियायत नियम, 1960, के नियम 22-क के अनुसार, उचित रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियायें की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, जहां पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की निरंतर अवधि तक खनन संक्रियायें प्रारंभ नहीं की जाती हैं या ऐसी संक्रियाओं के प्रारंभ होने के पश्चात् निरंतर एक वर्ष की अवधि तक बंद रहती हैं, राज्य शासन आदेश द्वारा, खनन पट्टे को व्यपगत घोषित कर इस आशय की जानकारी पट्टाधारक को संप्रेषित करेगा।

मई से जुलाई 2009 के मध्य जिला खनिज कार्यालय दमोह तथा नरसिंहपुर के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि डोलोमाइट/चूना पत्थर के 110.216 हैक्टेयर क्षेत्रफल के दो पट्टे 20 से 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2005 तथा 2009 के मध्य की अवधि के दौरान खनन योजना के अनुसार 3.12 लाख टन खनिज का उत्पादन तथा ₹ 1.40 करोड़ के राज्यांश का भुगतान प्रत्याशित था लेकिन इस अवधि में पट्टाधारकों द्वारा कोई

उत्पादन नहीं किया गया। विभाग ने खनन पट्टों को व्यपगत घोषित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की। इससे शासन ₹ 1.39 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया।



हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात्, जिला खनिज अधिकारी, दमोह ने पट्टे को व्यपगत घोषित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया (जुलाई 2009)। जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर ने बताया (मई 2009) कि पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् प्रकरण शासन को अग्रेषित किया जाएगा। उत्तर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करने के लिये जिला खनिज अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाते हैं। तथापि, परिवीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये जिला खनिज अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदनों/विवरणियों का प्रस्तुतीकरण निर्धारित किए जाने पर शासन विचार कर सकता है। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसंबर 2010)।

हमने प्रकरण संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2010)।

### 9.18 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने में अनियमितताओं के कारण राजस्व की हानि

म.प्र. खान एवं खनिज नियमों के नियम 68 के अनुसार, कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के निर्माण कार्य हेतु वांछित किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए अनुसूची III में उल्लिखित दरों से गणना किए गए राज्यांश का अग्रिम भुगतान करने पर अनुमति प्रदान करेगा।

मार्च से नवम्बर 2009 के मध्य ग्यारह जिला खनिज कार्यालयों<sup>8</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि दिसम्बर 2006 से फरवरी 2009 के मध्य सड़क तथा भवन निर्माण के लिये 21 ठेकेदारों को विभिन्न खनिजों<sup>9</sup> के संबंध में 28 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे जिस पर ₹ 2.30 करोड़ के राज्यांश का अग्रिम भुगतान देय था। लेकिन यह पाया गया कि ठेकेदारों ने मात्र ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ के राजस्व

की कम वसूली हुई।

<sup>8</sup> बालाघाट, बुरहानपुर, छतरपुर, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, खरगोन, मंडला, रीवा, सागर तथा उमरिया।

<sup>9</sup> गिट्टी-6.51 लाख घन मीटर, मुरम-80,700 घ.मी., रेत तथा जी.एस.बी. 59,844 घ.मी. चयनित मिट्टी-34,783 घ.मी., बोल्टर-32,00 घ.मी. तथा चूना पत्थर-16,393.44 टन।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, सागर तथा उमरिया को छोड़कर, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मार्च तथा नवम्बर 2009 के मध्य) कि वसूली की कार्रवाई की जायेगी। जिला खनिज अधिकारी, सागर ने बताया (नवम्बर 2009) कि ₹ 28.31 लाख की राशि अगस्त 2009 में वसूल की जा चुकी है। जिला खनिज अधिकारी, उमरिया ने बताया कि जमा राशि के विरुद्ध ठेकेदारों को पारपत्र जारी किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 8.40 लाख के राज्यांश की पूर्ण राशि अग्रिम में प्राप्त कर लेने के बाद ही अनुमति जारी की जानी चाहिये थी जबकि ठेकेदार ने चार किशतों में मात्र ₹ 1.35 लाख का भुगतान किया था।

हमने नवम्बर 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य प्रकरणों को संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2010)।

### 9.19 पट्टाधारकों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने पर शास्ति का अनारोपण

म.प्र. खान एवं खनिज नियमों के नियम 30(20)(क)(ख)(ग) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारक निर्धारित प्रपत्रों में नियत तिथियों तक जिला खनिज अधिकारी को मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा। विफलता की स्थिति में पट्टा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी पट्टाधारक पर शास्ति का आरोपण कर सकता है जो कि वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दुगने से अधिक नहीं होगी।

मार्च तथा नवम्बर 2009 के मध्य नौ जिला खनिज कार्यालयों<sup>10</sup> के अभिलेखों की समीक्षा में हमने पाया कि 57 पट्टाधारकों ने मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थीं जो कि अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2009 के मध्य प्रस्तुतीकरण हेतु अपेक्षित थीं। पट्टाधारकों के कार्यकलापों का परिवीक्षण करने के लिये विवरणियों का प्रस्तुतीकरण एक आवश्यक

कार्यप्रणाली है। इन आधारभूत अभिलेखों के अभाव में जिला खनिज अधिकारी राज्यांश की सही राशि का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। विवरणियों के प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दुगने की दर से गणना की गई अधिकतम शास्ति के रूप में राशि ₹ 43.20 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुयी।

<sup>10</sup> बुरहानपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, सीधी तथा उमरिया।



हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात सिवनी तथा सागर को छोड़कर, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि पट्टाधारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी, सिवनी तथा सागर ने नवम्बर 2009 तथा जनवरी 2010 के मध्य बताया कि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की जानी थी। लेकिन उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अभी तक प्रकरण स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी।

हमने प्रकरणों को नवम्बर 2009 से फरवरी 2010 के मध्य संचालक तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2010)।

**9.20 अधिनियम में कमी के कारण राजस्व की हानि**

जहां कोई खनन पट्टा दस वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित हो, तो अनुमानित राज्यांश के तीन गुने के 7.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई पंजीयन फीस आरोपणीय होती है। विभागीय अनुदेशों के अनुसार, पट्टे के आवेदन या खनन योजना में वर्णित खनिजों की प्रत्याशित मात्रा पर देय अनिवार्य किराया या राज्यांश पर, जो भी अधिक हो, मुद्रांक शुल्क की गणना के लिये विचार किया जाना चाहिये। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि जब पट्टे की निरंतरता के दौरान खनन योजना, जिसके अनुसार खनिज की प्रत्याशित मात्रा में वृद्धि होती है, में परिवर्तन हो तब परिवर्तित पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिये और उसका पंजीयन करवाया जाना चाहिये। परंतु यह पाया गया कि खनन योजना में परिवर्तन के उपरांत पट्टे के परिवर्तित अनुबंध निष्पादन के संबंध में खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।


सितम्बर 2009 में जिला खनिज कार्यालय, रीवा के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि फरवरी 2006 में 20 वर्ष के लिये एक पट्टा अनुबंध निष्पादित किया गया था जिस पर खनन योजना में वर्णित 3,171.80 टन प्रतिवर्ष की प्रत्याशित मात्रा के राज्यांश पर ₹ 93,000 के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का भुगतान किया गया। बाद

में, दिसम्बर 2006 में योजना में परिवर्तन किया गया और परिवर्तित खनन योजना के अनुसार, खनिज की पुनरीक्षित प्रत्याशित मात्रा 52,530 टन थी। पूर्व मात्रा में कई गुना वृद्धि होने के बावजूद भी, परिवर्तित खनन योजना के अनुसार परिवर्तित अनुबंध के निष्पादन के लिये विभाग ने पट्टाधारक को नहीं कहा। परिवर्तित अनुबंध पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस ₹ 23.46 लाख आंकलित की गई। इस प्रकार शासन ₹ 22.53 लाख के राजस्व से वंचित हो गया। खनन योजना में परिवर्तन के प्रकरण में परिवर्तित अनुबंध के निष्पादन का प्रावधान करने के लिए उपबंध खनन पट्टे की शर्तों में एक उपबंध शामिल करने पर शासन विचार कर सकता है।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात्, जिला खनिज अधिकारी, रीवा ने बताया (सितम्बर 2009) कि जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2010)।



हमने प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2009); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2010)।



(मौसुमी राय भट्टाचार्य)

महालेखाकार

(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश

भोपाल,

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,

दिनांक

## परिशिष्ट

### अनुलग्नक-क

फुटनोट क्रमांक-2 (कंडिका 5.2.3)

अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, अटेर (भिण्ड), बड़नगर (उज्जैन), बैरसिया (भोपाल), बालाघाट, बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), बीना (सागर), ब्यावरा (राजगढ़), बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, धरमपुरी (धार), डिण्डोरी, गाडरवारा (नरसिंहपुर), गैरतगंज (रायसेन), गोहद (भिण्ड), गोपदनिवास (सीधी), गुना, ग्वालियर, ग्यारसपुर (विदिशा), हरदा, होशंगाबाद, हुजूर (भोपाल), हुजूर (रीवा), इंदौर, ईसागढ़ (अशोकनगर), इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, जबेरा (दमोह), जौरा (मुरैना), जावद (नीमच), जावरा (रतलाम), झाबुआ, जोबट (अलीराजपुर), कैलारस (मुरैना), कालापीपल (शाजापुर), कसरावद (खरगोन), खरगौन, खातेगांव (देवास), लखनादौन (सिवनी), लटेरी (विदिशा), मैहर (सतना), मंदसौर, महू (इंदौर), मोमन बड़ोदिया (शाजापुर), मुड़वारा (कटनी), मुंगावली (अशोकनगर), नागदा (उज्जैन), नरसिंहपुर, नौगांव (छतरपुर), नीमच, नेपालनगर (बुरहानपुर), पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा), पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सांवेर (इंदौर), सरदारपुर (धार), सेवदा (दतिया), सिवनी, सिवनीमालवा (होशंगाबाद), शाजापुर, श्योपुर, शुजालपुर (शाजापुर), सिंगरौली, सिरोंज (विदिशा), सोहागपुर (शहडोल), तेंदूखेड़ा (दमोह), टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा एवं विजयपुर (श्योपुर) ।

### अनुलग्नक-ख

फुटनोट क्रमांक-13 (कंडिका 5.2.8.2)

अनूपपुर, बड़नगर (उज्जैन), बैरसिया (भोपाल), बालाघाट, बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), बीना (सागर), ब्यावरा (राजगढ़), छतरपुर, डिण्डोरी, गाडरवारा (नरसिंहपुर), गैरतगंज (रायसेन), गोहद (भिण्ड), गोपदनिवास (सीधी), गुना, होशंगाबाद, हुजूर (भोपाल), हुजूर (रीवा), इंदौर, इटारसी (होशंगाबाद), जबेरा (दमोह), जौरा (मुरैना), जावद (नीमच), झाबुआ, जोबट (अलीराजपुर), कैलारस (मुरैना), कालापीपल (शाजापुर), कसरावद (खरगौन), खरगौन, मंदसौर, मोमन बड़ोदिया (शाजापुर), मुड़वारा (कटनी), नागदा (उज्जैन), नौगांव (छतरपुर), नेपालनगर (बुरहानपुर), पांडुर्ना (छिंदवाड़ा), पन्ना, रायसेन, सांवेर (इंदौर), सिवनी, सिवनीमालवा (होशंगाबाद), शाजापुर, शुजालपुर (शाजापुर), सिंगरौली, सोहागपुर (शहडोल), तेन्दुखेड़ा (दमोह), टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा ।



**अनुलग्नक-ग**

फुटनोट क्रमांक-15 (कंडिका 5.2.12)

बड़नगर (उज्जैन), बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), ब्यावरा (राजगढ़), छतरपुर, दमोह, देवास, धार, गाड़रवारा (नरसिंहपुर), गुना, हरदा, होशंगाबाद, इटारसी (होशंगाबाद), जबेरा (दमोह), जावरा (रतलाम), जोबट (अलीराजपुर), कसरावद (खरगोन), मैहर (सतना), मंदसौर, महु (इंदौर), नीमच, नेपालनगर (बुरहानपुर), पांडुर्ना (छिंदवाड़ा), पन्ना, रायसेन, रतलाम, शाजापुर, शुजालपुर (शाजापुर), सोहागपुर (शहडोल), एवं विदिशा ।

**अनुलग्नक-घ**

फुटनोट क्रमांक-17 (कंडिका 5.2.13)

अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), बीना (सागर), ब्यावरा (राजगढ़), बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, धरमपुरी (धार), डिण्डोरी, गाड़रवारा (नरसिंहपुर), गैरतगंज (रायसेन), गोहद (भिण्ड), गोपदनिवास (सीधी), गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, हुजूर (भोपाल), हुजूर (रीवा), इंदौर, ईसागढ़ (अशोकनगर), इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, जबेरा (दमोह), जौरा (मुरैना), जावद (नीमच), जावरा (रतलाम), झाबुआ, जोबट (अलीराजपुर), कैलारस (मुरैना), कालापीपल (शाजापुर), कसरावद (खरगोन), खरगोन, खातेगांव (देवास), लखनादौन (सिवनी), मैहर (सतना), महु (इंदौर), मोमन बड़ोदिया (शाजापुर), मुड़वारा (कटनी), मुंगावली (अशोकनगर), नागदा (उज्जैन), नरसिंहपुर, नेपालनगर (बुरहानपुर), पांडुर्ना (छिंदवाड़ा), पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, सांवेर (इन्दौर), सरदारपुर (धार), सेंवड़ा (दतिया), सिवनी, सिवनीमालवा (होशंगाबाद), शाजापुर, श्योपुर, शुजालपुर (शाजापुर), सिंगरौली, सोहागपुर (शहडोल), टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा एवं विजयपुर (श्योपुर) ।

**अनुलग्नक-ङ**

फुटनोट क्रमांक-19 (कंडिका 5.2.15.1)

अलीराजपुर, अशोकनगर, अटेर (भिण्ड), बड़नगर (उज्जैन), बैरसिया (भोपाल), बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), बीना (सागर), ब्यावरा (राजगढ़), छतरपुर, दमोह, देवास, धार, धरमपुरी (धार), डिण्डोरी, गैरतगंज (रायसेन), गोहद (भिण्ड), गोपदनिवास (सीधी), ग्यारसपुर (विदिशा), हरदा, होशंगाबाद, हुजूर (रीवा), ईसागढ़ (अशोकनगर), इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, जबेरा (दमोह), जौरा (मुरैना), जावद (नीमच), जावरा (रतलाम), झाबुआ, जोबट (अलीराजपुर), कैलारस (मुरैना), कालापीपल (शाजापुर), कसरावद (खरगोन), खरगोन, लखनादौन (सिवनी), लटेरी (विदिशा), मैहर (सतना), मंदसौर, मुंगावली (अशोकनगर), नागदा (उज्जैन), नौगांव (छतरपुर), नेपालनगर (बुरहानपुर), पादुर्ना (छिंदवाड़ा), पन्ना, राजगढ़, सागर, सांवेर (इंदौर), सरदारपुर (धार), सेंवड़ा (दतिया), सिवनी, सिवनीमालवा (होशंगाबाद), शाजापुर, श्योपुर, शुजालपुर (शाजापुर) सिंगरौली, सिरोंज (विदिशा), सोहागपुर (शहडोल), तेन्दुखेड़ा (दमोह), टीकमगढ़, विदिशा एवं विजयपुर (श्योपुर) ।